सामाजिक विज्ञान

भाग-2

कक्षा 9 के लिए भूगोल, नागरिकशास्त्र तथा अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक

लेखक

सविता सिन्हा

सुप्ता दास

नीरजा रश्मि

संपादक

बी.एस. पारख

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण
नवंबर 2002 कार्तिक 1924 (समकालीन भारत)
पुनर्मुद्रण
अप्रैल 2003 चैत्र 1924
नवंबर 2003 कार्तिक 1925
मार्च 2005 चैत्र 1927 (सामाजिक विज्ञान : भाग-2)

ISBN : 81-7450-352-8

PD 125T SC

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन विभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस श्री अरविंद मार्ग **नई दिल्ली 110 016**	108, 100 फीट रोड हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे बनाशंकरी III इस्टेज **बेंगलूर 560 085**	नवजीवन ट्रस्ट भवन डाकघर नवजीवन **अहमदाबाद 380 014**	सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी **कोलकाता 700 114**	सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स मालीगांव **गुवाहाटी 781021**

प्रकाशन सहयोग

संपादन शशि चड्डा
उत्पादन अरुण चितकारा

आवरण

डी.के. शेंडे

रु. 25.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटर मार्क 70 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित

प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा न्यू चनाब ऑफसेट, सी-91, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-I, नई दिल्ली 110 020 द्वारा मुद्रित।

प्रकाशक की टिप्पणी

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) बच्चों और शिक्षकों के लिए विद्यालयी पाठ्यपुस्तकें और अन्य शैक्षिक सामग्री तैयार तथा प्रकाशित करती रही है। ये प्रकाशन विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षक-प्रशिक्षकों से प्राप्त पुनर्निवेशन के आधार पर नियमित रूप से संशोधित किए जाते हैं। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा किए गए शोध-कार्य भी इस पाठ्य सामग्री के संशोधन व उसे अद्यतन बनाने का आधार होते हैं।

यह पुस्तक विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और इसके अनुरूप तैयार किए गए पाठ्यक्रम पर आधरित है। यह पाठ्यपुस्तक पहली बार वर्ष 2002 में *समकालीन भारत* के नाम से प्रकाशित हुई थी जिसमें मूलतः तीन इकाइयाँ थीं। एन.सी.ई.आर.टी. की कार्यकारिणी समिति की दिनांक 19 जुलाई को आयोजित बैठक के निर्णय के अनुसार इतिहास की पुरानी पाठ्यपुस्तक *सभ्यता की कहानी : भाग-2* अकादमिक सत्र 2005-2006 से वापस लाई जा रही है, जो सामाजिक विज्ञान के संशोधित पाठ्यक्रम की *इकाई-1* के अनुरूप है। प्रस्तुत पुस्तक *सामाजिक विज्ञान : भाग-2* में भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र से संबद्ध इकाइयां हैं।

कार्यकारिणी समिति ने पाठ्यपुस्तकों में आवश्यक परिवर्तन के लिए त्वरित समीक्षा का भी निर्णय लिया। इस निर्णय का अनुपालन करने के लिए सामाजिक विज्ञान की सभी पुस्तकों के परीक्षण के लिए एक त्वरित समीक्षा समिति का गठन किया गया। समिति ने संकल्पनात्मक, तथ्यात्मक तथा भाषा-संबंधी विविध अशुद्धियों की पहचान की। समीक्षा की इस प्रक्रिया में पहले किए गए पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन को भी ध्यान में रखा गया है। यह प्रक्रिया अब पूर्ण हो चुकी है और पाई गई अशुद्धियों का सुधार कर दिया गया है। हमें आशा है कि पुस्तक का यह संशोधित संस्करण शिक्षण व अधिगम का प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा। इस पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता में और अधिक सुधार के लिए हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

सचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्

नई दिल्ली
जनवरी 2005

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय**;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता**;

प्रतिष्ठा और अवसर **की समता** प्राप्त कराने के लिए

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और **राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित** करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए;

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

आभार

यह पाठ्यपुस्तक पहली बार सन् 2002 में *समकालीन भारत* के नाम से प्रकाशित हुई थी जिसमें मूलतः तीन इकाईयां थीं। प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक *सामाजिक विज्ञान : भाग–2* में भूगोल, नागरिकशास्त्र और अर्थशास्त्र से संबद्ध दो इकाईयां दी गई हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, सा.वि.मा.शि.वि. के सदस्यों प्रोफ़ेसर सविता सिन्हा; श्रीमती सुप्ता दास, *प्रवक्ता, सलेक्शन ग्रेड* तथा डा. नीरजा रश्मि, *प्रवाचक* का पुस्तक के लेखन में तथा प्रोफ़ेसर बी. एस. पारख, (*अवकाश प्राप्त*) का इसके संपादन में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए आभार प्रकट करती है।

परिषद् इस पुस्तक की पाण्डुलिपि की समीक्षा कर इसे अंतिम रूप प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की आभारी है : श्री प्रेमशंकर खरे, *पूर्व प्राचार्य,* अग्रसेन इंटर कॉलेज, इलाहाबाद; श्री एस.एम. शर्मा, *पूर्व प्राचार्य,* एस.आर.एस.डी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लाजपत नगर, नई दिल्ली; श्री जी. एस. नेगी, *प्राचार्य,* भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली; डा. मो. अख्तर हुसैन, *प्रवाचक,* क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल; श्रीमती विजय लक्ष्मी, *पी.जी.टी.,* ग्रीन फील्ड्स स्कूल, नई दिल्ली; श्रीमती कुसुम लता खरे, *पूर्व प्रवक्ता,* आर्य कन्या इंटर कालेज, इलाहाबाद; श्री रूद्र प्रकाश श्रीवास्तव, *पूर्व प्राचार्य,* सी.एम.पी. महाविद्यालय, इलाहाबाद; श्री बाबू लाल गुप्ता, *पूर्व- उप प्राचार्य,* राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, शास्त्री नगर, दिल्ली; श्री जगदीश भारतीय, *पूर्व उप-प्राचार्य,* ए.एस.वी.जे. वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लाजपत नगर, नई दिल्ली; श्रीमती वीणा व्यास, *पी.जी.टी.,* डी.एम. स्कूल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल; श्री एस.एस. रस्तोगी, *पूर्व प्राचार्य,* राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, दिल्ली; श्री आर. के. बत्रा, *पूर्व प्राचार्य,* रा.बाल.एस. उच्च विद्यालय, सरोजनी नगर, नई दिल्ली; श्रीमती चित्रा श्रीनिवास, *पी.जी.टी.,* सरदार पटेल विद्यालय, नई दिल्ली, श्री एम. आर. गोस्वामी, *पी.जी.टी.,* केंद्रीय विद्यालय, नई दिल्ली तथा सा.वि.मा.शि.वि., के प्रोफ़ेसर सविता सिन्हा, डा. नीरजा रश्मि, *प्रवाचक,* श्रीमती सुप्ता दास, *प्रवक्ता, सलेक्शन ग्रेड,* डा. बासाबी खान बनर्जी, *प्रवाचक* तथा प्रोफ़ेसर जे.पी. सिंह (*समन्वयक*)।

परिषद् पुस्तक के हिंदी रूपांतर के लिए श्री प्रेमशंकर खरे, श्रीमती कुसुम लता खरे तथा श्री रूद्र प्रकाश श्रीवास्तव को भी धन्यवाद ज्ञापित करती है।

परिषद् इस पाठ्यपुस्तक की त्वरित-समीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्यों की आभारी है जिन्होंने इस पुस्तक की समीक्षा की तथा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए : प्रोफ़ेसर करुणा चानना, जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय; प्रोफ़ेसर एम. पी. सिंह., दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली; प्रोफ़ेसर एस. के झा, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; डा. दीप्ता भोग, निरंतर, नई दिल्ली; श्री नरोत्तम शर्मा, *पी.जी.टी.,* सर्वोदय विद्यालय, स्मालका, दिल्ली; श्रीमती नीना कुलश्रेष्ठ, *पी.जी.टी.,* उपरास विद्यालय, वसंत कुंज, दिल्ली; प्रोफ़ेसर एम.एच. कुरैशी, जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; प्रोफ़ेसर मज़हर अली खान, जामिया मिलिया इस्लामिया; प्रोफ़ेसर एस.एम. राशिद, जामिया मिलिया इस्लामिया; श्रीमती उषा भल्ला, *पी.जी.टी.,* मॉडर्न स्कूल, नई दिल्ली; श्रीमती मीरा हून, *टी.जी.टी.,* माडर्न स्कूल, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली; प्रोफ़ेसर गिरीश मिश्र (*अवकाश प्राप्त*), किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय; डा. आर. के. बंसल, *पूर्व प्रवाचक,* पत्राचार पाठ्यक्रम एवं अनुवर्ती शिक्षा विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय; श्रीमती मीरा मल्होत्रा, *पी.जी.टी.,* मॉडर्न स्कूल, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली; श्री बी.सी. ठाकुर, *पी.जी.टी.,* राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सूरजमल विहार, दिल्ली तथा सा.वि.मा.शि.वि. के डा. संजय दुबे, *प्रवाचक;* श्री एम.बी. श्रीनिवासन, *प्रवक्ता,* डा. तनु मलिक, *प्रवक्ता* तथा डा. नीरजा रश्मि, *प्रवाचक*।

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

विषय-सूची

भारत का संविधान

भाग-3 (अनुच्छेद 12-35)

(अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों और युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन)

द्वारा प्रदत्त

मूल अधिकार

समता का अधिकार

- विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण;
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर;
- लोक नियोजन के विषय में;
- अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत।

स्वातंत्र्य-अधिकार

- अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वातंत्र्य;
- अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण;
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण;
- छः से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा;
- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

- मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध;
- परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

- अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता;
- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता;
- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता;
- राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

- अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषयक हितों का संरक्षण;
- अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन।

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का उपचार।

इकाई दो

आधुनिक राष्ट्र का निर्माण

इस इकाई में आप यह अध्ययन करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारे नेताओं ने इस विशाल तथा विविधतापूर्ण देश की जनता की मांगों एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। प्रारंभ से ही हर कदम पर लोकतंत्रीय सिद्धांतों का क्रियान्वयन किया गया। संविधान सभा, जिसने संविधान बनाया था, लोकतंत्रात्मक ढंग से निर्वाचित की गई थी। इस संविधान में विश्व के महान लोकतंत्रात्मक देशों के संविधानों की विशेषताएं परिलक्षित हैं। कई भाषाओं और संस्कृतियों वाला यह देश लोकतंत्र, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा राष्ट्रीय अखंडता के सिद्धांतों पर शासित किया जा सकता है। अतः संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय भारतीय राज्यव्यवस्था की इस विविधता को ध्यान में रखा। उन्होंने न केवल विस्तृत संविधान का निर्माण किया वरन् उसमें लोकतांत्रिक कार्यपद्धति का भी विस्तार से उल्लेख किया। प्रत्येक वयस्क को सरकार निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया। प्रत्येक नागरिक कानून की नजर में स्वतंत्र और समान है तथा उसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है। इससे स्वस्थ जनमत के निर्माण में सहायता मिलती है। राजनीतिक रूप से जागरूक नागरिक जनमत निर्माण के साधनों पर कड़ी निगाह रखते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया भी समय की कसौटी पर खरी उतरी और इससे अधिकांशतः स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में सहायता मिली। बहुदलीय प्रणाली ने विपक्ष के विकास में योगदान दिया जिसके अभाव में सही अर्थों में लोकतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र के क्रियान्वयन में कोई बाधा नहीं है। बाधाएं तो हैं, फिर भी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की उपलब्धियां विश्व के दृश्य-पटल पर अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

1 संविधान का निर्माण

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे बड़ा काम 500 से अधिक रियासतों का एकीकरण एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना भली-भांति किया गया जिससे संपूर्ण राष्ट्र ने संतोष की सांस ली। कुछ भी हो, भाषा, धर्म तथा क्षेत्रीय विविधताओं से युक्त नए भारत का निर्माण सचमुच बहुत ही कठिन कार्य था। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का कार्य संपन्न हो गया। परंतु भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का कार्य कितने वाद-विवाद के बाद संपन्न हो पाया, इसका भी एक संक्षिप्त इतिहास है। आप इसके विषय में अवश्य जानना चाहेंगे।

अंग्रेजी को संपर्क भाषा स्वीकार करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा का स्तर प्रदान किया गया। संविधान में (हिंदी सहित) 14 भाषाओं की सूची दी गई है। उसके बाद से अब तक इस तालिका में आठ भाषाओं के नाम और जोड़े गए हैं।

संविधान में दी गई भाषाओं का चार्ट बनाइए
और उसे अपनी कक्षा में लगाइए।

प्रांतों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन किए जाने से यह स्पष्ट हो गया कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को यथासंभव पूरा करना चाहती थी।

1956 में किया गया राज्यों का पुनर्गठन अंतिम नहीं था। 1956 के बहुत बाद, जनता की मांग को ध्यान में रखकर कुछ नए राज्य बनाए गए। ऐसे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। अभी हाल में ही छत्तीसगढ़, झारखंड तथ उत्तरांचल नामक तीन नए राज्यों का निर्माण किया गया है।

अब आप पुनः भारत के राजनीतिक मानचित्र का अवलोकन करें और राज्यों तथा "केंद्रशासित" प्रदेशों की कुल संख्या ज्ञात करें। "केंद्रशासित प्रदेश" शब्द आपको अपरिचित सा लग सकता है। इस संबंध में आप आगे पढ़ेंगे। परंतु इसके पहले कि आप राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विषय में पढ़ें, आपको भारत के संविधान की जानकारी होना परम आवश्यक है। संविधान कैसे बना? किस प्रकार संविधान निर्माताओं ने अपने कठिन परिश्रम तथा अनुकरणीय समर्पण भाव से यह आलेख तैयार किया?

26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और भारत को "गणतंत्र" घोषित किया गया। तब से लेकर आज तक यह दिन "गणतंत्र दिवस" के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था, परंतु यह 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। इस कार्य के लिए 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना गया? इस तिथि के चयन के पीछे भी इतिहास है। 1929 दिसंबर को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का संकल्प लिया था और 1930 में 26 जनवरी प्रथम बार तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यही कारण है कि हमारे नेताओं ने भारतीय संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तिथि निश्चित की, जो भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक है।

भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करने से पहले यह जान लेना रुचिकर होगा कि संविधान का प्रारूप किस प्रकार तैयार किया गया। किंतु इसके पहले कि हम संविधान निर्माण के विषय में पढ़ें, क्या आप यह नहीं जानना चाहेंगे कि संविधान है क्या ?

संविधान का अर्थ

संविधान स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति करता है। प्रत्येक स्वतंत्र देश अपना संविधान बनाता है। यह सरकार के मूल ढांचे को निश्चित करता है जिसके अंतर्गत जनता पर शासन किया जाता है। यह सरकार के मुख्य अंग – विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। संविधान न केवल प्रत्येक अंग के अधिकारों को परिभाषित करता है वरन् उसके उत्तरदायित्व

चित्र 1.1 : *1947 में भारत का राजनीतिक मानचित्र*

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।

चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।

इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य में दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है परन्तु अभी सत्यापित होनी है।

इस मानचित्र में अन्तर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।

आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 1.2 : *2002 में भारत का राजनीतिक मानचित्र*

भी सुनिश्चित करता है। यह तीनों अंगों के मध्य पारस्परिक संबंध तथा इनका जनता से संबंध स्थापित करता है। संक्षेप में, संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार कार्य करती है। संविधान देश के सभी नियमों से श्रेष्ठ होता है। प्रशासन तंत्र द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून संविधान के अनुरूप होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, संविधान में लिखित कानून जिन्हें आधारभूत कानून भी कहा जाता है, स्रोत की भांति हैं जिनके आधार पर किसी देश के प्रशासन हेतु नियम तथा विनियम बनाए जाते हैं।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान का महत्त्व और भी अधिक है। लोकतंत्र में सरकार के क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। यह ऐसी सरकार होती है जिसमें सरकार की शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित रहती हैं। इस सरकार में नागरिक के अधिकारों का भी स्पष्ट विवरण दिया होता है। सरकार तथा नागरिकों की गतिविधियों की सीमाएं किस प्रकार निर्धारित की जाएं, यह संविधान द्वारा निश्चित किया जाता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि संविधान एक आलेख मात्र नहीं है, अपितु यह क्रियाशील संस्थाओं की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के साथ निरंतर विकसित होता रहता है। प्रत्येक संविधान की सार्थकता तथा विषय-वस्तु उसके क्रियान्वयन के तरीके तथा उसे क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति पर निर्भर है। इस प्रकार, संविधान एक जीवित आलेख होता है।

क्या आप बता सकते हैं कि किसी देश का संविधान किस प्रकार उस देश की स्वतंत्रता का प्रतीक होता है ?

भारतीय संविधान कैसे निर्मित हुआ ?

भारत का संविधान, जो लोकतंत्र, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अखंडता जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों का आधार स्तंभ है। दीर्घकालीन वाद-विवाद तथा विचार-विमर्श के उपरांत भारतवासियों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित किया गया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष के परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बन गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ हो जाने पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तेजी आई। यह युद्ध मई 1945 में समाप्त हुआ। इसी वर्ष जुलाई में इंगलैंड में नई सरकार सत्ता में आई। इस सरकार ने भारत के संबंध में अपनी नीति घोषित की। ब्रिटेन के सम्राट की ओर से संविधान सभा बनाने का उद्देश्य घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए अपने तीन मंत्रियों को भारत भेजा। इन मंत्रियों का दल "कैबिनेट मिशन" के नाम से जाना जाता है।

कैबिनेट मिशन ने संविधान की रूपरेखा के संबंध में विचार-विमर्श किया तथा संविधान सभा द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली निर्धारित की। भारतीय प्रांतों के लिए नियत की गई 296 सीटों के निर्वाचन का काम जुलाई-अगस्त 1946 में पूरा कर लिया गया। भारत के स्वतंत्र होने के साथ-साथ संविधान सभा पूर्ण रूप से प्रभुतासंपन्न संस्था हो गई। सभा ने 9 दिसंबर से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया।

यह सौभाग्य था कि जब भारत स्वतंत्र देश के रूप में उभरा तो यहां सुयोग्य नेताओं का एक विशिष्ट समूह विद्यमान था। इनमें से कुछ नेता जो संविधान सभा के लिए चुने गए थे, अपने कार्य की गंभीरता के प्रति पूरी तरह से सचेत थे। उनकी दूरदर्शिता तथा राजनीतिक अंतर्दृष्टि संविधान में परिलक्षित हुई, जो देश का सर्वोच्च कानून है। विभिन्न संप्रदायों के इन महान पुरुषों तथा महिलाओं को स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने का महत्त्वपूर्ण काम सौंपा गया। देश के सभी भागों से लोग संविधान सभा में सम्मिलित थे और इस प्रकार इसने भारत का एक लघु रूप धारण कर लिया।

संविधान सभा के सदस्य भारत के विभिन्न संप्रदायों तथा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य भी थे। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह आदि कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने सभा में होने वाले विचार-विमर्श के दौरान

राजेन्द्र प्रसाद

पथ-प्रदर्शन किया। सभा में अनुसूचित जातियों के भी तीस से अधिक सदस्य सम्मिलित थे। फ्रैंक एंथोनी ने ऐंग्लों-इंडियन समुदाय का तथा एच.पी. मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, बी.आर. अंबेडकर, के.एम. मुंशी जैसे संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ भी इस सभा के सदस्य थे।

बी.आर. अंबेडकर

सरोजिनी नायडू तथा विजयलक्ष्मी पंडित प्रमुख महिला सदस्य थीं।

राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष चुने गए। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर थे।

संविधान सभा की 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंतराल में 166 बैठकें हुईं। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। सभा के ख्याति-प्राप्त सदस्यों ने इसके एक-एक करके प्रत्येक अनुच्छेद पर गहरा विचार-विमर्श किया। संविधान में ब्रिटेन, आयरलैंड, स्विटज़रलैंड, कनाडा, फ्रांस तथा अमरीका के संविधानों की कुछ विशिष्टताओं का समावेश किया गया।

अध्यापक की सहायता से भारतीय संविधान मे सम्मिलित किए गए ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस तथा अमरीका की एक-एक विशेषता ज्ञात कीजिए।

यद्यपि संविधान सभा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई थी तथापि इसके अधिवेशन प्रेस तथा जनता के लिए खुले रहते थे। समाचारपत्रों को जनता का दृष्टिकोण तथा उनका परामर्श प्रकाशित करने की स्वतंत्रता थी। इस प्रकार संविधान में भारतवासियों के विचारों एवं उनके अभिमतों का भी समावेश किया गया है।

संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया। 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ। क्या आपको स्मरण है कि 26 जनवरी की तिथि क्यों चुनी गई? इस पाठ के प्रारंभ में लाहौर अधिवेशन तथा पूर्ण स्वराज के विषय में पढ़कर आपको याद आ जाएगा। संविधान में निहित दर्शन जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसके उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जिसके विषय में आप आगामी अध्याय में पढ़ेंगे, इन उद्देश्यों में निहित दर्शन को समाहित किया गया है। प्रस्तावना की शब्दावली उन आधारभूत मूल्यों तथा पथ-प्रदर्शक सिद्धांतों को दर्शाती है जिन पर भारत का संविधान आधारित है।

उद्‌देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु

- भारत एक स्वतंत्र, प्रभुतासंपन्न गणराज्य है।
- भारत 'ब्रिटिश भारत' कहे जाने वाले क्षेत्र, भारतीय रियासतों तथा 'ब्रिटिश भारत' और रियासतों के बाहर के उन क्षेत्रों का जो स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, संघ होगा।
- संघ में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र संविधान द्‌वारा निश्चित की गई सीमाओं अथवा केंद्र में निहित शक्तियों के अतिरिक्त स्वायत्तशासी इकाइयों के रूप में सरकार तथा प्रशासन की सभी शक्तियों का उपभोग करेंगे।
- स्वतंत्र एवं प्रभुता संपन्न भारत संघ तथा उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न घटकों की शक्ति का स्त्रोत जनता होगी।
- भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का आश्वासन, कानून के समक्ष स्तर तथा अवसर की समता, भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी।
- अलपसंख्यक वर्गों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों, दलित तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
- भारतीय गणतंत्र की भौगोलिक अखंडता तथा इसके भू-भाग, समुद्र तथा वायुमंडल क्षेत्र पर इसकी संप्रभुता की रक्षा न्यायोचित तथा सभ्य राष्ट्रों के कानूनों के अनुसार की जाएगी।
- यह राज्य विश्व शांति तथा मानव मात्र के कल्याण की उन्नति में अपना संपूर्ण तथा स्वैच्छिक योगदान करेगा।

अभ्यास

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

   (i) संविधान सभा द्‌वारा भारत का संविधान 26 नवंबर -------- को पारित किया गया।

   (ii) संविधान सभा की -------- बैठकें हुई।

   (iii) कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष का संकल्प -------- अधिवेशन में किया।

   (iv) राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के -------- थे।

   (v) बी.आर. अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के -------- थे।

2. संविधान किसे कहते हैं ?
3. आपके विचार से लोकतांत्रिक देशों में संविधान का महत्त्व अपेक्षाकृत क्यों अधिक होता है ?
4. 1947 तथा 2002 के भारत के राजनीतिक मानचित्रों का अंतर अपने शब्दों में समझाइए।

परियोजना कार्य

- संविधान सभा के सदस्यों के चित्रों का एलबम बनाइए तथा उसे अपने पुस्तकालय में सबके अवलोकनार्थ रखिए।

2 भारतीय संविधान की विशेषताएं

जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों तथा उसमें निहित सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किए जा सकते। कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता कि सरकार द्वारा प्रस्तावना को क्रियान्वित नहीं किया गया है। फिर भी प्रस्तावना संविधान के प्रकाश-स्तंभ की भांति है।

संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करने से पहले प्रस्तावना के विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। 1976 तक प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 1976 में इसमें 'समाजवादी,' 'पंथ निरपेक्ष' तथा 'राष्ट्र की एकता तथा अखंडता' शब्द जोड़ दिए गए हैं। जब आप संविधान की विभिन्न विशेषताओं के विषय में पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि संविधान में प्रस्तावना की भावना किस प्रकार परिलक्षित हुई है।

विस्तृत एवं लिखित संविधान

भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। यह बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति द्वारा बनाया गया है। क्या आपको स्मरण है कि इसको पूरा करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? यदि स्मरण न हो तो पिछले अध्याय को पढ़ कर ज्ञात कीजिए। संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है तथा इसमें 395 धाराएं तथा 8 अनुसूचियां हैं। (बाद में चार अनुसूचियां और बढ़ाई गई हैं।)

विश्व के अन्य किसी संविधान में इतना सूक्ष्म विवरण नहीं दिया गया है जितना कि भारत के संविधान में। संविधान में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर प्रशासनिक ढांचे के अतिरिक्त नागरिकता, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व, केंद्र-राज्य संबंध, व्यापार तथा वाणिज्य सेवाएं, निर्वाचन, आपातकालीन उपबंध तथा प्रतिनिधित्व का भी विशद वर्णन किया गया है। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय भारत को अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हमारे संविधान निर्माता संविधान में ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। वे संविधान के किसी भाग को अस्पष्ट नहीं रखना चाहते थे। उनका विचार था कि कोई भी बात संदेह के घेरे में नहीं रहनी चाहिए। परिणामतः संविधान अत्यंत विस्तृत और विशाल हो गया।

जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए

संशोधन-प्रक्रिया

क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान को 'जीवित आलेख' क्यों कहा जाता है ? संविधान सभा के कुछ सदस्य लिखित और विस्तृत संविधान बनाना चाहते थे। वे प्रत्येक विवरण को लिपिबद्ध कर देना चाहते थे जब कि विशेषज्ञों का एक समूह ऐसा भी था जो द्रुत गति से परिवर्तित होते हुए भारतीय समाज के प्रति सचेत था। ऐसे गतिशील समाज को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों से संबंधित सुविस्तृत कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। उनका तर्क

प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को संपूर्ण **प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, **धर्म** और उपासना की **स्वतंत्रता;**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता,** प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और **राष्ट्र की एकता और अखंडता** सुनिश्चित करने वाला **बंधुत्व** बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्द्वारा इस **संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

था कि संविधान में इस बदलती हुई स्थिति से अनकूलन करने की क्षमता होनी चाहिए। यह संशोधन समुचित कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। संविधान में संशोधन की तीन प्रक्रियाओं का उल्लेख है। पहली प्रक्रिया के अनुसार संसद के दोनों सदनों के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किए हुए प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद संशोधन हो जाता है। दूसरी प्रक्रिया के अनुसार संशोधन के लिए विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के अनुसार संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। तत्पश्चात् वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाता है। संशोधन की तीसरी प्रक्रिया सचमुच अत्यंत जटिल है। दूसरी प्रक्रिया में वर्णित संसद के दोनों सदनों के विशिष्ट बहुमत के अतिरिक्त संशोधन विधेयक को कुल राज्यों की कम से कम पचास प्रतिशत विधायिकाओं का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।

शिक्षक की सहायता से संविधान में दी गई विभिन्न संशोधन प्रक्रियाओं से संबंधित एक-एक विषय का उल्लेख कीजिए।

प्रभुतासंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य

संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुतासंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। भारत प्रभुतासंपन्न राज्य है। यह बाहरी नियंत्रण से सर्वथा मुक्त है। आंतरिक रूप से यह अपनी नीतियां निर्धारित कर सकता है। इस कार्य में इसे कोई विदेशी सत्ता आदेशित नहीं कर सकती। भारत अपनी विदेश नीति निर्धारित करने में भी स्वतंत्र है।

आपके विचार से भारत कब प्रभुतासंपन्न घोषित हुआ ?

भारत एक लोकतंत्र है। जनता सभी स्तरों पर अपनी सरकार को वयस्क मताधिकार द्वारा चुनती है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जो किसी कारण से मताधिकार से वंचित नहीं किया गया है, निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकारी होता है। जाति, धर्म, रंग, लिंग अथवा शिक्षा के आधार पर बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

प्रारंभ में भारत में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। बाद में यह आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पता करिए कि ऐसा कब किया गया।

प्रस्तावना में भारत को गणराज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य का प्रधान अर्थात् राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगा। ब्रिटेन के सम्राट की भांति राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता है।

समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष राज्य

संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी पंथ-निरपेक्ष राज्य कहा गया है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार द्वारा यहां के नागरिकों को राजनीतिक समता प्रदान की गई है। परंतु सामाजिक तथा आर्थिक समता के अभाव में समता का अधिकार अधूरा ही है। भारत ऐसे समाज के निर्माण का प्रयास करेगा जिसमें व्यक्तियों के बीच आर्थिक असमता अधिक न हो।

भारत एक पंथ-निरपेक्ष राज्य है। धार्मिक विश्वासों में विभिन्नता के बावजूद कानून की दृष्टि में सभी नागरिक

समान हैं। सरकार ऐसी नीतियां नहीं बना सकती जो भारत में रहने वाले व्यक्तियों में धर्म या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव करती हो।

संघात्मक विशेषताएं

आप जानना चाहेंगे कि संघात्मक सरकार किसे कहते हैं? संघात्मक सरकार में सरकारों के दो स्तर होते हैं – संघ सरकार (भारत के संविधान में 'यूनियन' शब्द का प्रयोग किया गया है।) तथा राज्यों की सरकारें। संविधान में दोनों प्रकार की सरकारों के कार्य-क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है।

किंतु भारत के संविधान में 'संघात्मक' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि 'भारत राज्यों का संघ है'। संविधान में उन विषयों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है जिनके संबंध में केंद्र तथा राज्यों की सरकारें कानून बना सकती हैं। इसे केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन कहा जाता है। संविधान में केंद्र तथा राज्य सरकारों की शक्तियों की सीमा-रेखा विभिन्न विषयों की सूची बनाकर सुनिश्चित कर दी गई है। इन सूचियों को 'केंद्र सूची', 'राज्य सूची' तथा 'समवर्ती सूची' कहा जाता है। राष्ट्रीय महत्त्व के विषय जैसे रक्षा, विदेश संबंध, आणविक ऊर्जा, बैंकिंग, डाक-तार आदि केंद्र सूची में सम्मिलित किए गए हैं। इस सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। केंद्र सूची में 97 विषय हैं। राज्य सूची में जिन विषयों का उल्लेख है उन पर राज्यों की सरकारें कानून बना सकती हैं। पुलिस, स्थानीय स्वशासन, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं। शक्ति-विभाजन की किसी संदिग्धता से बचने के लिए संविधान में एक तीसरी सूची भी दी गई है जिसे 'समवर्ती सूची' कहा जाता है। इस सूची के विषय - केंद्र और राज्य - दोनों सरकारों के लिए समान महत्त्व के हैं। सामान्यतया इस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य - दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। किंतु यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोधाभास हो तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। इस सूची में दीवानी तथा फौजदारी दंड प्रक्रिया, विवाह और तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन तथा ट्रेड यूनियन जैसे विषय सम्मिलित हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। हमारे संविधान निर्माता दोनों सरकारों के बीच शक्ति-विभाजन को अधिक सुनिश्चित कर देना चाहते थे। अतः तीनों सूचियों के अतिरिक्त उन्होंने 'अवशिष्ट शक्तियों' का भी प्रावधान कर दिया है। वे विषय जो शक्ति-विभाजन में सम्मिलित नहीं हैं, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। यह सोचा गया कि कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में न हों। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है।

अन्य संघों से भिन्न, भारत में राज्यों की अपेक्षा केंद्र अधिक लाभप्रद स्थिति में है। केंद्र सूची में विषयों की संख्या भी अधिक है तथा वे विषय राष्ट्रीय महत्त्व के हैं। समवर्ती सूची पर भी केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्ति प्राप्त है। क्या आप बता सकते हैं, कैसे? शक्ति-विभाजन के अतिरिक्त किसी संघ में सामान्यतया दोहरी नागरिकता होती है। संयुक्त राज्य अमरीका एक संघ है। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति संयुक्त राज्य का भी नागरिक है और अपने संबंधित राज्य का भी। किंतु भारत में केवल इकहरी नागरिकता है। निर्वाचन के समय यहां पर नागरिक एक व्यक्ति अथवा भारतवासी के रूप में मतदान करता है न कि बंगाली, पंजाबी, तमिल अथवा गुजराती के रूप में। संविधान में कुछ अन्य प्रावधान भी हैं जिन्हें आपातकालीन प्रावधान कहा जाता है। इसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिनमें आपातकाल घोषित किया जा सकता है। आपातकाल में केंद्र को और अधिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जिनका अध्ययन आप आगे करेंगे।

संसदात्मक प्रणाली

भारत में संसदात्मक सरकार है। इस प्रणाली में संसद सर्वोच्च होती है और जनता का प्रतिनिधित्व करती है। केंद्र की विधायिका को पार्लियामेंट अथवा संसद कहा जाता है। संसद द्विसदनात्मक है अर्थात् इसमें दो सदन हैं।

उन राज्यों के नाम ज्ञात कीजिए जहां द्विसदनात्मक विधायिका है।

यद्यपि केंद्र का शासन राष्ट्रपति के नाम पर तथा राज्यों का शासन राज्यपाल के नाम पर किया जाता है, तथापि वास्तविक प्रशासन मंत्रि-परिषद् द्वारा किया जाता है जिसका प्रमुख केंद्र में प्रधान मंत्री तथा राज्यों में मुख्य मंत्री होता है। मंत्रि-परिषद्, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह जनता के प्रतिनिधियों से निर्मित होती है। यही तथ्य विधायिका या संसद को सर्वोच्च बनाता है।

कल्याणकारी राज्य

संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। कल्याणकारी राज्य का अर्थ ऐसे राज्य से है जिसमें राज्य के सारे कार्य जनता के कल्याण की दृष्टि से किए जाते हैं। ऐसे राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा कृषि जैसे विषयों को उतना ही महत्त्व दिया जाता है जितना सुरक्षा तथा विदेश संबंध को।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पांच अन्य विषयों के नाम ज्ञात कीजिए जो जनकल्याण से संबंधित हैं।

राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। इनके विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे।

आपातकालीन प्रावधान

भारतीय संविधान की एक अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता आपातकालीन उपबंध हैं। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब सामान्य परिस्थितियों की भांति शासन चलाना असंभव प्रतीत होता है। ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए संविधान में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। आप इन प्रावधानों के विषय में आगामी अध्याय में पढ़ेंगे।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका

संविधान द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। आप पढ़ चुके हैं कि भारत में सरकारों के दो स्तर हैं। यदि दोनों प्रकार की सरकारों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो न्यायपालिका की भूमिका क्रिकेट मैच के अम्पायर की भांति होगी। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका निष्पक्ष होकर निर्णय करेगी। संविधान में व्यवस्था की गई है कि केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक विवाद के मामले (ऐसे मामले जो संविधान से संबंधित हों) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय हमारी न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय है। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे।

भारत का संविधान अपने विशाल आकार के अनुरूप अनेक विशेषताओं से युक्त है। इस अध्याय में आपने केवल उन विशेषताओं के बारे में जाना है जिनकी सरकार के क्रियाकलापों में अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं जैसे - मूल अधिकार, नीति-निदेशक तत्त्व, मूल कर्तव्य। इन सबके विषय में आप आगे अध्ययन करेंगे।

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. संविधान की प्रस्तावना अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्यों है?
2. संविधान में संशोधन की तीन प्रक्रियाओं से आप क्या समझते हैं?
3. भारत का संघात्मक स्वरूप अन्य संघों से किस प्रकार भिन्न है?
4. संसदात्मक शासन प्रणाली क्या हैं?
5. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
   - (i) समवर्ती सूची
   - (ii) अवशिष्ट शक्तियां
   - (iii) प्रभुतासंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य
   - (iv) समाजवादी पंथ-निरपेक्ष राज्य
   - (v) कल्याणकारी राज्य

परियोजना कार्य

- अपने विद्यालय के पुस्तकालय से संविधान की प्रति प्राप्त कीजिए। चार्ट पेपर पर संविधान के एक भाग, एक अनुच्छेद तथा एक सूची को अंकित करिए तथा उसे अपनी कक्षा में लगाइए।

सरकार
कार्यपालिका तथा विधायिका

पिछले अध्याय में आपने भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में पढ़ा है। आप जानते हैं कि भारत एक संघ है। जहां एक सरकार केंद्र में है तो वहीं दूसरी ओर राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें हैं। इन सरकारों का गठन तथा कार्य संसदात्मक शासन प्रणाली के मानदंडों तथा परंपराओं के अनुसार किए जाते हैं। केंद्र तथा राज्यों की सरकारों के तीन अंग होते हैं – कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। इस पाठ में हम कार्यपालिका तथा विधायिका के विषय में विचार करेंगे। हम सरकार की कार्यप्रणाली में लोक सेवाओं की भूमिका के संबंध में भी विचार करेंगे।

संघ की कार्यपालिका

केंद्र की कार्यपालिका, जिसे संघ कार्यपालिका भी कहते हैं, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रि-परिषद् को मिलाकर बनती है।

राष्ट्रपति

भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है। संघ की महत्त्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित होती हैं। कार्यपालिका द्वारा सारे कार्य उसी के नाम पर किए जाते हैं। वह राज्य का प्रधान होता है और भारतीय गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

योग्यताएं, निर्वाचन तथा कार्यकाल

राष्ट्रपति भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। ब्रिटेन जैसे देशों में राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता वरन् वंशानुगत उत्तराधिकार के सिद्धांत के आधार पर अपना पद प्राप्त करता है। भारत में राज्य का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है। इसीलिए इसे गणतंत्र कहा जाता है।

भारत का नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी हो सकता है। उसे संघ या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद प्राप्त न हो तथा उसमें लोक सभा का सदस्य बनने की योग्यता हो।

राष्ट्रपति का चुनाव एक समिति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है जिसे निर्वाचक मंडल कहते हैं। इस निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधान सभाओं तथा संसद के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित रहते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है।

राष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। अवधि समाप्त होने पर वह दुबारा भी चुनाव लड़ सकता है। उसे प्रतिमाह 50,000 रु. वेतन के रूप में मिलता है। यह वेतन उसके कार्यकाल में घटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति संविधान की मर्यादा (परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण) बनाए रखने की शपथ लेता है।

कार्यकाल समाप्त होने के पहले राष्ट्रपति को एक विशेष प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को 'महाभियोग' कहते हैं। राष्ट्रपति पर संविधान की अवहेलना करने के आरोप पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरूद्ध आरोप लगाकर प्रारंभ की जा सकती है। आरोप एक नोटिस के रूप में होता है जिस पर सदन की कुल संख्या के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यह नोटिस राष्ट्रपति को प्रेषित कर दिया जाता है और उसके चौदह दिन बाद उस पर विचार किया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। पारित हो जाने के बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है जो आरोपों की जांच करता है। इस प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होकर अथवा प्रतिनिधि भेजकर अपने बचाव में तर्क तथा तथ्य उपस्थित करने का अधिकार है। यदि दूसरा सदन भी दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर अपदस्थ कर दिया जाता है।

राष्ट्रपति को अपदस्थ करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल बनाई गई है क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति का स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

राष्ट्रपति की शक्तियां

राष्ट्रपति को अनेक अधिकार प्राप्त हैं। वह साधारण काल तथा आपातकाल में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है।

किंतु इन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधान मंत्री तथा मंत्रि-परिषद् द्वारा किया जाता है।

कार्यपालिका संबंधी शक्तियां

संविधान के अनुसार केंद्र सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। वह लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रधान मंत्री पद पर नियुक्त करता है। प्रधान मंत्री की सलाह से वह मंत्रि-परिषद् के मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके विभागों का वितरण करता है। मंत्रि-परिषद् अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रह सकती है। परंतु वास्तविकता यह है कि मंत्रि-परिषद् लोक सभा के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकती है। जब तक मंत्रि-परिषद् को लोक सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक उसे अपदस्थ नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति रक्षा सेनाओं का भी प्रधान होता है। वह युद्ध और शांति की घोषणा करता है तथा अन्य देशों से संधियां कर सकता है।

राष्ट्रपति महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है। वह राज्यपालों, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त,संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को नियुक्त करता है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूत तथा उच्चायुक्त भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरे देशों के राजदूत एवं उच्च आयुक्त अपना प्रमाण-पत्र राष्ट्रपति के सामने ही प्रस्तुत करते हैं।

न्यायिक शक्तियां

कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते राष्ट्रपति किसी अपराधी की सज़ा को कम कर सकता है तथा क्षमादान भी कर सकता है। कोई ऐसा प्रश्न जो कानून संबंधी व्याख्या अथवा सार्वजनिक हित से संबंधित हो, उस पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। परंतु परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है।

विधायी शक्तियां

राष्ट्रपति संसद के अधिवेशनों को आमंत्रित करता तथा उनका सत्रावसान करता है। वह लोक सभा को भंग कर सकता है। उसके ये अधिकार औपचारिक हैं। वह इन अधिकारों का प्रयोग प्रधान मंत्री तथा मंत्रि-परिषद् की सलाह से ही करता है। निर्वाचन के उपरांत तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में वह उद्घाटन भाषण प्रस्तुत करता है। इस अवसर पर दिए गए अभिभाषण में वह सरकार की नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। संसद द्वारा पारित किया गया कोई विधेयक तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती। वित्त विधेयक के अतिरिक्त किसी भी अन्य विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। परंतु यदि संसद का सत्र न चल रहा हो और सरकार किसी विषय पर कानून का बनाना आवश्यक समझे तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसा अध्यादेश संसद के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाता है। संसद का अगला सत्र प्रारंभ होने की तिथि से छः सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश संसद द्वारा स्वीकृत नहीं होता है तो छः सप्ताह बाद उसकी वैधता स्वतः समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति की अनुमति से वार्षिक बजट लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई धन विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

आपातकालीन शक्तियां

असामान्य और असाधारण परिस्थितियों का सामना करने के लिए राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत के संविधान में तीन प्रकार के संकटों का उल्लेख किया गया है :

(i) युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट ;

(ii) किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न संकट ; तथा

(iii) वित्तीय स्थिरता अथवा भारत की साख के लिए संभावित खतरे से उत्पन्न संकट।

युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट

यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है तो वह संपूर्ण भारत अथवा इसके किसी भू-भाग में आपात्काल की घोषणा कर सकता है। वह इस प्रकार की घोषणा मंत्रि-परिषद् की लिखित संसूचना पर ही कर सकता है। इस घोषणा को एक माह के अंदर संसद का अनुमोदन मिल

जाना चाहिए। इस आपातकालीन घोषणा के दो महत्त्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। पहला यह कि नागरिकों के मूल अधिकार नियंत्रित अथवा निलंबित किए जा सकते हैं। उदाहरणस्वरूप नागरिकों को संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। दूसरा यह कि इस काल में सामान्य संघात्मक व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। आपातकाल में देश के प्रशासन का संचालन एकात्मक व्यवस्था की भांति किया जाता है। आपातकाल में संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है तथा संघ कार्यपालिका राज्यों को आवश्यक निर्देश भी दे सकती है, परंतु यदि संसद की स्वीकृति मिल जाए तो उसकी छः माह के लिए पुनः उद्घोषणा की जा सकती है।

राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकट

यदि संबंधित राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट द्वारा अथवा किसी अन्य स्रोत से राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि उस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चला पाना संभव नहीं हो पा रहा है तो वह उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा के उपरांत राष्ट्रपति विधान सभा को भंग या निलंबित कर सकता है और कार्यपालिका के समस्त कार्य अपने हाथ में ले सकता है। इस काल में संसद, राज्य के लिए कानून बना सकती है और राज्य के लिए बजट भी पारित कर सकती है। राज्य का शासन राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपाल करता है। इस प्रकार के संकट की उद्घोषणा को दो माह के अंदर संसद का अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए। "राष्ट्रपति शासन" छः माह तक प्रभावी रहता है। संसद का अनुमोदन प्राप्त करके इसे छः माह तक और बढाया जा सकता है। परंतु इस प्रकार का आपातकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।

वित्तीय संकट

यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत की वित्तीय स्थिरता अथवा आर्थिक साख को खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसे संकट के समय में राष्ट्रपति सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती कर सकता है। राज्यों की विधायिका द्वारा पारित सभी वित्त विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे। वह राज्य को वित्त से संबंधित मामलों में कुछ विशेष नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दे सकता है।

भारत के राष्ट्रपति के उपर्युक्त अधिकारों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह सर्वाधिक शक्तिसंपन्न कार्यपालक अधिकारी है। किंतु संविधान में उसके लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधान मंत्री तथा मंत्रि-परिषद् की सलाह से ही करेगा। व्यवहार में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग प्रधान मंत्री करता है और सभी मंत्रालयों से संबंधित निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं ।

उप-राष्ट्रपति

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अथवा उसकी अस्वस्थता की दशा में राष्ट्रपति के सभी कार्य उप-राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे अथवा उसकी मृत्यु हो जाए तो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक उस पद पर उप-राष्ट्रपति कार्य करता है। यह निर्वाचन पद रिक्त होने के छः माह के अंदर हो जाना चाहिए। उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन एक "निर्वाचक मंडल" द्वारा किया जाता है जिसमे संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल रहते हैं। वह पांच वर्ष के लिए चुना जाता है। उप-राष्ट्रपति वही व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो और वह राज्य सभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। उप-राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।

प्रधान मंत्री

प्रधान मंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं केंद्र सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां औपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। किंतु इन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में प्रधान मंत्री के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद् द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार में सर्वाधिक शक्तिशाली पद प्रधान मंत्री का है।

प्रधान मंत्री की नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधान मंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है जो लोक सभा में बहुमत दल का नेता होता है। किंतु जब किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति लोक सभा के कई दलों के गठबंधन से निर्मित बहुमत का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है अथवा लोक सभा के सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित कर सकता है जिसे लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। प्रधान मंत्री मंत्रि-परिषद्

के सदस्यों का चयन करता है जिनकी औपचारिक रूप से नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधान मंत्री मंत्रियों के विभाग आबंटित करता है तथा किसी मंत्री को अपदस्थ भी कर सकता है। वह मंत्रि-परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है। वह विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का समन्वय करता है। प्रधान मंत्री, योजना आयोग का, जो योजना निर्माण की केंद्रीय संस्था है, अध्यक्ष होता है। मंत्रि-परिषद् में प्रधान मंत्री की श्रेष्ठ स्थिति के कारण संपूर्ण सरकार उसी के नाम से जानी जाती है।

मंत्रि-परिषद्

मंत्रि-परिषद् का मुखिया प्रधान मंत्री होता है। इसमें तीन श्रेणियों के मंत्री होते हैं। एक श्रेणी कैबिनेट मंत्रियों की होती है जो अत्यधिक महत्त्व वाले मंत्रालयो के प्रभारी होते हैं। दूसरी श्रेणी राज्य मंत्रियों की होती है जिनके पास किसी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार होता है अथवा जो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। तीसरी श्रेणी उपमंत्रियों की होती है जो कैबिनेट तथा राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। मंत्रि-परिषद् के मंत्रियों के लिए संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि प्रधान मंत्री अथवा मंत्रि-परिषद् का कोई सदस्य संसद का सदस्य नहीं है तो उसके लिए नियुक्ति की तिथि से छः मास के अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है।

मंत्रीगण अपने मंत्रालय एवं उनके विभागों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। यह उत्तरदायित्व उन्हें प्रधान मंत्री के माध्यम से सौंपा जाता है। मंत्रि-परिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह सत्ता में तभी तक रह सकती है जब तक उसे लोक सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। यदि लोक सभा मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरे मंत्रि-परिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रि-परिषद् में लिए गए निर्णयों के लिए पूरी मंत्रि-परिषद् सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि लोक सभा किसी विशेष प्रकरण पर सरकार की नीति को अस्वीकार कर देती है तो केवल उसी विभाग का मंत्री उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता वरन् पूरी मंत्रि-परिषद् अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करते हुए त्यागपत्र दे देती है।

राज्य की कार्यपालिका

राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल तथा मुख्य मंत्री सहित मंत्रि-परिषद् को मिलाकर बनती है।

राज्यपाल

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद् की सलाह से करता है। राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। भारत का कोई नागरिक, जिसकी आयु 35 वर्ष अथवा उससे अधिक हो, राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। उसका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकता है। उसे अपने पद से कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी हटाया जा सकता है।

राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है। राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित रहती हैं। वह मुख्य मंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्य मंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेता है।

राज्यपाल को महत्त्वपूर्ण विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। वह राज्य की विधायिका के सत्रों को आहूत करता तथा उनका सत्रावसान करता है। वह किसी राज्य की विधान सभा, उसकी अवधि समाप्त होने के पहले भी भंग कर सकता है। प्रत्येक निर्वाचन के बाद के तथा प्रत्येक वर्ष विधान सभा के प्रथम सत्र में अपना अभिभाषण प्रस्तुत करता है। वह अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य की विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति मिलने पर ही कानून बन सकता है।

आपातकाल की अवधि में जिसे 'राष्ट्रपति शासनकाल' कहा जाता है, राज्यपाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण शक्तियों का उपभोग करता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा तभी करता है जब राज्यपाल उस राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की सूचना उसे देता है। इस अवधि में वस्तुतः राज्य सरकार का संचालन राज्यपाल ही करता है।

राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है। व्यवहार में उसकी शक्तियों का प्रयोग मुख्य मंत्री के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद् ही करती है। परंतु राज्यपाल अपनी कुछ शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक भी कर सकता है।

मुख्य मंत्री तथा मंत्रि-परिषद्

संविधान में राज्यपाल को अपनी शक्तियों के प्रयोग में सहायता करने तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् की व्यवस्था की गई है जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होता है। मुख्य मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल विधान सभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्य मंत्री बनाता है। यदि विधान सभा में किसी एक दल का बहुमत न हो तो संयुक्त दलों के नेता को, जो अपना बहुमत स्थापित कर सके अथवा विधान सभा में सबसे बड़े दल के नेता को जो विधान सभा का समर्थन प्राप्त कर सके, मुख्य मंत्री पद पर नियुक्त करता है। मंत्रि-परिषद् के अन्य सदस्यों की नियुक्ति वह मुख्य मंत्री के परामर्श से करता है। व्यवहार में, राज्यपाल में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग मुख्य मंत्री तथा मंत्रि-परिषद् द्वारा किया जाता है।

विधायिका

केंद्र में विधायिका को संसद कहा जाता है। संसद द्विसदनात्मक विधायिका है क्योंकि इसमें दो सदन होते हैं। प्रथम अथवा निचले सदन को लोक सभा अथवा "हाऊस ऑफ पीपुल" कहा जाता है। दूसरा अथवा उच्च सदन राज्य सभा अथवा "काउंसिल ऑफ स्टेट्स" कहलाता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद के दोनों सदनों का गठन भिन्न प्रकार से किया जाता है। उनकी शक्तियां भी समान नहीं हैं।

लोक सभा के सदस्यों की संख्या स्थिर कर दी गई है

संविधान की मूल व्यवस्था में लोक सभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों की संख्या इस प्रकार निश्चित की गई थी कि यथासंभव प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या तथा उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों में एक समान रहे। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण मूल व्यवस्था में निश्चित की गई प्रतिनिधि संख्या में भी वृद्धि होती गई। लोक सभा के सदस्यों की संख्या भी 500 से बढ़कर 550 तक हो गई। जिन राज्यों की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक गति से बढ़ी वे लाभ की स्थिति में हो गए और जिन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया गया वे घाटे में रहे। इसी कारण संविधान के 42वे संशोधन द्वारा 1971 की जनगणना के आधार पर लोक सभा के सदस्यों की संख्या 2001 तक के लिए निश्चित कर दी गई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार स्थिरता की यह सीमा 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई ताकि राज्य की सरकारों को जनसंख्या संतुलित रखने का प्रयास करने की प्रेरणा मिले।

लोक सभा

लोक सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। इसमें 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकते। इनमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों तथा 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है। चुने हुए सदस्यों के अतिरिक्त लोक सभा में मनोनीत सदस्य भी होते हैं। यदि लोक सभा में ऐंग्लो-इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व न मिला हो तो राष्ट्रपति

संसद

इस समुदाय के दो सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भी कुछ सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

सभी भारतीय नागरिकों को, जिनकी आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक है, मत देने का अधिकार है। यही नागरिक लोक सभा के सदस्यों को चुनते हैं। लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

लोक सभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से पांच वर्ष का होता है। आपातकाल में यह कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। किंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद कार्यकाल छः माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। लोक सभा निर्धारित पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी भंग की जा सकती है।

लोक सभा अध्यक्ष (स्पीकर)

लोक सभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष (स्पीकर) तथा एक उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) चुनते हैं। यह अध्यक्ष लोक सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है तथा उसके कार्यों का संचालन करता है। वह किसी भी दल का सदस्य हो सकता है। परंतु एक बार अध्यक्ष हो जाने के बाद वह कार्य का संचालन निष्पक्षतापूर्वक करता है। वह सदन में व्यवस्था बनाए रखता है। सदन में मतदान के समय वह अपना मत नहीं दे सकता है। किंतु यदि दोनों पक्षों के मत बराबर हों तो वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोक सभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है।

राज्य सभा

राज्य सभा संसद का उच्च सदन है। इस सदन के माध्यम से राज्य केंद्र के विधायी क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इसमें अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। उनमें से 238 सदस्य राज्यों तथा केंद्रशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य सभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

राज्य सभा में राज्यों के प्रतिनिधि, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। केंद्रशासित क्षेत्रों में जहां विधान सभाएं नहीं हैं वहां के प्रतिनिधि विशेष निर्वाचक मंडलों द्वारा चुने जाते हैं। राज्य सभा स्थायी सदन है। यह भंग नहीं की जा सकती। प्रत्येक दो वर्ष पर इसके एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल छः वर्ष का होता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारत का उप-राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। राज्य सभा के सदस्य अपने में से एक उपसभापति भी चुनते हैं।

संसद की शक्तियां एवं कार्य

संसद को केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। यह साधारण और धन विधेयक दोनों प्रकार के विधेयक पारित करती है। धन विधेयकों के संबंध में राज्य सभा की अपेक्षा लोक सभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन करने की शक्ति मुख्यतया संसद के पास है। यह भी अनिवार्य है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद द्वारा उसका सत्र प्रारंभ होने पर शीघ्र से शीघ्र अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा को भी संसद का अनुमोदन मिलना आवश्यक है।

संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। भारत का उप-राष्ट्रपति लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। संसद राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर अपदस्थ कर सकती है। उप-राष्ट्रपति को भी राज्य सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर लोक सभा का समर्थन प्राप्त करके हटाया जा सकता है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति द्वारा तभी हटाए जा सकते हैं जब संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें।

संसद कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। यह वह स्थान है जहां सरकार को अपनी नीतियों का लेखा-जोखा देना पड़ता है। जब भी कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो सदस्यगण को सरकारी नीतियों के गुण-दोषों की विवेचना करने का अवसर मिल जाता है। सरकार की नीतियों के विषय में विचार-विमर्श करने के लिए संसद सर्वोच्च संस्था है।

संसद अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए कुछ नियमों का पालन करती है। इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव "अविश्वास प्रस्ताव" होता है। विपक्षी दल इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत

करता है कि लोक सभा का मंत्रि-परिषद् पर विश्वास समाप्त हो गया। यदि सदन का बहुमत प्रस्ताव के विपक्ष में मत देता है तो मंत्रि-परिषद् अपने पद पर बनी रहती है किंतु यदि सदन का बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करता है तो मंत्रि-परिषद् को त्यागपत्र देना पड़ेगा। विश्वास प्रस्ताव पर सरकार सदन से पक्ष में मत देने के लिए कहती है। सामान्यतया इन दोनों स्थितियों में सरकार तथा विपक्ष - दोनों को सरकार की प्रशंसा तथा आलोचना करने का अवसर मिल जाता है।

उपर्युक्त कार्य के अतिरिक्त और भी कई विधियों से संसद सदस्य, सरकार पर नियंत्रण रखते हैं जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि। इन प्रस्तावों में सदस्यगण अध्यक्ष से किसी प्रकरण विशेष पर विचार-विमर्श करने की अनुमति मांगते हैं।

इस संबंध में प्रश्नकाल विशेष तौर पर महत्त्वपूर्ण होता है। चूंकि मंत्रीगण विभिन्न सरकारी विभागों के प्रधान होते हैं इसलिए सदस्यगण उनसे संबंधित विभागों के विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं। सामान्यतया प्रश्न लिखित रूप में पूछे जाते हैं। प्रश्नकर्ता प्रश्न लिखकर सदन के सचिव को दे देता है। सामान्यता मंत्री वांछित सूचना संबंधित विभाग से एकत्र करने के लिए समय मांग लेता है। यदि कोई सदस्य अपने प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने प्रश्न को तारांकित करना होता है। ऐसे प्रश्न "तारांकित प्रश्न" कहे जाते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से वह मंत्री द्वारा सदन में दिए गए उत्तर से संबंधित कुछ अन्य प्रासंगिक सूचना भी मांग सकता है। ऐसे प्रश्नों को "पूरक प्रश्न" कहते हैं। "तारांकित प्रश्नों" के अलावा अन्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। मंत्रियों द्वारा दिए गए इन सभी प्रश्नो तथा पूरक प्रश्नों के उत्तर सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं।

विधायी प्रक्रिया

कानून के प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक तथा धन विधेयक। कोई विधेयक जब तक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से पारित नहीं हो जाता तब तक उसे कानून नहीं कहा जा सकता।

साधारण विधेयक

साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक किसी मंत्री अथवा सदन के किसी अन्य निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक की प्रस्तुति के बाद उसके तीन वाचन होते हैं।

प्रथम वाचन में संबंधित मंत्री अथवा निजी सदस्य सदन से विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगता है। इस स्तर पर किसी प्रकार का वाद-विवाद नहीं होता है। केवल विधेयक का उद्देश्य समझा दिया जाता है।

द्वितीय वाचन के प्रथम चरण में विधेयक पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श किया जाता है। तत्पश्चात् या तो विधेयक एक समिति को सौंप दिया जाता है अथवा उसकी प्रतियां सदस्यों में वितरित कर दी जाती हैं। द्वितीय वाचन में विधेयक की एक एक धारा पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया जाता है।

तृतीय वाचन में विधेयक को अंतिम रूप से स्वीकृति के लिए सदन के सम्मुख रखा जाता है। उसके बाद संपूर्ण विधेयक पर मतदान किया जाता है। यदि विधेयक सदन में साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक को पुनः उसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। जब संसद के दोनों सदन विधेयक को पारित कर देते हैं तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है।

यदि विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आमंत्रित करता है जिसमें बहुमत से निर्णय लिया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा का अध्यक्ष करता है।

दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। यदि विधेयक संशोधन सहित या बिना संशोधन किए पुनः दोनों सदनों से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने के बाद विधेयक कानून बन जाता है।

धन विधेयक

संविधान में धन विधेयक को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। उसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह विधेयक पहले लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है

अथवा नहीं, इसका निर्णय लोक सभा का अध्यक्ष करता है। जब धन विधेयक लोक सभा से पारित हो जाता है तो राज्य सभा के पास भेजा जाता है। अपनी सिफारिशों के साथ राज्य सभा को विधेयक 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करती तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा।

राज्यों की विधायिका

प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होती है। कुछ राज्यों की विधायिका में दो सदन होते हैं। निचले सदन को विधान सभा कहा जाता है और उच्च सदन को विधान परिषद् कहते हैं। अधिकांश राज्यों में एक ही सदन अर्थात् विधान सभा है।

विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं की सदस्य संख्या में भिन्नता है। संविधान की व्यवस्था के अनुसार किसी भी विधान सभा में 500 से अधिक अथवा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 25 वर्ष अथवा उससे अधिक हो, विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है किंतु उसे कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही भंग किया जा सकता है। विधान सभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष (स्पीकर) तथा उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) चुन लेते हैं।

विधान परिषद् का गठन भिन्न प्रकार से होता है। यह राज्य की विधान सभा से बड़ी नहीं हो सकती। इसके 1/3 सदस्य जिला परिषदों (जिला पंचायतों), नगरपालिका परिषदों तथा नगर महापालिकाओं जैसी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा, 1/12 सदस्य राज्य के स्नातकों द्वारा तथा 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालयों, डिग्री कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। शेष 1/6 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज-सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखते हों। भारत का कोई नागरिक जो 30 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु का हो, वह विधान परिषद् का सदस्य चुना जा सकता है। विधान परिषद् एक स्थायी सदन है। प्रत्येक सदस्य छः वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। प्रत्येक दो वर्ष के बाद सदन के एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान पर नव-निर्वाचित सदस्य आते हैं। बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए विधान परिषद् के सदस्य अपनो में से ही एक सभापति तथा एक उपसभापति चुन लेते हैं।

जैसा कि आपने संसद के बारे में पढ़ा है, राज्य की विधायिका में भी विधान सभा, विधान परिषद् की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सदन है। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि किसी साधारण विधेयक को विधान सभा पारित कर दे और विधान परिषद् उसे अस्वीकृत कर दे अथवा उसमें परिवर्तन कर दे या उसे तीन माह के अंदर विधान सभा को वापस न करे तो विधान सभा उसे फिर से पारित कर सकती है। यदि विधान परिषद् उसे पुनः अस्वीकार कर दे अथवा उसमें परिवर्तन कर दे या उसे एक माह तक विधान सभा को वापस न करे तो विधेयक दोनों सदनों से पारित हुआ माना जाएगा। धन विधेयक पहले विधान सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। विधान सभा द्वारा पारित हो जाने के बाद विधेयक विधान परिषद् में भेजा जाता है। यदि विधान परिषद् उस विधेयक को कुछ परिवर्तन के साथ वापस करती है तो विधान सभा उस परिवर्तन को स्वीकार कर सकती है अथवा अस्वीकृत भी कर सकती है। यदि विधान परिषद् 14 दिन तक कोई संस्तुति नहीं करती तो विधेयक दोनों सदनों से पारित हुआ मान लिया जाएगा। राज्य की विधायिका द्वारा पारित किया गया विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।

नौकरशाही

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सरकार की कार्य-प्रणाली में नौकरशाही की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे लोक सेवा भी कहा जाता है। इसके कुछ काम इस प्रकार हैं : राजस्व संग्रह, शांति व्यवस्था बनाए रखना, राजनीतिक कार्यपालिका को प्रशासनिक तथा तकनीकी सहायता देना तथा दिन-प्रति-दिन का प्रशासन करना। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के विकास कार्य भी नौकरशाही द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यह देश के विकास से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सरकार की सहायता करती है। राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात् मंत्रीगण अपने पद पर एक विशेष अवधि तक ही रहते हैं किंतु नौकरशाहों द्वारा स्थायी कार्यपालिका निर्मित होती है। उनके द्वारा सरकार में निरंतरता बनी रहती है। चूंकि उनमें व्यावसायिक क्षमता विकसित होती रहती है इसलिए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन में उनका अत्यधिक सहयोग रहता है। इन लोक सेवकों से

अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखेंगे क्योंकि वे विभिन्न समयों पर विभिन्न दलों की सरकारों से संबंधित रहते हैं।

लोक सेवा आयोग

चूंकि भारत एक संघ है इसलिए लोक सेवकों की भर्ती (चयन) दो स्तरों पर होती है : केंद्र में लोक सेवकों का चयन संघ लोक सेवा आयोग की सहायता से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य के स्तर पर उनका चयन राज्य सरकार के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सहायता से किया जाता है। यद्यपि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा चयन किया जाता है किंतु चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति केंद्र और राज्य, दोनों मे से किसी के अधीन हो सकती है।

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां तथा कार्य क्या हैं?
2. प्रधान मंत्री की शक्तियों तथा कार्यो की विवेचना कीजिए।
3. सरकार की शक्तियां क्या हैं?
4. संसद की शक्तियो और कार्यो की विवेचना कीजिए।
5. संसद में साधारण विधेयक किस प्रकार पारित होता है?
6. राज्य में विधान परिषद् का गठन किस प्रकार होता है?
7. साधारण विधेयक तथा धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया के दो प्रमुख अंतर लिखिए।
8. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
   (i) उप-राष्ट्रपति।
   (ii) संघ की मंत्रि-परिषद्।
   (iii) लोक सभा का अध्यक्ष।
   (iv) राज्य की विधायिका।

परियोजना कार्य

- विद्यालयों में युवा संसद का एक अधिवेशन आयोजित किया जाए। इस कार्य को करने से पहले छात्रों को भली-भांति समझा दिया जाए कि लोक सभा की कार्यवाही किस प्रकार होती है।
- छात्रो को राज्य की विधान सभा अथवा संसद के प्रश्नकाल का अवलोकन करने का अवसर दिया जा सकता है। उनसे अपने अनुभवों की आख्या तैयार करने को कहा जाए तथा उस आख्या से अन्य छात्रों को भी अवगत कराया जाए।
- छात्र किसी ब्लॉक अथवा जिला मुख्यालय में जाकर प्रखंड विकास अधिकारी (B.D.O.) अथवा उप-जिलाधिकारी से उनके कार्य करने के तरीकों के विषय में विचार-विमर्श करें।

भारत की न्यायपालिका

भारत की संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां पर केंद्र तथा राज्यों की सरकारें एक ही समय में साथ-साथ काम करती हैं। संविधान में केंद्र तथा राज्यों के कार्य-क्षेत्रों का विभाजन कर दिया गया है। इसके लिए तीन सूचियां बनाई गई हैं : संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। परंतु फिर भी विभिन्न प्रकार की सरकारों के बीच विवाद की संभावना बनी रहती है। ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है। भारत के संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों या राज्यों के आपसी विवादों का निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका की यह भी जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के अधिकारों का सम्मान एवं सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। वह यह भी देखे कि सरकारें अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य न करें। भारत की न्याय-व्यवस्था अन्य संघ-राज्यों से भिन्न है। भारत में संपूर्ण देश के लिए एकीकृत न्याय-व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय का भारत की न्याय-व्यवस्था में शीर्ष स्थान है। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की व्यवस्था है और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं।

सर्वोच्च न्यायालय

भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इन नियुक्तियों में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श लेता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लिया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय

न्यायाधीशों की योग्यताएं

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है तथा वह किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में वह ख्याति-प्राप्त विधिवेत्ता हो। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है।

पदच्युति

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक विशेष प्रक्रिया द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन एक ही सत्र में उसके व्यवहार तथा कार्यक्षमता से संबंधित प्रमाणों के आधार पर पदच्युति का प्रस्ताव पारित करें तो किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। पदच्युति का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से जो सदन की कुल संख्या का भी बहुमत हो, पारित होना चाहिए।

वेतन व भत्ते

भारत का मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रतिमाह 33,000 रु. है। अन्य न्यायाधीशों का वेतन 30,000 रु. है। उनको कुछ भत्ते तथा अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। सामान्यतया कार्यकाल में उनके वेतन तथा अन्या सुविधाओं में कटौती नहीं की जा सकती। अवकाश प्राप्त करने के बाद वे किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते।

क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तीन प्रकार के होते हैं – *प्रारंभिक, अपीलीय* तथा *परामर्श संबंधी* ।

प्रारंभिक क्षेत्राधिकार

उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित प्रकार के विवादों के संबंध में व्यापक अधिकार प्राप्त हैं :

(i) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।

(ii) एक ओर भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों की सरकारों और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों की सरकारों के बीच विवाद।

(iii) दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद।

अपीलीय क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय में तीन प्रकार के वादों की अपील की जा सकती है। प्रथम, उच्च न्यायालय के किसी निर्णय के विरूद्ध उस दशा में अपील की जा सकती है जब उच्च न्यायालय इस आशय का प्रमाणपत्र दे दे कि उस प्रकरण में संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित है। द्वितीय, दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय के विरूद्ध अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय इस आशय का प्रमाणपत्र दे दे कि संबंधित मामले में सारगर्भित कानूनी प्रश्न निहित है। तृतीय, फौजदारी मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील की जा सकती है। यदि किसी फ़ौजदारी मामले में नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को निर्दोष घोषित करके छोड़ देने का आदेश दिया हो परंतु अपील होने पर उसी मामले में उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड की सज़ा दी हो या जब उच्च न्यायालय ने किसी फौजदारी मुकदमें को उसके निर्णय के पहले ही अपने पास मंगा कर उस मामले मे अपराधी को मृत्युदंड देने का निर्णय किया हो, तो ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय स्वयं निचले न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि किसी न्यायालय में चल रहे किसी मुकदमें में कानून की व्याख्या में सारगर्भित प्रश्न निहित है तो वह उसे अपने पास मंगवा सकता है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि भी कर सकती है।

परामर्श का क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का भी अधिकार है। देश का सर्वोच्च न्यायालय होने के कारण राष्ट्रपति किसी मामले में इस न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि किसी न्यायलय में कानूनी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रश्न आया हो अथवा उसके आने की संभावना है तो वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों पर विचार करके अपनी सलाह राष्ट्रपति को देगा । परंतु उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय देश भर में सरकार को लागू करने पड़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य नागरिकों के संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में न्याय के लिए जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के रक्षक के रूप में शक्ति प्रदान करता है।

अभिलेख न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका अर्थ यह है कि इस न्यायालय के सभी निर्णयों को अभिलेख (रेकार्ड) के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इन निर्णयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में पूर्ववर्ती उदाहरण (नज़ीर) के रूप में उद्धृत किया जाता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो वह अपनी मानहानि के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है।

उच्च न्यायालय

साधारणतया प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। किंतु दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। उदाहरण के लिए, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है।

उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। अन्य न्यायाधीश भी इसी

प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। परंतु उनकी नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह ली जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत होते हैं। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। न्यायाधीश अपने पद से उसी प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए जा सकते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पदच्युत किए जा सकते हैं।

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह दस वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो अथवा दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो या राष्ट्रपति की दृष्टि में ख्याति-प्राप्त विधिवेत्ता हो। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह 30,000 रु. तथा अन्य न्यायाधीशों को 26,000 रु. प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। साधारणतया उनके कार्यकाल में उनके वेतन व भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती।

क्षेत्राधिकार

उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तीन प्रकार के हैं – *प्रारंभिक, अपीलीय* तथा *प्रशासनिक*। यदि किसी व्यक्ति, अधिकारी अथवा सरकार द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है तो *प्रारंभिक क्षेत्राधिकार* के अंतर्गत उच्च न्यायालय उससे संबंधित निर्देश, आदेश या 'रिट' जारी कर सकता है। संसद अथवा विधान सभा या स्थानीय स्वशासन संस्था के निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह न्यायालय, दीवानी और फ़ौजदारी मामलों का भी निर्णय करता है। इसे *अपीलीय क्षेत्राधिकार* भी प्राप्त हैं जिनके अंतर्गत यह दीवानी और फ़ौजदारी मामलों में अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। *प्रशासनिक क्षेत्राधिकार* के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय *अभिलेख* का भी न्यायालय है यह अपने निर्णयों का अनुपालन न करने वाले व्यक्ति को अपनी मानहानि के लिए दंडित कर सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय

कुछ मामूली स्थानीय भिन्नताओं के अलावा पूरे देश में अधीनस्थ न्यायालयों का गठन तथा कार्य एक समान है। सभी अधीनस्थ न्यायालय संबंधित उच्च न्यायालय की देख-रेख में कार्य करते हैं। प्रत्येक जिले में दीवानी और फ़ौजदारी अदालतें हैं। जिले में जिला न्यायाधीश की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। जिले का न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे *जिला न्यायाधीश* कहा जाता है और जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे *सत्र न्यायाधीश* कहा जाता है। इन न्यायालयों के अलावा उप-न्यायाधीश (सब-जज), मुंसिफ के न्यायालय तथा लघुवाद संबंधी न्यायालय भी होते हैं। जिले में द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के भी दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) होते हैं।

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है। कोई भी व्यक्ति जो सात वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो अथवा जो संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका हो, उसे जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य पदों पर नियुक्तियां उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऐसी नियुक्तियों के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम तीन वर्ष तक वकालत करने का अनुभव होना आवश्यक है। जिला न्यायाधीश, उप-न्यायाधीश के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है। यह संपत्ति, विवाह तथा तलाक के मुकदमों को सुनता है। ऐसे मामलों में ज़िला न्यायालय, अवयस्क तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के संरक्षण के विषय में अपने अधिकारों का प्रयोग करता है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता

लोकतांत्रिक व्यवस्था में विशेषकर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा को देखते हुए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्र रहे। न्यायपालिका में सरकार के प्रति पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर भली-भांति सुनिश्चित की गई प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है। उन्हें कार्यपालिका द्वारा मनमाने ढंग से हटाया नहीं जा सकता। उनकी नियुक्ति निश्चित समय के लिए की जाती है। उनके पारिश्रमिक तथा सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीशों द्वारा उनके पद से

संबंधित कर्तव्यों के बारे में संसद अथवा विधान सभा में चर्चा नहीं की जा सकती। उनके कार्यकाल में उनके वेतन-भत्तों में उनके हितों के विरुद्ध परिवर्तन अथवा कमी नहीं की जा सकती।

लोक अदालतें तथा जनहित याचिकाएं

निर्धन तथा दलित वर्ग को शीघ्र तथा सुगमतापूर्वक न्याय दिलाने के लिए हमारे देश में एक नई व्यवस्था प्रारंभ की गई है। न्याय में विलंब समाप्त करने के लिए लोक अदालतों तथा जनहित याचिकाओं की व्यवस्था की गई हैं। लोक अदालतें लंबित प्रकरणों का शीघ्र ही निराकरण कर देती हैं। ये ऐसे मामलों का भी निपटारा कर देती हैं जो न्यायालयों में प्रस्तुत तक न किए गए हों। उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था करके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। इस व्यवस्था में व्यक्ति आवेदन पत्र देकर अथवा पोस्टकार्ड पर डाक द्वारा अपनी शिकायत भेज सकता है और उस संबंध में आवश्यक आदेश पारित किए जाते हैं।

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है ?
2. उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए।
3. उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है ?
4. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।
5. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
   - (i) उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार
   - (ii) अधीनस्थ न्यायालय
   - (iii) अभिलेख न्यायालय
   - (iv) न्यायपालिका की स्वतंत्रता
   - (v) लोक अदालत

परियोजना कार्य

- छात्रों को उपमंडलीय / जिला कार्यालय / उच्च न्यायालय ले जाया जाए जहां वे न्यायालय की कार्य-प्रणाली का अवलोकन करें तथा उसकी आख्या तैयार करें। विद्यालय के अन्य छात्रों के साथ उसकी चर्चा भी करें।

मूल अधिकार, राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व तथा मूल कर्तव्य

क्या आप जानते हैं कि चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों तथा अन्य खतरे वाले स्थानों पर काम करते हैं ? क्या आप ऐसे स्थानों पर बच्चों के काम पर लगाए जाने का विरोध नहीं करना चाहेंगे? आप ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं ?

नीचे की कक्षाओं में आपने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के विषय में पढ़ा है। संकट के समय में ये मूल अधिकार आपकी रक्षा कर सकते हैं। ये मूल अधिकार क्या हैं ?

लोकतांत्रिक देश होने के कारण यहां के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हें अभिव्यिक्ति की स्वतंत्रता है। संविधान में 'छः' मूल अधिकारों का आश्वासन दिया गया है। ये अधिकार संविधान के अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग हैं। संविधान में वर्णित मूल अधिकार निम्नलिखित हैं :

(i) समता का अधिकार
(ii) स्वतंत्रता का अधिकार
(iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(iv) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
(v) संस्कृति और शिक्षा-संबंधी अधिकार
(vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

ये अधिकार 'मूल' क्यों कहे जाते हैं ?

ये अधिकार मौलिक एवं आधारभूत हैं। सभी व्यक्तियों को इनका उपभोग करने का अधिकार है। ये अधिकार संविधान द्वारा आश्वासित किए गए हैं। लोकतांत्रिक देश के प्रत्येक नागरिक के संतुलित एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए ये अधिकार नितांत आवश्यक हैं। मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया संविधान में दी गई है। यदि किसी नागरिक को इन अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। ये कुछ महत्त्वपूर्ण कारण हैं जो इन अधिकारों को मौलिक बनाते हैं ताकि बच्चों का अच्छे मानव के रूप में विकास हो सके।

समता का अधिकार

संविधान में इस बात का आश्वासन दिया गया है कि राज्य के सभी नागरिकों को कानून का संरक्षण समान रूप से प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, समता के अधिकारों में यह बात निहित है कि जाति, लिंग, जन्मस्थान, वर्ण अथवा धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। नियुक्तियां करने में भी राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। सभी व्यक्ति सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। परंतु समता के अधिकार के कुछ अपवाद भी हैं। समता के अधिकार के आश्वासन के बावजूद सरकारी सेवाओं में आरक्षण के रूप में विशेष प्रावधान किया गया है। आरक्षण की यह व्यवस्था अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए की गई है। इसी प्रकार स्त्रियों तथा बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। हमारे समाज में आज भी विभिन्न प्रकार की असमानताएं मौजूद हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि किस प्रकार कुछ लोग असमानता के व्यवहार का शिकार होते हैं। वस्तुतः विशेष प्रावधानों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी के स्तर पर लाकर उन्हें अन्य लोगों की समानता पर लाने का प्रयास किया गया है।

समता के अधिकार के अंतर्गत हमारे संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। अस्पृश्यता को अपराध माना गया है। अस्पृश्यता को व्यवहार में लाने वाले व्यक्ति को कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। इसी अधिकार के अंतर्गत सेना और शिक्षा की उपाधियों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की उपाधियों की परंपरा समाप्त कर दी गई है।

स्वतंत्रता का अधिकार

स्वतंत्रता का अधिकार वस्तुतः निम्नलिखित छः अधिकारों का समूह है :

(i) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(ii) बिना शस्त्र लिए हुए शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता
(iii) समुदाय अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता
(iv) भारत राज्य के किसी क्षेत्र में स्वेच्छा से कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता
(v) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता
(vi) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार तथा कारोबार करने की स्वतंत्रता।

इसके अतिरिक्त, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को प्राण तथा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाया गया है।

स्वतंत्रता का अधिकार कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण अधिकारों का आश्वासन देता है। किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के समय प्रचलित कानून द्वारा निश्चित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को छोड़ कर अन्य किसी प्रकार से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को उसके जीवन तथा स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जाएगा जब उसने कानून का उल्लंघन किया हो या कोई अपराध किया हो। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बंदी बनाए जाने पर किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता के माध्यम से अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी। बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित करना होगा। परन्तु इस सामान्य व्यवस्था का एक अपवाद भी है। निवारक निरोध के अंतर्गत सरकार कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किए बिना बंदी बना सकती है। यह निवारक निरोध क्या है ? इसका अर्थ यह है कि यदि सरकार को संदेह हो कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहते हुए शांति व्यवस्था अथवा देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है तो उस संभावित खतरे को रोकने के लिए उस व्यक्ति को नज़रबंद या गिरफ्तार किया जा सकता है। परंतु ऐसा तीन माह से अधिक के लिए नहीं किया जा सकता। तीन माह के पश्चात् निवारक निरोध के मामले को समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा।

संविधान द्वारा इन अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा अखंडता के हित में सरकार इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसी प्रकार सरकार नैतिकता तथा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था के हित में भी स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

क्या आपने कभी 'बलात् श्रम' अथवा 'बेगार' शब्द सुना है ? प्रारंभिक समय में जमींदार लोग या अन्य धनी वर्ग के लोग साधारण व्यक्तियों से बिना पारिश्रमिक दिए हुए काम करवाया करते थे। इसी को 'बलात् श्रम' या 'बेगार' कहा जाता था क्योंकि इस श्रम के बदले में कोई मज़दूरी नहीं मिलती थी। अब बेगार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है जो कानून द्वारा दंडनीय है।

संविधान ने 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक स्थानों में काम करवाना वर्जित कर दिया है। बच्चे समाज की सम्पत्ति हैं। अतः जब तक वे छोटे हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त करने तथा आनंदपूर्ण बचपन बिताने का अवसर दिया जाना चाहिए। व्यवहार में हम उनको बहुत कम वेतन पर काम करता हुआ देखते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बालश्रम सस्ता होता है। बच्चे व्यस्कों के बराबर काम नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें कम वेतन दिया जाता है। यह संविधान में दिए गए प्रावधानों और भावनाओं का घोर उल्लंघन है। आधुनिक काल में व्यक्तियों को इस कार्य के प्रति सतर्क और जागरूक होने तथा इसके विरुद्ध जनमत निर्मित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार का शोषण नागरिक चेतना द्वारा कम किया जा सकता है। ऐसी चेतना से बच्चों के अधिकारों का संरक्षण होगा। आधुनिक काल के बच्चों के संरक्षण के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार कानूनी शस्त्र की भांति है। यह कानूनी शस्त्र इसलिए है क्योंकि यदि इस अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को धर्मपालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे तथा किसी भी धर्म को दूसरे धर्म पर वरीयता नहीं दी जाएगी। नागरिक अपने धर्म पालन के लिए स्वतंत्र होंगे। इस अधिकार का सबसे मुख्य उद्देश्य देश में पंथ-निरपेक्षता के सिद्धांत को प्रोत्साहित करना है। राज्य द्वारा संचालित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक संप्रदाय अपनी निजी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। वस्तुतः अनेक शिक्षण संस्थाएं इस प्रकार के दान से ही संचालित की जाती हैं। परंतु इन संस्थाओं के क्रियाकलापों का आधार धर्म नहीं हो सकता। वहां के क्रियाकलाप सरकार द्वारा निश्चित किए गए नियमों के अनुसार ही संपन्न किए जाते हैं। परोपकारी संस्थाओं की स्थापना को सार्वजनिक कानून-व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

भारत अनेक धर्मों, भाषाओं तथा संस्कृतियों का देश है। इसलिए संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। किसी भी समुदाय को

अपनी भाषा तथा अपनी लिपि की रक्षा करने का अधिकार है। सरकारी संस्थाओं तथा सरकार द्वारा अनुदानित संस्थाओं में किसी नागरिक के प्रवेश में भाषा अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाषा या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक माने जाने वाले समुदाय अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। यह कार्य उनकी अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं विकास में सहायक होते हैं।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

संवैधानिक उपचारों का अधिकार अत्यंत विशेष प्रकार का अधिकार है। यह अधिकार नागरिकों को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि इन मूल अधिकारों में से किसी भी अधिकार को वंचित किए जाने की दशा में न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इन अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय एक प्रहरी की भांति होता है। यदि सरकार किसी नागरिक के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग अन्यायपूर्ण ढंग से करती है अथवा उसे गैर-कानूनी ढंग से बिना किसी कारण के दंडित करती है अथवा बंदी बना लेती है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पीड़ित व्यक्ति को सरकार द्वारा किए गए ऐसे कार्य के विरुद्ध न्यायालय से न्याय पाने में सशक्त बनाता है।

संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए बंदी बनाए जाने की स्थिति में नागरिक न्यायालय से प्रार्थना-पत्र देकर पूछ सकता है कि क्या उसकी गिरफ्तारी देश के कानून के अनुकूल है? यदि न्यायालय समझता है कि ऐसा नहीं है, तो उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा। नागरिकों द्वारा मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय की शरण में जाने की विभिन्न विधियां हैं। इसके लिए न्यायालय विभिन्न प्रकार की रिट जारी करता है। ये रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा तथा उत्प्रेषण कहे जाते हैं। अन्य मूल अधिकारों की भांति संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में भी एक महत्त्वपूर्ण अपवाद है। जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो केंद्र सरकार द्वारा यह अधिकार निलंबित कर दिया जाता है। आपातकाल के बाद यह अधिकार फिर से प्रभावी हो जाता है।

राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व

"लोकतन्त्र" केवल राजनीतिक शब्द नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ "जनता की सरकार" अथवा "जनता के प्रतिनिधियों की सरकार" जैसे अर्थों से कहीं अधिक व्यापक है। लोकतंत्र का उद्देश्य ऐसी सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं का सृजन करना है जिनमें रहकर कोई नागरिक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। इस दिशा में संविधान में दिए गए नीति-निदेशक तत्त्व महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति-निदेशक तत्त्व वस्तुतः केंद्र तथा राज्यों की सरकारों को संविधान द्वारा दिए गए वे निर्देश हैं जिनके आधार पर ये सरकारें ऐसी नीतियां बनाएंगी जो देश में न्यायसंगत समाज की स्थापना करने में सहायक होंगी। इनमें से कुछ सिद्धांत सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों के रूप में हैं। नीति-निर्देशक तत्त्वों की सूची में काम पाने का अधिकार, चौदह वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा जीविका के पर्याप्त साधन पाने का अधिकार सम्मिलित हैं। ये अधिकार बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं और आज के भारतीय नागरिकों को इनके उपभोग की बड़ी आवश्यकता है।

सभी नीति-निदेशक तत्त्वों का स्वरूप सामाजिक एवं आर्थिक नहीं है। उनमें से कुछ विभिन्न मामलों में सरकार को दिए गए निर्देश हैं। उदाहरण के लिए संविधान में कहा गया है कि राज्य संपत्ति को केंदित होने से रोकने का प्रयास करेगा। राज्य सुनिश्चित करेगा कि कारखानों से संबंधित निर्णय लेने में वहां के श्रमिकों की भी भागीदारी हो। राज्य, पंचायती राज संस्थाओं की उन्नति तथा उनका विकास करेगा। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पशुपालन की उन्नति करेगा तथा गाय और अन्य दुधारू पशुओं के वध तथा मद्यपान को रोकने का प्रयास करेगा। कुटीर उद्योगों की उन्नति, वन, देश के वन्यजीवों तथा प्राचीन स्मारकों की रक्षा की भी आवश्यकता है। अंततः, महत्त्वपूर्ण बात यह है की राज्य को सदैव ऐसी नीतियों का पालन करना चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास हो सके तथा विश्वशांति बनी रहे।

क्या नीति-निदेशक तत्त्वों से वंचित किए जाने पर कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है?

इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। मूल अधिकारों तथा नीति-निदेशक तत्त्वों में अंतर है। मूल अधिकार से वंचित किए जाने पर व्यक्ति न्याय के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है परंतु क्या इसका अर्थ यह है कि नीति-निदेशक तत्त्व निरर्थक तथा संविधान की सजावट मात्र है? पुनः इसका उत्तर नकारात्मक है। क्या दोनों कथनों में विरोधाभास है? नहीं, ऐसा नहीं है। नीति-निदेशक तत्त्व ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिससे नागरिकों का जीवन सुविधापूर्ण तथा सार्थक बनता है। यदि सरकार इन दशाओं का सृजन करने में असफल रहती है तो नागरिकों को स्वतंत्रता रहती है कि आगामी निर्वाचन में उसके विरुद्ध मतदान करके नई सरकार निर्वाचित करें। मतदाता की इस शक्ति के कारण

नीति-निदेशक तत्त्व यथार्थ में बदल जाते हैं। इस इक्कीसवीं सदी में, नागरिक मानवों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार के प्रति सचेत हैं। अतः हमारे नीति-निर्माताओं को इस स्थिति को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण करना चाहिए ताकि हमारा जीवन जीने योग्य बन जाए। केवल मूल अधिकारों से ही नहीं बल्कि उनके साथ-साथ नीति-निदेशक तत्त्वों का सामंजस्य स्थापित करके सरकार ऐसे समाज का सृजन कर सकती है जिसमें न्याय तथा कल्याण का वातावरण सुनिश्चित हो सके।

मूल कर्तव्य

मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए संवैधानिक दायित्व हैं। वस्तुतः ये सामाजिक और नैतिक दायित्व देश की शांति एवं उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए है।

मूल कर्तव्य संविधान में 1976 में सम्मिलित किए गए। इन कर्तव्यों का प्रयोजन नागरिकों में देशभक्ति की भावना में वृद्धि करना, राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना, देश की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा करने के लिए आचार संहिता का पालन कराना तथा समरसता की भावना विकसित करना है।

इन मूल कर्तव्यों के अनुपालन द्वारा नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे - (i) संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र-ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें; (ii) स्वतंत्रता संग्राम के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें; (iii) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे ; (iv) देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें ; (v) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं ; (vi) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें; (vii) प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे ; (viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें; (ix) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें ; (x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई-नई ऊंचाइयों को छू ले; (xi) यदि माता–पिता या संरक्षक है, छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. अधिकारों को मूल क्यों कहा जाता है?
2. समता के अधिकार के किन्हीं दो अपवादों का उल्लेख कीजिए।
3. राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों में से किन्हीं पांच तत्त्वों का उल्लेख कीजिए।
4. राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व किस प्रकार अत्यंत प्रभावशाली हो सकते हैं?
5. संविधान में मूल कर्तव्यों को क्यों सम्मिलित किया गया है?
6. किन्हीं पांच मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजए।
7. "स्वतंत्रता का अधिकार छः स्वतंत्रताओं का समूह है।" इस कथन की व्याख्या कीजिए।
8. "संवैधानिक उपचारों का अधिकार अत्यंत विशिष्ट अधिकार है।" इस अधिकार की विशिष्टता क्या है?
9. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
   - (i) शोषण के विरुद्ध अधिकार
   - (ii) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
   - (iii) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

परियोजना कार्य

- भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों तथा मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की धाराओं का तुलनात्मक चार्ट बनाइए।

भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार कार्य करता है

सार्वभौम वयस्क मताधिकार

आपकी दृष्टि इस वाक्य पर अवश्य पड़ी होगी कि भारत विश्व का विशालतम लोकतंत्र है। पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान के आधारभूत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत लोकतंत्र का सिद्धांत भी है। भारत का लोकतंत्र विश्व में विशालतम इसलिए है कि सरकार को निर्वाचित करने वाले भारतीय मतदाताओं की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। आपको विदित है कि जनता केवल केंद्र सरकार का ही निर्वाचन नहीं करती है बल्कि राज्य सरकारों तथा स्थानीय स्तर की सरकारों का भी निर्वाचन करती है। संविधान की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करते समय आपने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के विषय में भी पढ़ा होगा।

संविधान सभा का सबसे अधिक साहसपूर्ण कार्य भारतवासियों के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार करना और उसे अंगीकृत करना था। संविधान सभा का यह कार्य अत्यंत साहसिक इसलिए था क्योंकि उस समय का भारत अधिकांशतः निरक्षर, निर्धन तथा रूढ़िवादी व्यक्तियों का देश था। निरक्षर, निर्धन और रूढ़िवादी व्यक्तियों को अपनी सरकार निर्वाचित करने का अधिकार देना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। भारत सही अर्थ में एक लोकतंत्र के रूप में उभरकर आया जहां वयस्क मताधिकार के आधार पर 13 आम चुनाव हो चुके हैं।

संविधान सुनिश्चित करता है कि भारत के लोग स्वतंत्र एवं समान हैं और उन्हें जाति, धर्म, रंग, लिंग अथवा जन्म स्थान का भेद किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वयस्क मताधिकार की प्रणाली "एक व्यक्ति एक वोट" के सिद्धांत पर आधारित है। यह देश में राजनीतिक समानता सुनिश्चित करती है। संविधान में निहर्ताओं का उल्लेख है। जो लोग दिवालिया या मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है।

लोकतंत्र का प्रभावी ढंग से कार्य करना नागरिकों की गुणवत्ता पर निर्भर है। सरकार का निर्वाचन करने वालों को सदैव जागरूक रहना चाहिए और उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उन्हें अपने देश तथा विश्व की अद्यतन घटनाओं से अवगत रहना चाहिए। यह आवश्यक है कि वे अपनी ज्ञानवृद्धि के लिए समाचारपत्रों, रेडियो, टेलीविजन, सार्वजनिक सभाओं तथा अन्य प्रचार-प्रसार के साधनों का उपयोग करें। दुर्भाग्य यह है कि यद्यपि वयस्क मताधिकार प्रत्येक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले नागरिकों को वोट देने को अधिकृत करता है तथापि सभी नागरिक अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करते। कुछ लोग आलस्य के कारण और कुछ मात्र उदासीनता के कारण अपना वोट डालने नहीं जाते। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतदान केंद्र पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वे किसी भी प्रत्याशी को नहीं जानते। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं जो नागरिकों को मतदान से विमुख करते हैं। मतदाताओं का यह आचरण लोकतंत्र को कमज़ोर बनाता है। नागरिकों को यह स्मरण रखना चाहिए कि निर्वाचनों में मतदान करना नागरिकों का अधिकार ही नहीं है, यह उनका कर्तव्य भी है।

पता करो कि तेरहवें आम चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना था ?

एक महिला मतदाता अपना वोट डाल रही है

जनमत

लोकतंत्र में विभिन्न समस्याओं पर जनता का मत ज्ञात किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता का आधार जनता है। अधिकांशतः यह जनमत पर निर्भर है। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में प्रत्येक सरकार को अपनी नीतियों के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया जानना आवश्यक होता है। कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि वह एक ही बार सत्ता में आए। वस्तुतः वह सत्ता में बनी रहना चाहती है। दुबारा सत्ता में आना आगामी चुनाव पर निर्भर है और यह इस बात पर निर्भर है कि सत्ता में रहकर उसके द्वारा किए गए कार्यों के विषय में जनता की प्रतिक्रिया क्या है। सत्ता में आने, सरकार बनाने तथा आगामी वर्षों में सत्ता में बने रहने के लिए सुदृढ़ जनमत की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। जनमत ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि सरकार न तो कुशासन कर सकती है और न देश की उपेक्षा कर सकती है। जागरूक एवं प्रबुद्ध जनता यदि भली-भांति तथ्यों से अवगत रहती है, तो वह किसी भी सरकार से उपेक्षित नहीं रह सकती है। सरकार यह भी जानती है कि इस प्रकार जागरूक जनता की भावनाओं की उपेक्षा करने से वह तुरंत अलोकप्रिय हो जाएगी और अगले चुनाव में उसकी सत्ता में आने की संभावना क्षीण हो जाएगी।

जनमत निर्माण के साधन

जनमत निर्माण में सहायक विभिन्न साधन इस प्रकार हैं :

प्रिंट मीडिया

आजकल लोग विश्व की घटनाओं की जानकारी दो प्रकार के साधनों से प्राप्त करते हैं। प्रिंट मीडिया (छापेखाने द्वारा मुद्रित सामग्री) से तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा प्रसारित सूचनाओं) से। समाचारपत्र, मैगज़ीन तथा पत्रिकाओं में विश्व के समाचार छपते रहते हैं। जनमत अधिकतर प्रेस (समाचारपत्र) पर निर्भर है। समाचारपत्रों में प्रकाशित सूचनाएं यदि सही ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं तो वे सही प्रकार का जनमत निर्माण करने में सहायक होती हैं। एक ही घटना के विषय में भिन्न-भिन्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। किंतु महत्त्वपूर्ण बात यह है कि तथ्यों का सही-सही उल्लेख किया जाए। तथ्यों का सही विवरण दिया जाना प्रेस (समाचारपत्रों) की स्वतंत्रता पर निर्भर है। कभी-कभी प्रेस व्यक्तिनिष्ठा तथा पूर्वाग्रह से प्रभावित समाचार प्रकाशित कर देते हैं।

किसी गलत प्रकाशित समाचार का उदाहरण दीजिए और उसके प्रभावों पर विचार-विमर्श कीजिए।

कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब सरकार अनावश्यक रूप से प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करती है। इससे समाचारों के स्वतंत्र प्रसार में बाधा पड़ती है। प्रेस के माध्यम से सरकार केवल अपने कार्यों और उपलब्धियों का ही प्रचार करेगी। सरकार नहीं चाहेगी कि उसकी असफलताओं और अलोकप्रिय कार्यों की जानकारी साधारण जनता को हो सके। ऐसी स्थिति में नागरिकों को सरकार की नीतियों और कार्यों के विषय में आंख और कान खुले रखने पड़ेंगे। उन्हें यह देखना होगा कि प्रेस की स्वाधीनता पर नियंत्रण न होने पाए और उन्हें विकृत समाचार के स्थान पर संतुलित समाचार प्राप्त हो सकें। समाचारपत्रों के अतिरिक्त पत्रिकाओं की भूमिका भी जनमत निर्माण में समान रूप से महत्त्वपूर्ण है चाहे वे साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक अथवा त्रैमासिक हों। भारत जैसे देश में जहां क्षेत्रीय भाषाएं भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, विश्व की घटनाओं को प्रकाशित करने में क्षेत्रीय भाषाओं की पत्रिकाओं की भी भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है।

दो अंग्रेजी तथा दो हिंदी की पाक्षिक पत्रिकाओं के नाम बताइए।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

जनमत निर्माण में रेडियो, टेलीविज़न या सिनेमा के महत्त्व की उपेक्षा विशेषकर भारत जैसे देश में जहां निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची है, नहीं की जा सकती। वस्तुतः समाचार-पत्रों अथवा पत्रिकाओं की अपेक्षा रेडियो की पहुंच कहीं अधिक घरों में है। जो लोग पढ़ नहीं सकते, उनके लिए रेडियो या टेलीविज़न वरदान स्वरूप है। जो सुनना चाहते हैं वे रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं। आपने समाचार सुनने के लिए लोगों को पान या चाय की दुकानों या ग्रामों, छोटे नगरों अथवा बड़े नगरों के सामुदायिक केंद्रों पर भीड़ लगाते देखा होगा। कभी-कभी आपने यह भी देखा होगा कि लोग गांवों की चौपालों में चुनाव का नतीजा सुनने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। वे केवल नतीजे ही नहीं सुनते बल्कि प्रतिक्रिया स्वरूप अपना निजी मत भी व्यक्त करते हैं, जो जनमत निर्माण में सहायक होता है।

एक अन्य साधन टेलीविज़न है जो न केवल देश-विदेश की खबरें देता है बल्कि लोगों का मनोरंजन भी करता है। एक समय था जब लोग फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाया करते थे। अब लोगों के पास विकल्प है। चाहे वे फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाए अथवा घर में बैठ कर टेलीविज़न में देखें। किंतु आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं। सिनेमा में अस्पृश्यता, जातिवाद, दहेज़ प्रथा, गरीबी अथवा लिंगभेद आदि की समस्याओं का भी चित्रण रहता है। हम जो कुछ भी सिनेमा या टेलीविज़न सीरियल में देखते हैं, वह हमारे मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ जाता है और हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप, यह स्वस्थ अथवा हानिप्रद जनमत का निर्माण कर सकता है। इन साधनों (मीडिया) के हानिप्रद प्रभावों को नियंत्रित करने तथा उन्हें रचनात्मक रूप से अधिक सार्थक बनाने के लिए उपाय करने होंगे। इनके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों तथा राजनीतिक दलों की भी जनमत निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके विषय में आप आगे पढ़ेंगे।

लोकतंत्र में शासक (सरकार) तथा शासित (जनता) दोनों को धैर्यवान तथा सहिष्णु होना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि जनमत को महत्त्व दे। जनता को भी चाहिए कि वह विचारों की विभिन्नता को सहन करे तथा दूसरों के विचारों का सम्मान करे। तभी जनमत निर्माण के विभिन्न माध्यमों से सभी वर्गों के विचारों की अभिव्यक्ति हो पाएगी। लोकतंत्र में कोई राजनीतिक दल सदा के लिए सत्ता में नहीं रह सकता है। यह भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता कि चुनावों का नतीजा क्या होगा। बहुमत वाला दल आगामी चुनाव में अल्प मत में आ सकता है। जनता का मत क्या होगा - यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

निर्वाचन

यह कहा जाता है कि चुनाव लोकतंत्र का मापन यंत्र है और राजनीतिक दल तथा प्रत्याशीगण निर्वाचन की जीवनरेखा हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, निर्वाचन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करते हैं। निर्वाचन राजनीति की नई प्रवृत्तियों को जन्म देता है जिनसे देश का भविष्य-पथ निर्मित होता है। निर्वाचन के समय निर्वाचकों को भी देश के सामाजिक-आर्थिक परिवेश का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार निर्वाचन एक ऐसा परिदृश्य प्रस्तुत करता हैं जहां मतदाताओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंग से मतदान करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

निर्वाचन जनता का समर्थन पाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य होने वाली प्रतियोगिता है। कभी-कभी व्यक्ति निर्दलीय होकर चुनाव लड़ सकता है। जो भी राजनीतिक दल सबसे अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त करता है, वही सत्तारूढ़ होता है और सरकार बनाता है। परन्तु कभी-कभी ऐसा भी होता है जब किसी एक दल को विधायिका में बहुमत नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में एक से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब सर्वाधिक मत पाने वाला दल किसी एक अन्य दल अथवा दलों के बाह्य समर्थन से सरकार बना लेता है।

पता करिए कि केंद्र में वर्तमान सरकार का गठन किस प्रकार हुआ ?

कुछ भी हो, राजनीतिक दलों को निर्वाचन के द्वारा जनता का समर्थन प्राप्त करना ही होता है। चुनाव सार्वभौम मताधिकार प्रणाली के आधार पर लड़ा जाता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं।

आम चुनाव, उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव

आप यह जानते हैं कि लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाएं सामान्यतया पांच वर्षों के लिए चुनी जाती है जिसे आम चुनाव कहा जाता है। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि ये चुनाव सदैव नियत समय पर ही हों और सामान्य परिस्थिति में ही संपन्न कराए जाएं। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाती है अथवा उसका पद त्यागपत्र जैसे किसी विशेष कारण से रिक्त हो जाता है तो उस निवार्चन क्षेत्र में नए चुनाव होते हैं। इस प्रकार के चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। किन्तु जब लोक सभा अथवा राज्यों की विधान सभाओं को उनकी अवधि पूरी होने के पहले ही भंग कर दिया जाता है और उनके पुनः गठन के लिए निर्वाचन कराया जाता है तो उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं।

निर्वाचन प्रक्रिया

हमारे देश में निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया एक स्वतंत्र संगठन द्वारा संचालित, नियंत्रित और पर्यवेक्षित की जाती है जिसे निर्वाचन आयोग कहते हैं। संसद, राज्यों के विधान मंडल, राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के निर्वाचनों का दायित्व, निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। निर्वाचन आयोग हमारे देश के विभिन्न निर्वाचनों की तिथियां निश्चित करता है। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि सत्तारुढ़ दल अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा अनावश्यक लाभ न उठा पाए। यह सुनिश्चित

करने के लिए कि निर्वाचन आयोग बाह्य प्रभावों से अछूता रहे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तो की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनकी सेवा शर्तो तथा उनके अपने पद से हटाए जाने की प्रक्रिया आदि का प्रावधान संविधान में ही कर दिया गया है।

उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम ज्ञात कीजिए जिसके कार्यकाल में निर्वाचन संबंधी अनेक सुधार किए गए।

चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसका अर्थ यह है कि किसी को भी यह पता नहीं चल पाता कि मतदाता किस प्रत्याशी को मत दे रहा है। उसकी पसंद को गुप्त रखा जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया में चुनाव-तिथियों की घोषणा, नामांकन पत्रों का भरा जाना, उनकी जांच किया जाना, प्रत्याशियों के नामों का वापस लिया जाना, चुनाव का प्रचार होना, मतदान किया जाना तथा परिणाम घोषित होना आदि सम्मिलित है। निर्वाचन की तिथियां घोषित हो जाने के बाद राजनीतिक दलों का कार्य प्रारंभ हो जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा चयनित होने के बाद चयनित प्रत्याशी तथा निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र भरते हैं। नामांकन का कार्य पूरा होने पर प्रत्याशियों का नाम वापस लेने के लिए एक तिथि निर्धारित कर दी जाती है। इस तिथि की समाप्ति पर जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में शेष रह जाते हैं वे चुनाव प्रचार करना प्रारंभ कर देते हैं। किंतु उसके पहले प्रत्येक प्रत्याशी को एक चुनाव चिह्न आबंटित किया जाता है। राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्याशी अपने दल का चिह्न प्रयोग करते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिह्न कमल और कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिह्न हाथ है। निर्दलीय प्रत्याशियों को भी निर्वाचन आयोग द्वारा आबंटित चुनाव चिह्न का प्रयोग करना पड़ता है।

चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न की आवश्यकता क्यो पड़ती है ?

अगला चरण चुनाव प्रचार का है जो विभिन्न प्रकार से किया जाता है। यह प्रचार सभाओं, भाषणों, जुलूसों, झंडों तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा किया जाता है। प्रत्याशियों को निर्वाचन क्षेत्रों में सभाएं करनी होती हैं। प्रत्येक दल वायदा करता है कि वह सत्ता में आने के बाद क्या कार्य करेगा। सभी दल अपना-अपना चुनाव घोषणा-पत्र प्रकाशित करते हैं। इनमें सभी दल आंतरिक तथा विदेश नीति, आर्थिक नीति तथा रक्षा नीति आदि महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। यदि ऐसा कोई दल जो सत्तारूढ़ दल के विरोध में है, तो वह स्पष्ट करता है कि वह वर्तमान सरकार से क्यों असहमत है। यदि वह दल सत्ता वाला दल है तो वह यह समझाएगा कि उसके द्वारा किए गए कार्य किन परिस्थितियों में किए गए हैं। प्रचार कार्य मतदान के लिए निर्धारित समय से 48 घंटा पूर्व समाप्त हो जाता है। मतगणना के पश्चात चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं।

आजकल मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। पता लगाइए वे क्या हैं?

राजनीतिक दल

बिना राजनीतिक दलों के कोई लोकतंत्रात्मक सरकार समुचित रूप से कार्य नहीं कर सकती। आपने निर्वाचनों के विषय में पढ़ लिया है और देखा है कि राजनीतिक दल संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के प्राणस्वरूप हैं। यदि राजनीतिक दल न होते तो चुनावों को कौन संगठित करता ? आप यह जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को राजनीतिक दलों की छत्र-छाया के बिना किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निर्वाचन आयोग संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के नियंत्रण तथा संपादन हेतु एक उच्चकोटि की संस्था है और वह सभी व्यक्तियों, संगठनों एवं संस्थाओं से ऊपर है। अतः राजनीतिक दलों की भूमिका अहम् हो जाती है। वस्तुतः वर्तमान काल में लोकतंत्रात्मक सरकार राजनीतिक दलों के अभाव में कार्य नहीं कर सकती। चुनाव केवल प्रत्याशियों के बीच ही नहीं होता बल्कि राजनीतिक दलों के बीच भी होता है। आप यह पढ़ चुके हैं कि राजनीतिक दल प्रत्याशियों का चयन करते हैं तथा चुनाव प्रचार करते हैं। इन दलों के प्रत्याशी निर्वाचित होकर विधायिकाओं में जाते हैं। आप यह जानते हैं कि बहुमत प्राप्त करने वाला एक दल अथवा कई दलों का गठबंधन सरकार बनाता है। अन्य सदस्य सदन में विपक्ष के स्थान पर बैठते हैं। बहुमत वाले दल का अथवा गठबंधन वाले दल की आम सहमति से निर्वाचित नेता केंद्र में प्रधान मंत्री और राज्य में मुख्य मंत्री होता है। यदि सत्तारुढ़ दल सदन का विश्वास खो देता है तो किसी अन्य दल के किसी ऐसे नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो अपना बहुमत सदन में सिद्ध कर सके। इस प्रकार आपने देखा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है।

भारत में दलीय व्यवस्था

भारतीय राजनीति में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल प्रभावी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। आप पढ़ चुके हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार अग्रणी भूमिका रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यह एक मुख्य दल बना रहा और अधिकांश समय तक यह केंद्र तथा अनेक राज्यों में सत्तारूढ़ रहा। किन्तु 1977 के आम निर्वाचन में अनेक विरोधी दलों के विलय से संगठित जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस पार्टी पराजित हो गई। सन् 1980 में कांग्रेस पुनः सत्ता में आई और 1989 तक सत्ता में बनी रही। 1989 में एक परिवर्तन आया। यद्यपि कांग्रेस अकेले सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी किंतु यह किसी अन्य पार्टी का समर्थन न जुटा पाने के कारण लोक सभा में अपना बहुमत सिद्ध न कर सकी। नेशनल फ्रंट ने भारतीय जनता पार्टी तथा लेफ्ट फ्रंट (वाम पंथी दलों) के समर्थन से सरकार गठित की।

पता करिए कि लेफ्ट फ्रंट (वामपंथी दलों) में कौन-कौन से दल सम्मिलित थे।

नेशनल फ्रंट की सरकार अधिक दिनों तक न टिक सकी। दसवीं लोकसभा का निर्वाचन मई-जून 1991 में हुआ। कांग्रेस ने केंद्र में पुनः सत्ता संभाली। 1996 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और उसने सरकार गठित की। किंतु वह लोक सभा में निर्धारित समय के अंदर अपना बहुमत सिद्ध न कर सकी। उसे सत्ता छोड़नी पड़ी। इसके बाद यूनाईटेड फ्रंट ने तेरह पार्टियों के गठबंधन से सरकार बनाई जिसको कांग्रेस और भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) का बाह्य समर्थन प्राप्त था। किन्तु यह सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा न कर पाई। सन् 1998 में आम निर्वाचन के पश्चात् केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ अन्य दलों के सहयोग से सत्ता में आई।

शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि 1998 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल कौन-से थे।

केंद्र की भांति राज्यों में भी क्षेत्रीय दलों के स्वरूप में परिवर्तन आया।

भारत में राजनीतिक दलों के प्रकार

भारत में दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं - राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल वे हैं जिनका प्रभाव पूरे भारत में है। किंतु राष्ट्रीय दलों की शक्ति प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होती है। अपने को राष्ट्रीय दल कह देने मात्र से कोई दल राष्ट्रीय दल नहीं बन जाता। उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसका पालन प्रत्येक दल को करना होता है। निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने का आधार एक निर्धारित सूत्र है। जो दल कम से कम चार राज्यों में पिछले आम चुनाव में कुल वैध मतों का न्यूनतम चार प्रतिशत मत प्राप्त कर लेता है उसे राष्ट्रीय दल कहे जाने की मान्यता मिल जाती है। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनता दल, भारतीय साम्यवादी पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी), बहुजन समाज पार्टी का नाम राष्ट्रीय दलों के रूप में उल्लेखनीय है।

इन राष्ट्रीय दलों के अतिरिक्त कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं। यद्यपि इन दलों का प्रभाव तथा कार्य-कलाप किसी विशेष राज्य या राज्यों तक सीमित रहता है तथापि वे अपने क्षेत्र में काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। क्षेत्रीय दलों में कुछ मुख्य दल इस प्रकार हैं : तमिलनाडु का ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (AIADMK), द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK), आन्ध्र प्रदेश का तेलगुदेशम, पंजाब का अकाली दल, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, बिहार का राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड का झारखंड मुक्ति मोर्चा, जम्मू और कश्मीर का नेशनल कांफ्रेस और असम का असम गण परिषद्।

उपर्युक्त दलों के अतिरिक्त चार क्षेत्रीय दलों के नाम ज्ञात कीजिए।

हित समूह

लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका के विषय में आप अध्ययन कर चुके हैं। राजनीतिक दलों के अतिरिक्त अनेक ऐसे संगठन भी होते हैं जो नागरिकों के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने संगठन में तथा सरकार के साथ रहने पर भी वे अपने हित समूह का ध्यान रखते हैं। कभी-कभी वे राजनीतिक दलों की भूमिका में पूरक का कार्य करते हैं। इन समूहों को हित समूह कहते हैं। लोकतंत्र की कार्यशैली में कभी-कभी हित समूहों का योगदान अत्यंत प्रभावशाली होता है।

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव में क्या अंतर है?
2. राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों का अंतर समझाइए तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के दो-दो उदाहरण दीजिए।
3. निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
4. लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्त्व है?
5 चुनाव घोषणा-पत्र क्या है?
6. चुनाव लोकतंत्र का मापन-यंत्र है - इस वाक्य से आप क्या समझते हैं?
7. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
   (i) प्रिंट मीडिया
   (ii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
   (iii) निर्वाचन आयोग
   (iv) हित समूह

परियोजना कार्य

- किसी निर्वाचन के दौरान प्रकाशित समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं से रोचक अंशों की कतरनें एकत्र कीजिए। अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा के लिए उसका एक एलबम तैयार कीजिए। यदि निर्वाचन संबंधी कुछ अच्छे कार्टून उपलब्ध हो सकें तो उन्हें काट कर एक चार्ट पेपर पर चिपकाइए तथा बुलेटिन बोर्ड पर उसे प्रदर्शित कीजिए।
- विभिन्न राजनैतिक दलों के चुनाव चिन्हों तथा घोषणा पत्रों को एकत्र कीजिए।

इकाई तीन

देश तथा निवासी

बीसवीं शताब्दी में हमारे देश का स्वतंत्रता-संग्राम एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति हमारे लिए सबसे महत्त्वपूर्ण घटना रही है। अपनी प्रमुख विशेषताओं के साथ भारतीय संविधान का निर्माण तथा भारतीय गणतंत्र का क्रियान्वयन, स्वतंत्रता के उपरांत नव-स्वतंत्र राष्ट्र के पुनर्निर्माण तथा विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के स्पष्ट द्योतक हैं। यह उस देश के अनुरूप ही है जो संसार की कुछ प्राचीनतम संस्कृतियों वाले देशों में से एक है और जिसका हजारों वर्षों का इतिहास है। यद्यपि हमारे देश में लोकतंत्र की अवधारणा 600 वर्ष ई.पू. के 'गणसंघों' से संबंधित है, लेकिन आधुनिक भारतीय लोकतंत्र पाँच दशक से अधिक पुराना है। फिर भी यह संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

इस पृष्ठभूमि के साथ हम, नई शताब्दी के प्रारंभ में अपने देश पर दृष्टिपात करते हैं। पचास वर्षों के नियोजित प्रयासों के बाद यह समय है जब हम विचार करें कि हमने अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं? हम अब कहां हैं? और भविष्य के लिए हमें क्या करना है? अपने अतीत से हम क्या सीख लें जिससे हमारा भविष्य अधिक अच्छा हो सके? संभव है आगामी दो वर्षों में जब आप अपने 'सामाजिक विज्ञान' पाठ्यक्रम का अध्ययन समाप्त करें, तब इन प्रश्नों में से कुछ का उत्तर आप स्वयं दे सकें। अभी हम अपने संसाधनों की स्थिति और उनका अब तब कैसे उपयोग किया गया है, के अध्ययन से अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं।

किसी भी देश की सबसे महत्त्वपूर्ण धरोहर उसकी धरती तथा उसके निवासी होते हैं। किसी भी देश की सामर्थ्य उसकी स्थिति, आकार, उच्चावच तथा संरचना, जलवायु, वनस्पति एवं वहां के निवासियों द्वारा निर्धारित होती है। ये सब मिलकर उस देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सौभाग्य से भारत एक विशाल क्षेत्र तथा विभिन्न स्थलाकृतियों, अपवाह तंत्रों, जलवायु दशाओं, वनस्पतियों एवं विविध प्राणियों वाला देश है। इतने संपन्न संसाधनों की दृष्टि से भारत की तुलना संसार के केवल कुछ ही देशों से हो सकती है। मनुष्य भी किसी देश के बहुत महत्त्वपूर्ण संसाधन हैं क्योंकि किसी भी देश का विकास मुख्यतया वहां के निवासियों की दूर-दृष्टि, सूझ-बूझ एवं प्रयासों पर ही निर्भर करता है। वास्तव में मुनष्यों की संख्या की अपेक्षा उनकी गुणवत्ता अधिक महत्त्वपूर्ण है। भारत की जनसंख्या का अध्ययन उसके आकार, वितरण, समय एवं स्थान के संदर्भ में उसके संसाधन एवं परिवर्तन के आधार पर किया जाएगा। इनके अध्ययन से बहुत ही रुचिकर परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका गहरा संबंध एक ओर भू-दृश्यों, अपवाह तंत्रों तथा जलवायु विभेदों से और दूसरी ओर हमारे आर्थिक विकास से स्थापित होता है।

7 अवस्थिति विन्यास

भारत संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। आज यह संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी ऐतिहासिक यात्रा बहुत लंबी तथा महत्त्वपूर्ण घटनाओं से युक्त है। अनेक उतार-चढ़ावों के बावजूद इसने अपनी पूरी शक्ति से निरंतर आगे कदम बढ़ाएं हैं। इसके इतिहास के विकास में इसके भूगोल का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

स्थिति तथा आकार

भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण-मध्य प्रायद्वीप में स्थित है (चित्र 7.1)। मुख्य भू-भाग के अतिरिक्त इसमें दो द्वीपसमूह – अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सम्मिलित हैं।

भारत का मुख्य भू-भाग 8°4´ उत्तर से 37°6´ उत्तर अक्षांश तथा 68° 7´ पूर्व देशांतर से 97°25´ पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। उन राज्यों के नाम ज्ञात कीजिए जो चार प्रमुख दिशाओं में सबसे अंत में स्थित हैं। कन्याकुमारी मुख्य भू-भाग का सबसे दक्षिणी सिरा तीन सागरों के संगम पर स्थित है। ये कौन-से समुद्र हैं? मुख्य भू-भाग के दक्षिण-पश्चिम में लक्षद्वीप तथा दक्षिण-पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह स्थित हैं। ये विस्तृत क्षेत्र पर फैले हुए द्वीपों की लंबी शृंखला की तरह हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारतीय समुद्र तट से काफी दूर स्थित हैं। भारतीय संघ का दक्षिणतम सिरा इंदिरा बिंदु है जो निकोबार द्वीपसमूह के सबसे दक्षिण में स्थित है और इंडोनेशिया के द्वीपों से अधिक दूर नहीं है। अपनी एटलस के मानचित्रों की मदद से इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। लक्षद्वीपसमूह अपेक्षाकृत कम बिखरे हुए हैं और भारत के मुख्य तट से निकट भी हैं। भारत की तटरेखा भी बहुत लंबी है जो लगभग 7500 कि.मी. लंबी है।

चित्र 7.1 *संसार के मानचित्र में भारत की स्थिति*

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।

चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।

इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।

इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।

आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 7.2 *भारत – राजनीतिक तथा पड़ोसी देश*

चित्र 7.2 को ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि भारतीय गणराज्य का दक्षिणी सिरा विषुवत रेखा से केवल कुछ ही अक्षांशों के फासले पर है। विषुवत रेखा के पूर्णतया उत्तर में स्थित होने के कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि हम ग्लोब का पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्धों में विभाजन करें तो भारत किस गोलार्ध में होगा?

भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह संसार का सातवां बड़ा देश है। फिर भी इसको बहुत बड़ा नहीं कहा जाएगा क्योंकि भारत संसार के भू-क्षेत्र का केवल 2.42 प्रतिशत भाग घेरे हुए है। संसार के जो छः देश भारत से बड़े हैं, वे हैं : (i) रूस, (ii) कनाडा, (iii) चीन, (iv) संयुक्त राज्य अमेरिका,

(v) ब्राजील तथा (vi) आस्ट्रेलिया। इनमें से प्रत्येक हमारे देश से दो से पांच गुना तक बड़े हैं।

हमारे देश के देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार दोनों ही लगभग बराबर अर्थात् 30 अंश हैं। फिर भी वास्तविक दूरी में उत्तर से दक्षिण का विस्तार (लगभग 3,200 कि.मी.) पूर्व से पश्चिम के विस्तार (लगभग 3,000 कि.मी.) की तुलना में अधिक है। ऐसा क्यों है? विशाल देशांतरीय विस्तार के कारण इसके पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में दो घंटो का अंतर है। दूसरे शब्दों में, जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है उस समय गुजरात के पश्चिमी भाग में रात रहती है। इसीलिए भारत की मध्याह्न रेखा (82°30´ पूर्व देशांतर), जो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है, का समय ही भारत का मानक समय माना जाता है। ज्ञात कीजिए कि यह देशांतर रेखा ही मानक मध्याह्न रेखा क्यों चुनी गई?

कर्क वृत्त (23°30´ उ., अक्षांश) देश को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका उत्तरी भाग काफी विस्तृत है और पूर्व-पश्चिम दिशा में फैला है। इसके अंतर्गत विशाल मैदान तथा हिमालय पर्वत हैं। कर्क वृत्त से दक्षिण का क्षेत्र आकृति में त्रिभुजाकार है। इसका आधार उत्तर की ओर है और दक्षिण की ओर भू-भाग शीर्षवत पतला होता जाता है। यह मुख्यतयः प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जिसमें पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय भाग भी सम्मिलित हैं।

भारत तथा संसार

भारतीय भू-भाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। इसके उत्तर में ऊंचे पर्वतों की एक श्रृंखला हजारों किलोमीटर लंबाई में पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत है। ये एक अभेद्य दीवार की भांति हैं जिसके कारण तिब्बत तथा चीन के साथ आवागमन केवल ऊंचाई पर स्थित कुछ पर्वतीय दर्रों से होकर ही संभव है। दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप तीन ओर से सागरों तथा हिंद महासागर से घिरा हुआ है, फिर भी लोग स्थलीय एवं जलमार्गों से होकर आते-जाते रहें हैं। इसके बावजूद भी स्थलीय भाग के पर्वतीय अवरोधों से घिरे होने पर भी भारत ने बाहर से आने वाले सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात किया है और समाज में समरसता तथा एकता का अद्भुत विकास किया है।

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं।

इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य में दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमाएं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है।

इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।

आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 7.3 *व्यापार और वाणिज्य के अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग पर भारत की स्थिति*

जैसा आपको ज्ञात है, भारत पूर्वी गोलार्ध का भाग है जिसमें पूर्वी दुनिया के अन्य देश भी स्थित हैं। प्राचीन काल में आपसी संबंधों के स्वरूप निर्धारण में समुद्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एवं दक्षिणी-पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी एशिया के देशों के साथ समुद्री मार्गों से भारत का संबंध प्राचीन काल से रहा है। अतः, भारत ने इन देशों के साथ घनिष्ट सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण स्थापित किए। यह उचित ही है कि भारत के नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया।

सन् 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। आज भी व्यापार एवं वाणिज्य के अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग पर भारत की स्थिति महत्त्वपूर्ण है (चित्र 7.3)। जो देश चारों ओर से स्थलीय देशों से घिरे होते हैं उनकी तुलना में भारत के संबंध अन्य देशों से अधिक आसानी से स्थापित हैं। पूर्वी तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया तथा आस्ट्रेलिया से अफ्रीका तथा यूरोप जाने वाले महासागरीय मार्ग हिंद महासागर से होकर जाते हैं। भारत यूरोप, उत्तरी अमरीका, दक्षिणी अमरीका से आशा अंतरीप (केप ऑफ गुड होप) तथा स्वेज नहर, दोनों मार्गों से जुड़ा है। भारत से प्रशांत महासागर पार करके मलक्का जलसंधि होकर भी कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरीका पहुंचा जा सकता है।

युगों से भारत का संपर्क संसार के अनेक देशों से रहा है। विचारों एवं वस्तुओं का आदान-प्रदान प्राचीन समय से होता रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्यकला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है।

भारत के पड़ोसी देश

भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमाएं उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से, उत्तर में चीन, नेपाल तथा भूटान से और पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश से मिली है। दक्षिण में संकरे समुद्र के पार श्री लंका तथा मालदीव के द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। एशिया के भौतिक उच्चावच के मानचित्र को दखिए। आप देखेंगे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा भारत सहज ही एक सुस्पष्ट एवं प्राकृतिक भौगोलिक इकाई बनाते हैं। इसे ही भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसका एक अलग ही भौतिक एवं सांस्कृतिक अस्तित्त्व है जो इसे शेष एशिया से पृथक करता है।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   - (i) बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीपसमूहों का नाम बताइए।
   - (ii) भारत का कौन-सा स्थान तीन सागरों के संगम पर स्थित है?
   - (iii) भारत का कौन-सा द्वीपसमूह इसके दक्षिण-पश्चिम में स्थित है?
   - (iv) भारत तथा यूरोप के बीच की दूरी किस नहर ने कम की है?
   - (v) जलयान द्वारा सिंगापुर से मोगादिशू (अफ्रीका) जाने में किस महासागर को पार करना पड़ेगा?
   - (vi) भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है?
2. बताइए कि अहमदाबाद तथा कोलकाता में मध्याह्न का सूर्य वर्ष में दो बार ठीक सिर के ऊपर क्यों होता है जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं होता।
3. भारत के लिए हमें एक मानक मध्याह्न रेखा की आवश्यकता क्यों है? बताइए।
4. देश के भौगोलिक स्वरूप ने भारतीय समाज को एकता एवं समरसता कैसे प्रदान की है? वर्णन कीजिए।

5. हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का इसे किस प्रकार लाभ मिला है?

6. भारत के संसार के अन्य देशों के साथ प्राचीन तथा मध्य काल में संबंधों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

परियोजना कार्य

- 'रेशम मार्ग' के बारे में सूचना एकत्र कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि किन नई विकास योजनाओं द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के मार्ग विकसित किए गए हैं।

8 उच्चावच

भारत की वर्तमान स्थलाकृतियों का निर्माण लाखों वर्षों में हुआ है। इनका यह स्वरूप भू-पृष्ठ के नीचे होने वाली आंतरिक हलचलों तथा धरातल पर क्रियाशील बाह्यशक्तियों के फलस्वरूप बना है।

आपने पिछली कक्षा में पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ा है। जैसा आपको विदित है, पृथ्वी की ऊपरी सतह दुर्बलतामंडल (Asthenosphere) की अर्ध-द्रवित शैलों के ऊपर तैर रही है। पृथ्वी के भीतर होने वाले विद्युत तरंगीय क्षय से ताप उत्पन्न होता है जो द्रवित शैलों में संवहनिक तरंगे उत्पन्न करता हुआ धरातल की ओर निकलने की चेष्टा करता है (चित्र 8.1)।

ऊपर उठती हुई तरंगों द्वारा ऊपरी परत फटकर बड़े-बड़े टुकड़ों में बंट जाती है जिन्हें 'भूगर्भीय' अथवा 'स्थलमंडली प्लेटें' कहते हैं। ऐसी सात मुख्य भूगर्भीय प्लेटें हैं, जिनके नाम प्रशांत प्लेट, उत्तर अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट , अफ्रीकन प्लेट, इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा अंटार्कटिक प्लेट हैं। कहीं-कहीं ये प्लेटें एक-दूसरे से अलग या दूर हो रही हैं (अपसारी प्लेटें) जबकि अन्यत्र ये एक-दूसरे के निकट आ रही हैं (अभिसारी प्लेटें)। अपसरण तथा अभिसरण की क्रिया से भू-पृष्ठ पर भ्रंशन होता है और वलय (मोड़) पड़ते हैं। इन प्लेटों की गतियों ने लाखों वर्षों में महाद्वीपों के आकार एवं स्थिति को परिवर्तित किया है। भारत की वर्तमान भू-आकृतियों या उच्चावच का विकास इस क्रियाक्रम का एक अंग है।

चित्र 8.1 *मैंटल में संवहनिक धाराएं*

चित्र 8.2 *भू-पृष्ठ की मुख्य प्लेटें*

करोड़ों वर्ष पूर्व भारत गोंडवानालैंड नामक प्राचीन विशाल भूखंड का भाग था। इस विशाल भूखंड में आज के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका सम्मिलित थे। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। मैंटल की संवहनिक तरंगों ने इसे अनेक भागों में तोड़ दिया। गोंडवानालैंड से अलग होकर इंडो-आस्ट्रेलियन प्लेट धीरे-धीरे उत्तर की ओर प्रवाहित हुई। यह उत्तरी गोलार्ध की बहुत बड़ी यूरेशियन प्लेट से लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व टकराई। इंडो-यूरेशियन प्लेट का उत्तरी सिरा यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गया। टकराव के इस प्रभाव से बीच के महासागर (टेथिस) की पर्तदार अवसादी शैलें मुड़ गईं और वलय क्रिया से मध्य एशिया के पर्वत-क्रमों, जिनमें हिमालय भी सम्मिलित हैं, का निर्माण हुआ।

हिमालय के दक्षिण में एक द्रोणी अथवा विशाल गर्त बन गया। कालांतर में धीरे-धीरे उत्तर तथा दक्षिण से बहकर आने वाली नदियों ने इसे जलोढ़ से भर दिया। इस प्रकार हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार के बीच में उत्तर भारतीय मैदान का जन्म हुआ। जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था, दो अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाओं ने प्रायद्वीपीय पठार को प्रभावित किया। पठार के उत्तरी-पश्चिमी भाग में एक विस्तृत ज्वालामुखीय उद्गार हुआ। इसके अतिरिक्त पठार का पश्चिमी भाग टूटकर निमज्जित हो गया। हिंद महासागर का जल इस निमज्जित गर्त में भर गया और इस प्रकार अरब सागर का निर्माण हुआ। इस भू-निगज्जन के कारण ही पश्चिमी घाट अधिक सुस्पष्ट हो गए।

भारतीय भूखंड की भू-आकृतियों अथवा उच्चावच में बहुत अधिक विविधता है। उत्तर में अवसादी तथा कायांतरित शैलों से निर्मित ऊंची-नीची भूमि के विस्तृत विस्तार पाए जाते हैं। यहां उच्च पर्वत शिखर, आवृत्त पठार, संकरी तथा गहरी घाटियां आदि अनेक विशिष्ट स्थल रूप पाए जाते हैं। इसके विपरीत उत्तरी भारतीय मैदान, जहां सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां प्रवाहित होती हैं, जलोढ़ मृदा से बना है। यह निचले भू-दृश्यों वाला भाग है और समतल अथवा लक्षण विहीन धरातल वाला है। दक्षिण में, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय एवं कायांतरित शैलों द्वारा निर्मित है। यह देश का प्राचीनतम भू-भाग है। इसमें प्राचीन पर्वत श्रेणियों के अवशेष तथा कटे-फटे पठार हैं। कहीं-कहीं तो पठार सीढ़ियों की भांति ऊपर उठा है। इसके पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर तटीय मैदान हैं।

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
समुद्र में भारत का जलप्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य में दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 8.3 भारत – उच्चावच

प्रमुख भू-आकृतिक विभाग

भू-आकृतियों की विविधता के आधार पर भारत निम्नलिखित भू-आकृतिक विभागों (चित्र 8.3) में बांटा जाता है :

(i) उत्तर के विशाल पर्वत ;
(ii) उत्तर भारत का मैदान ;
(ii) प्रायद्वीपीय पठार ;
(iv) तटीय मैदान ; तथा
(v) द्वीपसमूह

इन विभागों की भू-आकृतियों का मुख्य अंतर उनकी संरचना तथा भूगर्भीय इतिहास के अंतर के कारण है। विभिन्न शैलों में अपरदन को रोकने की क्षमता में बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे अवसादी शैल आसानी से अपरदित हो जाते हैं, जबकि ग्रेनाइट जैसी आग्नेय चट्टानें कठिनता से अपरदित होती हैं।

उत्तर के विशाल पर्वत

भारत के उत्तर में मध्य एशिया में पामीर ग्रंथि स्थित है। यहां से अनेक पर्वत श्रेणियां विभिन्न दिशाओं में फैली हैं। हिंदुकुश पश्चिम की ओर फैला है, तेनशान उत्तर-पूर्व की ओर, कुनलुम पूर्व की ओर तथा काराकोरम श्रेणियां दक्षिण-पूर्व की ओर विस्तृत हैं। काराकोरम श्रेणियां कश्मीर में प्रवेश करके दक्षिण-पूर्व दिशा में फैली हैं। यह पूर्व की ओर आगे चलकर तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नाम से जानी जाती है। काराकोरम श्रेणियों में ही 'के2' (K2) शिखर स्थित है जो संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत-शिखरं है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। इस ऊंचे क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा बहुत महत्त्वपूर्ण है। बाल्टोरो तथा सियाचीन इस क्षेत्र की प्रमुख हिमानियां हैं, हिमानी ठोस बर्फ और हिम की मंद गति से खिसकती हुई नदियां हैं।

लद्दाख और जास्कर श्रेणियां काराकोरम के दक्षिण में स्थित समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश श्रेणियों के उत्तर में है, यहां से यह अनेक श्रेणियों को पार करती हुई लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के बीच दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम को बहती है। उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह दक्षिण की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है।

हिमालय पर्वतमाला पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत है। एक उन्नतोदर चाप बनाती हुई ये लगभग 2,400 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर से पूर्व में

चित्र 8.4 *हिमालय तथा उत्तर के अन्य पर्वत*

150 किलोमीटर के बीच है। परंतु हिमालय के पूर्वी आधे भाग की ऊंचाई पश्चिमी आधे भाग की अपेक्षा अधिक है।

हिमालय नवीन वलित पर्वत हैं। इनमें तीन स्पष्ट पर्वत श्रेणियां हैं जो एक-दूसरे के समानांतर फैली हैं। इनमें सबसे उत्तरवाली श्रेणी को 'विशाल' अथवा 'आंतरिक हिमालय' अथवा 'हिमाद्रि' कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है और हिमालय के सभी प्रमुख शिखर इसी श्रेणी में हैं। माउंट एवरेस्ट शिखर (8,848 मीटर) जो संसार का सर्वोच्च शिखर है, नेपाल में इन्हीं श्रेणियों में स्थित है। कांचनजुंगा (8,598 मीटर) हिमालय का दूसरा सर्वोच्च पर्वत-शिखर है जो भारत के सिक्किम राज्य में है।

हिमालय के दो अन्य प्रमुख शिखर नंगा पर्वत (8,126 मीटर) तथा नंदादेवी (7,818 मीटर) भारत में स्थित हैं। उन राज्यों के नाम ज्ञात करिए जहां ये स्थित हैं।

हिमाद्रि के दक्षिण में 'मध्य हिमालय' अथवा 'हिमाचल श्रेणी' स्थित है। इनकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 3,700 से 4,500 मीटर है। पीर पंजाल, धौलाधर तथा महाभारत श्रेणियां इसी भाग में हैं। उत्तरी भारत के सभी महत्त्वपूर्ण पर्वतीय नगर - धर्मशाला, डलहौज़ी, शिमला, मसूरी तथा दार्जिलिंग इन्हीं श्रेणियों पर स्थित हैं।

'बाह्य हिमालय' अथवा 'शिवालिक श्रेणियां', मध्य हिमालय श्रेणियों के दक्षिण में, 10 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित हैं जिनकी ऊंचाई 900 से 1,100 मीटर के बीच है। ये श्रेणियां ठोस अवसादों वाली शैलों से नहीं बनीं। अतः यहां प्रायः भूस्खलन होता रहता है। अनेक स्थानों पर शिवालिक श्रेणियों तथा मध्य हिमालय श्रेणियों के बीच समतल घाटियां पाई जाती है। ये कंकड़, पत्थरों तथा अवसादों के गहरे निक्षेपों से ढकी हुई हैं और इन्हें 'दून' कहते हैं, जैसे देहरादून तथा पाटली दून।

हिमालय की पर्वत श्रेणियों को पश्चिम-पूर्व दिशा में चार भागों में विभक्त किया जाता है। पश्चिमी भाग सिंधु और सतलुज नदियों के बीच जम्मू तथा कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में फैला है। इसे 'पंजाब हिमालय' कहते हैं। जम्मू तथा कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणियों में सुप्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटक स्थल गुलमर्ग तथा पहलगाम हैं। सतलुज तथा काली नदियों के बीच के भाग को 'कुमायूं हिमालय' कहते हैं। यह उत्तरांचल में स्थित है। इसी प्रकार काली तथा तिस्ता नदी के बीच के भाग को 'नेपाल हिमालय' कहते हैं और तिस्ता तथा दिहंग (सांगपो) नदियों के बीच के भाग को 'असम हिमालय' कहते हैं। ये मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं।

हिमालय पर्वत श्रेणियों में अनेक महत्त्वपूर्ण दर्रे भी हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर शिपकीला, नाथूला तथा बोमडिला दर्रे महत्त्वपूर्ण हैं। मानचित्र में उनकी स्थिति तथा उन राज्यों के नाम ज्ञात कीजिए जहां ये स्थित हैं।

उत्तरी भारत की कुछ प्रमुख नदियां – सिंधु, सतलुज, गंगा, यमुना, कोसी, तिस्ता तथा ब्रह्मपुत्र हैं। इन नदियों का उद्गम हिमालय प्रदेश में है। ये नदियां सततवाहिनी हैं और अपने साथ भारी मात्रा में जल तथा अवसाद बहाकर लाती हैं।

यह एक रोचक तथ्य है कि इन नदियों में से अनेक नदियां हिमालय से भी पुरानी हैं। सिंधु, सतलुज तथा सांगपो (ब्रह्मपुत्र) नदियां हिमालय के उस पार कैलाश मानसरोवर क्षेत्र से एक-दूसरे के निकट ही निकलती हैं। इनमें से सिंधु तथा सतलुज पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि सांगपो हिमालय श्रेणियों के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। यह पूर्व की ओर बहकर नामचा बरवा (7757 मीटर) के पास अंग्रेजी के अक्षर यू (U) की भांति मुड़ती है, जहां इसे दिहंग के नाम से जानते हैं। ये तीनों नदियां, हिमालय श्रेणियों को विभिन्न स्थानों पर अद्भुत दर्शनीय महाखड्ड (गार्ज) बनाती हुई पार करके ,उत्तर के मैदान की ओर बहती हैं। ये महाखड्ड अंग्रेजी के आई (I) अक्षर की आकृति की घाटी जैसे होते हैं जहां नदियों के दोनों किनारे दीवार की भांति खड़े ढाल वाले होते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि जब हिमालय ऊपर उठ रहे थे, तब ये नदियां अपनी घाटियों को काटकर उसी गति से गहरा कर रही थीं। इसी से इन दो विपरीत क्रियाओं, उत्थान एवं कटाव, के बीच संतुलन बना रहा।

हिमालय अपने हिममंडित शिखरों, हिमानियों, स्वच्छ नदियों तथा सुंदर रमणीक घाटियों के लिए विख्यात है। कश्मीर, कुल्लू तथा कांगड़ा की घाटियां अपने रमणीक सौंदर्य तथा शीतोष्ण जलवायु वाले फलों के बागों के लिए विश्वविख्यात हैं।

दिहंग (ब्रह्मपुत्र) नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। पर्वत श्रेणियां यहां तेजी से दक्षिण की ओर मुड़ती हैं और भारत की पूर्वी सीमा के सहारे विस्तृत हैं। इन्हें 'पूर्वांचल' कहते हैं। इनके अंतर्गत पटकाई बुम, नागा पहाड़ियां तथा मिज़ो पहाड़ियां सम्मिलित हैं। बीच में पश्चिम की ओर मुड़कर ये श्रेणियां मेघालय में भारत-बांग्लादेश सीमा पर फैली हैं। यहां ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः जयंतिया, खासी तथा गारो पहाड़ियों के रूप में विस्तृत हैं।

(अ) जलोढ पंखें

(ब) नदी विसर्प तथा गोखुर झीलें

(स) बाढ़ का मैदान

चित्र 6.5 *मैदानों में नदी निर्मित सामान्य स्थलाकृतियां*

उत्तरी मैदान

इस विस्तृत मैदान का निर्माण उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा लाकर जमा की गई जलोढ़ गाद से हुआ है। यह लगभग एक सपाट मैदान है और इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है। यहां की उपजाऊ मृदा, उपयुक्त जलवायु तथा पर्याप्त जल आपूर्ति कृषि कार्य के विकास में बहुत सहयोगी है।

जब हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियां पर्वतीय ढालों को पारकर मैदानों में पहुंचती हैं तब वे 'जलोढ़पंखों' का निर्माण करती हैं। यह त्रिभुजाकार आकृति वाले निक्षेप होते हैं जिनका आधार मैदान की ओर होता है। इन क्षेत्रों में बाढ़ के मैदान, प्राकृतिक तटबंध, (लेवी) नदी निक्षेप (चैनल बार) तथा कगार (बर्फ़) आदि कुछ अन्य स्थलाकृतियां भी बनती हैं। ये मुख्यतया नदी के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं।

नदियों के निचले भागों में ढाल और भी मंद हो जाता है। अतः वे धीमी गति से बहती हैं। वे अपने साथ लाए अवसाद तथा पंक, धाराओं के बीच में ही जमा कर देती हैं जिससे छोटे-छोटे द्वीप बन जाते हैं। इनसे बचने के लिए नदी अनेक धाराओं में बंट जाती है जिन्हें 'वितरिकाएं' कहते हैं। जहां 'सहायक' नदियां अपनी घाटी का जल बहाकर मुख्य नदी में मिलाती हैं, वहीं वितरिकाएं मुख्य नदी का जल विभिन्न धाराओं में बांटकर समुद्र में मिलती हैं। इन धाराओं में बंटकर नदी का जल एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। यह विस्तृत जलोढ़ मैदान, जो त्रिभुजाकर होता है, 'डेल्टा' कहलाता है।

उत्तर भारत का मैदान सिंधु नदी के मुहाने से लेकर गंगा-ब्रह्मपुत्र के मुहाने तक लगभग 3,200 किलोमीटर दूरी में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच है। पूर्व की ओर यह संकरा हो जाता है। उत्तरी मैदान को पश्चिम में सिंधु नदी तंत्र तथा पूर्व में गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के मैदानों में विभक्त किया जाता है।

सिंधु तथा इसकी सहायक – झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहकर तेज मोड़ बनाकर दक्षिण की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। स्थानीय भाषा में दो नदियों के बीच की भूमि को द्वाब (द्व अर्थात् दो तथा आब अर्थात् जल) कहते हैं। इसीलिए पांच नदियों से निर्मित मैदान को पंजाब (पंज+आब) कहते हैं। इस मैदान का बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है।

गंगा नदी उत्तरी मैदान में हरिद्वार में प्रवेश करती है और फिर पूर्व की ओर बहती है। समुद्र तक पहुंचने में इसमें अनेक सहायक नदियां, उत्तर तथा दक्षिण से आकर मिलती हैं। पश्चिमी बंगाल में पहुंचने के पश्चात ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है।

जो भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कुछ दूर दक्षिण की ओर बहकर ब्रह्मपुत्र पश्चिम की ओर मुड़ती है और असम राज्य से होकर बहती है। बांग्लादेश पहुंचने पर यह पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना नाम से जानी जाती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है।

उच्चावच के अंतर के आधार पर मैदानी भाग को भी (i) भाबर (ii) तराई (iii) बांगर तथा (iv) खादर भागों में विभाजित किया जाता है। सिंधु नदी से तिस्ता नदी तक शिवालिक पहाड़ियों के गिरिपाद प्रदेश में कंकड़-पत्थरों की एक पतली पेटी पाई जाती है। यह कंकड़-पत्थरों की पेटी नदी की धारा के समानांतर होती है। यह पेटी लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है और इसे 'भाबर' कहते है। भाबर से लगा हुआ 'तराई' क्षेत्र है जो अधिक नम तथा दलदली है। यहां घने वन तथा विविध वन्य जीव पाए जाते हैं। मैदानों की पुरानी जलोढ़ को 'बांगर' कहते हैं। निरंतर जलोढ़ के जमाव के कारण यह एक चबूतरा जैसा बन जाता है जो बाढ़ के मैदान से ऊंचा होता है। बाढ़ के मैदानों की नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं।

प्रायद्वीपीय पठार

यह देश का सबसे प्राचीन भाग है। इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार उत्तर की ओर दिल्ली की कटक (Ridge) तथा राजमहल पहाड़ियों के बीच है। भूगर्भ की दृष्टि से शिलांग का पठार इस क्षेत्र का ही एक विस्तार है। इसका शीर्ष दक्षिण में कन्याकुमारी द्वारा बनता है। पठार की सामान्य ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। इसके उत्तरी भाग का ढाल उत्तर तथा पूर्व की ओर है जैसा चंबल, सोन तथा दामोदर नदियों द्वारा स्पष्ट है। सतपुड़ा-मैकाल श्रेणियों के दक्षिण में इसका ढाल पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व की ओर है। परंतु दक्कन के उत्तर-पश्चिम वाले क्षेत्र का जल पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में बहता है।

अरब सागर में गिरने वाली दो बड़ी नदियों के नाम ज्ञात कीजिए।

प्रायद्वीपीय पठार को दो उपभागों : मध्यवर्ती उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार में विभाजित किया जा सकता है।

मध्यवर्ती उच्चभूमि : प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग अनेक पठारों, अनाच्छादित पर्वत श्रेणियों तथा नीची पहाड़ियों द्वारा निर्मित है। यह भाग कठोर आग्नेय शैलों द्वारा बना है।

पठार का उत्तर-पश्चिम भाग अरावली पहाड़ियों द्वारा घिरा है जो प्राचीन वलित पर्वतों के अवशिष्ट हैं। अरावली पहाड़ियों का विस्तार दक्षिण-पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर-पूर्व में दिल्ली तक विच्छिन्न पहाड़ियों के रूप में है। थार मरुभूमि इस श्रेणी के पश्चिम में स्थित है। यह एक शुष्क मरुभूमि है। विस्तृत मरुभूमि में विभिन्न आकारों के बालू टिब्बे प्रचुरता से सर्वत्र फैले हैं।

मध्यवर्ती उच्चभूमियों की दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वतों तथा उनके पूर्वी विस्तार कैमूर पहाड़ियों से निर्धारित होती है। अरावली तथा विंध्याचल पर्वतों के बीच में मालवा पठार स्थित है। यह पठार काफी विस्तृत है और मुख्यतः चंबल तथा बेतवा नदियां इसका जल बहाकर ले जाती हैं। इस पठार का उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी भाग धीरे-धीरे गंगा के मैदान में विलीन हो जाता है। मध्यवर्ती उच्चभूमियों के इस उत्तर-पूर्वी भाग को बुंदेलखंड कहते हैं।

उच्चभूमि क्षेत्र के बीच के भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की घाटियों के बीच विंध्याचल-कैमूर पहाड़ियां कगार (खड़े ढाल वाले पर्वत) बनाती हैं। कगार एक दीवाल जैसी खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को कहते हैं जो आस-पास की भूमि के बीच एक लंबे अवरोध के रूप में खड़ी रहती है। सोन नदी से पूर्व की ओर झारखंड का छोटा नागपुर पठार भी इस क्षेत्र का भाग है। यह लावा की क्षैतिज पर्तो के निक्षेपों से बना है। मध्यवर्ती उच्चभूमि की लगभग सभी नदियां दक्षिण से यमुना तथा गंगा में आकर मिलती हैं।

राजमहल की पहाड़ियां तथा शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ऐसा लगता है कि इन्हें जोड़ने वाली शैलें अब गंगा के मैदान की जलोढ़ मिट्टी के नीचे दब गई हैं।

दक्कन का पठार : दक्कन का पठार उत्तर में सतपुड़ा, महादेव तथा मैकाल पहाड़ियों से दक्षिण की ओर प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक विस्तृत है। पठार का उत्तरी-पश्चिमी भाग मुख्यतया लावा निक्षेपों से निर्मित है। पश्चिम की ओर इसकी सीमा पश्चिमी घाटों द्वारा निर्धारित होती है, जो अरब सागर के तट के सहारे लगभग अविच्छिन्न रूप में उत्तर-दक्षिण दिशा में फैले हैं। इनके अनेक स्थानीय नाम हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में इन्हें सह्याद्रि कहते हैं, तमिलनाडु में इन्हें नीलगिरि के नाम से पुकारते हैं

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य में दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है,
परन्तु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार
के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 6.6 *प्रायद्वीपीय पठार*

और केरल-तमिलनाडु सीमा पर इन्हें अन्नामलाई और कार्डामम (इलायची) पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता है। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे हैं।

दक्षिणी भारत के सबसे ऊंचे पर्वत-शिखर का नाम ज्ञात कीजिए। इसकी क्या ऊंचाई है? इसकी तुलना हिमालय की चोटियों की ऊंचाई से कीजिए। आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं?

साधारणतया दक्कन के पठार की ऊंचाई 900 से 1,100 मीटर है, यद्यपि कहीं-कहीं यह अचानक ऊंचे हो जाते हैं। बहुत कम ऊंचाइयों वाली टूटी-फूटी पहाड़ियां, जिनकी ऊंचाई कदाचित ही कहीं 900 मीटर से अधिक होती हो, टूटी शृंखला के रूप में इस पठार की पूर्वी सीमा बनाती है। इन्हें "पूर्वी घाट" कहते हैं। इन में से कुछ पहाड़ियों के नाम ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्र का सामान्य ढाल पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व की ओर है, जैसा नदियों की प्रवाह-दिशा से भी परिलक्षित होता है। नर्मदा तथा तापी, जो पश्चिम की ओर बहती हैं, को छोड़ कर दक्कन पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।

तटीय मैदान

प्रायद्वीपीय पठार कच्छ से उड़ीसा तक मैदानों की संकरी पट्टी से घिरा हुआ है। इसे पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदानों में विभक्त किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। गुजरात को छोड़कर यह प्रायः संकरा मैदान है। यह बहुत असमान और ऊबड़-खाबड़ है। उत्तरी भाग में इसे कोंकण तट के नाम से पुकारते हैं तथा गोआ के दक्षिण में इसे मालाबार तट कहते हैं। पूर्वी तट के विपरीत यहां केवल कुछ ही बड़ी नदियां – नर्मदा तथा तापी बहती हैं। पश्चिमी तट की नदियां अपने मुहानों पर ज्वारनदमुख (Estuaries) बनाती हैं। अधिकांश ज्वारनदमुख नदी-जल के नीचे डूबी हुई घाटियां हैं जो समुद्रतल के सापेक्षिक ऊपर उठने से बनी हैं। ये मछली पकड़ने और पोताश्रयों के विकास के लिए उपयुक्त स्थितियां प्रदान करते हैं। पश्चिमी तट पर अनेक अच्छे प्राकृतिक पोताश्रय हैं जैसे मुबंई तथा मार्मागावा। सुदूर दक्षिण में, केरल तट अपनी खारे पानी की झीलों या पश्च्जल के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें "लैगून" कहते हैं। इन तटीय भू-आकृतियों में बालूभित्तियां तथा रोधिकाएं मुख्य हैं।

प्रवाल

प्रवाल अल्पजीवी अतिसूक्ष्म जीव होते हैं जो एक साथ रहते हैं। ये छिछले, उष्ण, कीचड़ रहित जल में पनपते हैं। ये कठोर तत्त्व निकालते हैं। इनसे निकला हुआ तथा इनकी अस्थियों एवं सिर के जमाव से दीवारों जैसी प्रवाल भित्तियां बन जाती हैं। यह प्रायः तीन प्रकार की होती हैः अवरोधक भित्ति , वलयाकार भित्ति तथा तटीय भित्ति। इनमें से पहले प्रकार की प्रवाल भित्ति का अच्छा उदाहरण आस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ़ नामक विशाल अवरोधक भित्ति है। वलयाकार प्रवाल भित्ति अंगूठी या मुद्रिका या घोड़े के नाल की आकार की होती है।

पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कहीं अधिक चौड़ा है। यहां कावेरी, कृष्णा, गोदावरी व महानदी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में अवसादी निक्षेप काफी गहरे हैं। दक्षिणी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से पुकारते हैं।

द्वीपसमूह : भारत के द्वीपसमूहों – लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह की उत्पत्ति अलग प्रकार से हुई है। लक्षद्वीप अनेक छोटे-छोटे द्वीपों को मिलाकर बना हैं। ये अरब सागर में केरल के तट से थोड़ी दूरी पर स्थित हैं। इन द्वीपसमूहों का सबसे दक्षिणी द्वीप हमारे पड़ोसी देश मालदीव द्वीपों से बहुत निकट हैं। प्रवाल (मूंगे) के निक्षेपों से बने इन द्वीपों को 'एटाल' कहा जाता है। मूल रूप से यह शब्द मलयाली शब्द 'एटोलू' से लिया गया है।

दूसरी ओर अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह आकार में अपेक्षाकृत बड़े हैं। इनकी संख्या भी अधिक है और ये अधिक विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। ये देश के मुख्य भू-भाग से अधिक दूरी पर भी हैं। ये द्वीप निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। इनमें से कुछ ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भी बने हैं।

अंडमान द्वीपसमूहों में लगभग 200 द्वीप हैं और निकोबार समूह में 19 द्वीप हैं। इनमें से कुछ की लंबाई ही 60 से 100 किलोमीटर तक हैं। ये द्वीपसमूह लगभग 350 किलोमीटर की दूरी में फैले हैं। ये द्वीपसमूह देश की सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।

विभिन्न भू-आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक-दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न का भंडार है। यहां प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों का भंडार है जिसने देश के औद्योगीकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने और पोताश्रयों संबंधी केंद्र स्थापित हैं। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में अनेक विकास की संभावनाएं प्रदान करती हैं।

अभ्यास

1. निम्नलिखित के संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   - (i) भारत की वर्तमान भू-आकृतिक स्थिति के लिए कौन-सी दो शक्तियां उत्तरदायी हैं?
   - (ii) भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं?
   - (iii) आज के कौन-से महाद्वीप गोंडवानालैंड के भाग थे?
   - (iv) "भाबर" क्या है?
   - (v) हिमालय के तीन प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए।
   - (vi) अरब सागर कैसे बना था?
   - (vii) शिवालिक में अधिक भूस्खलन क्यों होता है ?
   - (viii) पूर्वी हिमालय के दो दर्रों के नाम बताइए।
   - (ix) अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में कौन-सा पठार स्थित है?
   - (x) भारत के उस द्वीप-समूह का नाम बताइए जो प्रवालों से निर्मित है।
2. निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए :
   - (i) अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें;
   - (ii) डेल्टा तथा ज्वारनदमुख;
   - (iii) सहायक नदी तथा जल वितरिका;
   - (iv) बांगर और खादर;
   - (v) पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट।
3. बताइए, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था।
4. भारत के प्रमुख भू-आकृतिक विभाग कौन-से हैं ? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है?
5. भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए।
6. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए :
   - (i) मध्य हिमालय,
   - (ii) मध्य उच्चभूमि तथा
   - (iii) भारत के द्वीपसमूह।

मानचित्र कार्य

भारत के एक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित दिखाइए :

(i) पर्वत एवं पहाडी श्रेणियां – काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, पटकई बुम, पूर्वांचल, जयंतिया, विंध्याचल, अरावली, कार्डामम पहाड़ियां।

(ii) पर्वत-शिखर – के2, कांचनजुंगा, नंगा पर्वत, अनाइमुदी तथा दोदा बेटा।

(iii) पठार – शिलांग, छोटा नागपुर, मालवा तथा बुंदेलखंड।

(iv) थार मरुभूमि, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप समूह, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा-जमुना दुवाब तथा कोरोमंडल तट।

9 जलवायु

जलवायु का अर्थ किसी विस्तृत क्षेत्र में एक लंबी अवधि (*तीस वर्ष से अधिक*) में पाई जाने वाली मौसम की दशाओं के कुल योग से है। मौसम तथा जलवायु के तत्त्व एक ही हैं अर्थात तापमान ,वायुमंडलीय दाब अथवा वायुदाब, पवन आर्द्रता तथा वर्षण। आपने देखा होगा कि मौसम की दशाएं प्रायः कभी-कभी एक दिन के भीतर भी बदलती रहती हैं। परंतु हफ्तों या महीनों में एक से प्रतिरूप भी पाए जाते हैं, जैसे दिन गर्म या ठंढे होते हैं, शांत या तेज हवा वाले होते हैं, बदली वाले या स्वच्छ होते हैं, या सूखे अथवा नम होते हैं। सामान्य मासिक वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर वर्ष को ऋतुओं में बांटा जाता है जैसे जाड़ा, गर्मी या वर्षा ऋतु। संसार को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आपको मालूम है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है और ऐसा क्यों है? इसके बारे में हम निम्नलिखित पृष्ठों में अध्ययन करेंगे।

भारत की जलवायु को '*मानसून प्रकार*' की जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के *मौसम* शब्द से बना है जिसका अर्थ है, वर्ष में पवनों का ऋतुवत् विपरीत दिशा में चलना। इस प्रकार की जलवायु दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाई जाती है। एक अंतर्निहित एकता तथा सामान्य प्रतिरूपों में समानता के बावजूद देश के भीतर जलवायु की दशाओं में काफी क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हम दो महत्त्वपूर्ण तत्त्व तापमान तथा वर्षण लेकर, देख सकते हैं कि वे स्थान-स्थान में तथा एक ऋतु से दूसरी ऋतु में किस प्रकार भिन्न हैं।

गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में तापमान कभी-कभी 50° से. या इससे अधिक हो जाता है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के पहलगाम में यह 20° से. के आसपास ही रहता है। जाड़ों की रात में जम्मू तथा कश्मीर के द्रास स्थान में तापमान - 45° से. तक गिर जाता है जबकि दूसरी ओर, तिरुवनंतपुरम में तापमान 20° से. से अधिक हो सकता है।

इन मोटे तथ्यों से भी हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में स्थान-स्थान तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत अंतर पाया जाता है। अन्य अनेक स्थितियों में भी ऋतुवत् अंतर मिलता है। वास्तव में कुछ स्थानों में दिन तथा रात के तापमान में बहुत अंतर है। थार मरुभूमि में दिन का तापमान 50° से. हो सकता है और उसी दिन रात का तापमान हिमांक तक नीचा हो सकता है। इसके विपरीत अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह या केरल के दिन व रात के तापमान में बहुत ही कम (7°- 8° से.) अंतर होता है।

अब हम वर्षा या वर्षण के बारे में देखें। केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है वरन वर्षण की मात्रा तथा ऋतुवत वितरण में भी अंतर है। जबकि हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, देश के शेष भागों में जलवृष्टि ही होती है। औसत वार्षिक वर्षण का अंतर मेघालय में 400 सें.मी. से लेकर लद्दाख तथा पश्चिमी राजस्थान में 10 से.मी. से कम तक होता है। देश के अधिकांश भागों में जलवृष्टि (वर्षा) जून-सितंबर के बीच होती है। परंतु कुछ क्षेत्रों, जैसे तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जलवृष्टि शरद् ऋतु तथा जाड़ों के प्रारंभ में होती है। जाड़ों में देश के उत्तरी भागों में पश्चिमी विक्षोभों से जलवृष्टि होती है, जबकि तमिलनाडु में उत्तरी-पूर्वी मानसून से वर्षा होती है।

साधारणतया, तटीय क्षेत्रों में कम ताप परिसर पाया जाता है। देश के आंतरिक भागों में ऋतुवत् अंतर अधिक पाया जाता है। उत्तरी मैदानों में साधारणतया पूर्व से पश्चिम को वर्षा की मात्रा घटती जाती है। इन अंतरों के कारण यहां के निवासियों के जीवन – भोजन, वस्त्रों तथा आवासों में विविधिता पाई जाती है। परंतु मानसून की स्पष्ट एकता का आभास देश की मुख्य आर्थिक प्रक्रिया खेती तथा अन्य सूक्ष्म संवेदनाओं जैसे साहित्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला तथा त्योहार मनाने में देखा जा सकता है।

जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक

किसी स्थान की जलवायु अनेक कारकों के अंतर्संबंधों द्वारा प्रभावित होती है जैसे स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायुदाब तथा पवनें, ऊपरी वायुमंडल की वायुधाराएं, आदि। इनमें से अधिकतर एक-दूसरे से संबंधित हैं।

चित्र 9.1 *भारत के कुछ स्थानों के तापमान तथा वर्षण ग्राफ*

ऊपर दिए गए ग्राफों का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित के उत्तर दीजिए:

(i) उन स्थानों के नाम बताइए जहां अधिकतम तथा न्यूनतम वार्षिक ताप परिसर (तापांतर) पाया जाता है।

(ii) किस स्थान पर अधिकतम वार्षिक वर्षा होती है?

(iii) किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है?

(iv) उस स्थान का नाम बताइए जहां अक्तूबर-नवम्बर में अधिक वर्षा होती है।

(v) उस स्थान का नाम बताइए जहां लगभग सभी वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून से होती है।

(vi) उस स्थान का नाम बताइए जहां तापक्रम विषम है और वर्षा जून तथा सितंबर के बीच केंद्रित है।

स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक

आपको ज्ञात है कि कर्क वृत्त हमारे देश को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इससे दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जबकि उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंध में स्थित है।

भारत के उच्चावच मानचित्र (चित्र 8.3) को देखिए। प्रायद्वीपीय पठार के त्रिभुजाकार रूप के कारण इसे घेरे हुए महासागर तथा सागरों का समकारी प्रभाव इसके एक बहुत बड़े क्षेत्र पर पड़ता है। उत्तरी मैदान प्रायः महाद्वीपीय स्थिति वाले हैं क्योंकि वे समुद्र से दूर हैं।

उत्तर में ऊंची पर्वत शृंखला एक प्रभावी जलवायु विभाजक का कार्य करती है। ये मध्य एशिया में उत्पन्न होने वाली ठंढी और बर्फीली पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करती हैं। इन पर्वत शृंखलाओं के कारण ही भारत जाड़ों में अपेक्षाकृत गर्म जलवायु का अनुभव करता है तथा उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय भारत के ताप परिसरों में अधिक अंतर नहीं बढ़ने पाता।

वायुदाब तथा पवनें

भारतीय ऋतु-दशाएं मुख्यतः निम्नलिखित से प्रभावित होती हैं :

(i) वायुदाब के वितरण तथा धरातलीय पवनों से;

(ii) ऊपरी वायुमंडल की वायुधाराओं से; तथा

(iii) पश्चिमी विक्षाभों के जाड़े में आगमन तथा दक्षिण-पश्चिम मानसून के समय उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से।

संसार के वायुदाब की पेटियों तथा भूमंडलीय पवनों को दिखाने वाले मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि भारत उत्तर-पूर्वी संमार्गीय (व्यापारिक) पवनों के क्षेत्र में पड़ता है। यह पवन उत्तरी गोलार्ध की उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। वहां से ये विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं और अपने दाहिने हाथ की ओर अर्थात पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। ज्ञात कीजिए इन पवनों को 'ट्रेड पवनें' क्यों कहते हैं? (ध्यान रहे इस संबंध में ट्रेड जर्मन भाषा का एक शब्द है।) ये पवनें भारत में आर्द्रता-रहित होती हैं अतः इनसे देश के अधिकतर भागों में वर्षण नहीं होता। इस नाते तो भारत को एक शुष्क देश होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं हैं। क्यों? हमें इसका कारण ज्ञात करना चाहिए।

जाड़े की ऋतु में हिमालय के उत्तर में एक उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। उत्तर से अपेक्षाकृत गर्म दक्षिण की ओर सूखी ठंढी पवनें चलती हैं। वर्ष भर यहां मेघ रहित आकाश पाया जाता है। गर्मियों में, स्थल जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। अतः एशिया के आंतरिक भागों में एक निम्नदाब क्षेत्र विकसित होता है। इसके कारण दक्षिण में हिंद महासागर में केंद्रित उच्च दाब क्षेत्र से पवनें उत्तर के निम्नदाब क्षेत्र की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। इस प्रकार पवनों की दिशा बिल्कुल विपरीत हो जाती है। यह दक्षिण से चलने वाली पवनें भी अपने दाहिने हाथ की ओर मुड़ जाती हैं। इन्हें दक्षिण-पश्चिम मानसून कहते हैं। ये हवाएं समुद्र की ओर से आने के कारण आर्द्रता-युक्त होती हैं और देश के अधिकांश भागों में वर्षण करती हैं।

ऊपरी (उपरितन) वायु धाराएं

वायुमंडल के ऊपरी भागों में वायु धाराओं का प्रतिरूप बहुत ही भिन्न होता है। हिमालय के उत्तर में पश्चिम तथा मध्य एशिया में एक पछुआ वायु धारा चलती है। ये ऊपरी वायुमंडल में एक पतली-सी पेटी में बहुत तेज गति से चलने वाली हवाएं हैं। इन्हें *जेट स्ट्रीम* कहते हैं। तिब्बतीय उच्च भूमि इन पछुआ जेट स्ट्रीम के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है और ये दो भागों में बंट जाती हैं। इनकी दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती है। ये भारत में जाड़े के मौसम पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव दिखाती हैं। पश्चिमी विक्षोभ, जो भारत में पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम से प्रवेश करते हैं, इन्हीं वायु धाराओं द्वारा यहां लाए जाते हैं। गर्मियों में यह पछुवा जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर खिसक कर मध्य एशिया में तेनशान पर्वतों के उत्तर की ओर स्थित हो जाती है। इसका स्थान एक पूर्वी जेट स्ट्रीम ले लेती है जो उत्तरी भारत में 25° उत्तरी आक्षांश के साथ चलती हैं। स्थलीय भागों में निम्नदाब तथा इस पूर्वी जेट स्ट्रीम के प्रभाव से भारत में गर्मियों में उष्णकटिबंधीय अवदाब प्रवेश करते हैं। यह अवदाब मानसूनी वर्षण को सारे भारत में वितरित करने में सहायक होते हैं।

भारतीय मानसून

ऊपर के संक्षिप्त वर्णन में दी गईं दशाएं - भारत के ऊपर जाड़े तथा गर्मी के महीनों में पाई जाने वाली ऋतु दशाएं - उस विशिष्ट जलवायु तंत्र के विभिन्न पक्ष हैं जिसे भारतीय मानसून कहते हैं।

चित्र 9.2 *भारतीय मानसून*

मानसून का परिदृश्य बहुत प्राचीन है परंतु इसके कारकों तथा स्वभाव पर निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं। यद्यपि मानसूनी परिदृश्य केवल 20° उत्तर तथा 20° दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित है, पर विश्व स्तर पर इसके परिदृश्य के संबंध में महत्त्वपूर्ण अध्ययन हुए हैं। हिमालय से प्रभावित होने के कारण यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला है।

मानसून का स्वभाव एवं रचना-तंत्र संसार के विभिन्न भागों में, स्थल, महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती (लगभग 18° द. तथा 149° प.) तथा हिंद महासागर में आस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन (12°30′ द. तथा 131° पू.) के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों (मापदंडों) के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में काफी समय का पूर्वानुमान लगाता है। पिछले कुछ वर्षों में इसके पूर्वानुमान निश्चित ही सही उतरे हैं।

वार्षिक ऋतु चक्र

मानसून तुल्य जलवायु की विशेषता एक स्पष्ट ऋतु चक्र है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की दशाएं बहुत बदल जाती हैं। यह परिवर्तन देश के भीतरी भागों में विशेष रूप से देखे जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में तापमान के अधिक अंतर का अनुभव नहीं होता पर वर्षण के प्रतिरूप में निश्चित अंतर पाया जाता है। भारत में चार मुख्य ऋतुएं हैं और उनके निश्चित क्रम ये हैं ;

(i) ठंडी शीत ऋतु
(ii) गर्म ग्रीष्म ऋतु
(iii) आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु
(iv) पीछे हटते (लौटते) हुए मानसून की ऋतु

***ठंडी शीत ऋतु* :** उत्तरी भारत में मध्य नवंबर से शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती हैं और फरवरी तक रहती हैं। दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटने लगता है। जबकि चेन्नई में औसत तापमान 24° से. से 25° से. के बीच रहता है, उत्तरी मैदानों में यह 100 से. से 150 से. के बीच रहता है। दिन प्रायः गरम रहते हैं पर रातें ठंडी होती हैं, ऊंचे क्षेत्रों में सामान्यतया पाला पड़ता है।

इस ऋतु में देश के ऊपर उत्तरी-पूर्वी संमार्गी व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं अतः देश के अधिकतर भाग में यह सूखी ऋतु होती है। फिर भी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में इन्हीं पवनों से वर्षण होता है क्योंकि यहां ये समुद्र को पार करके स्थल में पहुंचती हैं।

देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्चदाब वाला क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में मंद पवनें बाहर की ओर चलने लगती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर गंगा की घाटी में यह पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम दिशा से बहती हैं। मौसम प्रायः सुहावना रहता है, आकाश स्वच्छ तथा तापमान एवं आर्द्रता कम होते हैं।

उत्तरी भाग के मैदानों में शीत ऋतु की एक खास विशेषता पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम से आने वाले विक्षोभ हैं। इन निम्नदाब के प्रक्रमों को पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, जो भूमध्य सागर तथा पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होते हैं। ये पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं और भारत में पछुआ जेट स्ट्रीम द्वारा लाए जाते हैं। इनसे मैदानी भागों में बहु-प्रतीक्षित वर्षा तथा हिमालय क्षेत्रों में हिमपात होता है। यद्यपि जाड़ों में वर्षा की मात्रा कम होती है परंतु रबी की फसल के लिए यह बहुत मूल्यवान है।

प्रायद्वीपीय क्षेत्र में शीतऋतु बहुत स्पष्ट नहीं होती। समुद्र के प्रभाव के कारण, तापमान के वितरण में यहां अधिक ऋतुवत अंतर नहीं पाया जाता।

गर्म ग्रीष्म ऋतु : सूर्य के उत्तरायण होने के कारण विश्व की उष्मा-पेटी दक्षिण से उत्तर की ओर खिसक जाती है। फलतः भारत में मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है। परंतु उष्मा-पेटी के खिसकने का प्रभाव विभिन्न अक्षांशों पर स्थित विभिन्न स्थानों के मार्च से मई के तापमानों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दक्कन के पठार में मार्च के महीने में अधिकतम तापमान लगभग 38° से. पाया जाता है। अप्रैल के महीने में गुजरात तथा मध्यप्रदेश में तापमान 42° से. के आसपास पाए जाते हैं। मई के महीने में देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में 48° से. के आसपास तापमान का होना सामान्य बात है। प्रायद्वीपीय भारत में महासागर के तापमान पर समकारी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है (दक्कन पठार में 38° से.)। देश के उत्तरी-पश्चिमी भाग में 48° से. तापमान इस बात का प्रतीक है कि समुद्र से बहुत दूर होने के कारण यहां के तापमान पर समुद्र का समकारी प्रभाव नहीं पड़ता।

ग्रीष्म ऋतु में देश के उत्तरी भाग में बढ़ते हुए तापमान तथा घटते हुए वायुदाब का अनुभव होता है। मई के अंत तक यहां एक लंबा निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है जो उत्तर-पश्चिम में थार की मरुभूमि से पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक फैला होता है। वायु का परिसंचरण इस निम्नदाब क्षेत्र (गर्म) की ओर प्रारंभ हो जाता है।

ग्रीष्म ऋतु का एक विशिष्ट लक्षण गर्म हवा 'लू' है। ये उत्तरी तथा उत्तरी-पश्चिमी भारत में चलने वाली शुष्क, गर्म तथा तेज़ हवाएं हैं। ये अधिकतर अर्धरात्रि तक भी चलती रहती हैं। इन गर्म हवाओं का संपर्क कभी-कभी प्राण घातक भी हो सकता है। इस क्षेत्र में मई के महीने में शाम को आने वाले अंधड़ तथा तूफान बहुत साधारण घटना हैं। इन आंधियों के बाद कभी-कभी हल्की वर्षा हो जाने से शीतल हवाएं बहने लगती हैं, इनसे तापमान कम हो जाता है और कष्टदायक गर्मी से, अस्थायी ही सही, राहत मिलती है। स्थानीय तूफानों के उत्पन्न होने के साथ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, मूसलाधार वर्षा होती है तथा कभी-कभी ओले गिरना भी सामान्य बात है।

ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल तथा कर्नाटक में मानसून - पूर्व फुहारें पड़ना सामान्य बात है। आम के फलों के शीघ्र पकने में सहायक होने के कारण इस फुहार को स्थानीय भाषा में 'आम्रवृष्टि' कहा जाता है।

आगे बढ़ता हुआ मानसून - वर्षा ऋतु : उत्तरी -पश्चिमी मैदानों में जून के प्रारंभ तक निम्नदाब दशाएं और अधिक तीव्र हो जाती हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध की संमार्गी (व्यापारिक) पवनों को आकर्षित करने में काफी सक्षम होती हैं। ये दक्षिणी-पूर्वी संमार्गी (व्यापारिक) पवनें महासागरों में उत्पन्न होती हैं। हिंद महासागर के ऊपर से बहती हुई ये पवनें विषुवत वृत्त को पार करती हैं और दक्षिण-पश्चिम दिशा से चलने लगती हैं। विषुवत रेखीय गर्म जल धारा के ऊपर से गुजरने के कारण ये अपने साथ भारी मात्रा में आर्द्रता लेकर आती हैं। संमार्गी(व्यापारिक) पवनों की भांति मानसून पवनें उतनी नियमित नहीं होतीं। इनकी प्रकृति स्पंदनयुक्त होती है।

ये पवनें तेज चलती हैं और इनकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रतिघंटा होती है। सुदूर उत्तर-पश्चिम को छोड़कर, ये पवनें एक महीने में ही सारे देश में फैल जाती हैं। आर्द्रता से युक्त इन पवनों के साथ ही बादलों की तेज गड़गड़ाहट,

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।

चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं।

इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य में दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमाएं, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित हैं परंतु अभी सत्यापित होनी हैं।

इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।

आंतरिक विवरणों का सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

इस मानचित्र में दर्शित अक्षांतिप्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 9.3 *आगे बढ़ता हुआ मानसून*

बिजली चमक और मूसलधार वर्षा होती है। इसे 'मानसून का फटना' कहते हैं।

भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के साथ मौसम में पूरा परिवर्तन हो जाता है। भारतीय प्रायद्वीप मानसून को दो शाखाओं में बांट देता है : अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा।

मानसून की अरब सागर शाखा के मार्ग में पश्चिमी घाट पर्वत अवरोध के रूप में आ जाते हैं। सह्याद्रि पर्वतों के पवनाविमुख ढालों पर बहुत भारी वर्षा होती हैं। पश्चिमी घाटों को पार करके, ये हवाएं दक्कन के पठार तथा मध्य प्रदेश में पहुंचती हैं। यहां इनसे अच्छी मात्रा में वर्षा होती है। उसके बाद ये गंगा के मैदान में प्रवेश करती हैं और मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से मिल जाती हैं। अरब सागर की शाखा का दूसरा भाग सौराष्ट्र प्रायद्वीप तथा कच्छ में प्रवेश करता है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर से आगे बढ़ता हुआ यहां यह हल्की वर्षा करता है। पंजाब तथा हरियाणा में यह भी बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाता है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के साथ मिलकर पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में वर्षा करती हैं।

बंगाल की खाड़ी की शाखा स्वाभाविक रूप से म्यांमार के तट तथा बांग्लादेश के दक्षिणी-पूर्वी भागों की ओर बढ़ती हैं। परंतु म्यांमार के तट के साथ विस्तृत अराकान पहाड़ियों के कारण मुड़कर इस शाखा का अधिकांश भाग दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व दिशा से बांग्लादेश तथा पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करता है। हिमालय तथा उत्तरी-पश्चिमी भारत के तापीय निम्नदाब के कारण यह शाखा दो भागों में बंट जाती हैं। एक भाग पश्चिम की ओर गंगा के मैदान से होते हुए पंजाब के मैदानों तक पहुंचता है। दूसरा भाग ब्रह्मपुत्र की घाटी में ऊपर उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ता है और उत्तर-पूर्वी भारत में खूब वर्षा करता है। खासी पहाड़ियों की दक्षिणी श्रेणी के शीर्ष पर स्थित माउसिनराम में संसार की सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। चेरापूंजी, जो माउसिनराम से 16 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ने वर्षा के कुछ अन्य कीर्तिमान स्थापित किए हुए है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा का वितरण देश के उच्चावच से प्रभावित है। उदाहरणस्वरूप पश्चिमी घाट पर्वतों के पवनाभिमुख ढालों पर 250 से.मी. से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। इसके विपरीत इन घाटों के वृष्टि-छाया प्रदेश में 50 से.मी. से कम वर्षा होती है। इसी प्रकार उत्तरी-पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा यहां की पहाड़ियों तथा पर्वत श्रेणियों के कारण होती है। इस ऋतु में कोलकाता में 120 से.मी., पटना में 102 से.मी., इलाहाबाद में 91 से.मी. तथा दिल्ली में 56 से.मी. वर्षा होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की यह घटती हुई मात्रा समुद्र से बढ़ने वाली दूरी के कारण है।

मानसून की प्रवृत्ति के संबंध में दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य इसका 'टूटना' या क्रम-भंग होना है। इसलिए इसमें सूखे और आर्द्र अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में, मानसूनी वर्षा एक साथ केवल कुछ दिनों तक होती है। इनके बीच में वर्षा-रहित अंतराल होते हैं। मानसून के ये क्रम-भंग उष्णकटिबंधीय अवदाब की तीव्रता तथा आवृत्ति से संबंधित हैं। ये अवदाब बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भाग में उत्पन्न होते हैं और फिर मुख्य भू-भाग पर आगे बढ़ते हैं। इस अवदाब का मार्ग 'निम्नदाब के मानसूनी गर्त' के अक्ष के साथ-साथ होता है। अनेक कारणों से यह गर्त तथा इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है जिससे वर्षा का धरातलीय वितरण निर्धारित होता है। जब इस मानसून गर्त का अक्ष मैदानों के ऊपर रहता है तब इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। इसके विपरीत जब यह अक्ष हिमालय के निकट खिसक जाता है तब, हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपवाह-क्षेत्रों में, अधिक वर्षा होती है और मैदानों में लंबी अवधि का सूखा मौसम हो जाता है। पर्वतीय ढालों पर भारी वर्षा के फलस्वरूप विनाशकारी बाढ़ें आती हैं जिससे मैदानी भागों में जन-धन की भारी हानि होती है।

मानसून अपनी अनिश्चितता तथा स्वेच्छाचारिता के लिए विख्यात है। तीव्रता, आवृत्ति तथा अवधि की दृष्टि से सूखे तथा वर्षा के दिनों का क्रम बदलता रहता है। किसी एक भाग में इनसे बाढ़ें आ सकती हैं जबकि दूसरे भाग में ये सूखे के लिए उत्तरदायी होंगी। मानसून अपने आगमन और वापसी में अनियमित एवं अनिश्चित होता है इससे देश के करोड़ों कृषकों के कृषि-कार्यों में बाधा पड़ती है और अव्यवस्था होती है।

पीछे हटता हुआ मानसून

अक्टूबर और नवंबर के महीनों में, निम्नदाब का मानसून गर्त कमजोर पड़ जाता है और उसका स्थान धीरे-धीरे उच्च वायुदाब ले लेता है। मानसून की पहुंच कम हो जाती है और यह धीरे-धीरे पीछे हटने लगता है। इसे ही मानसून का पीछे हटना कहते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून उत्तरी मैदानों से पीछे हटने लगता है।

चित्र 9.4 *पीछे हटता हुआ मानसून*

अक्टूबर-नवंबर के महीने संक्रमण के समय हैं जब गर्म वर्षा ऋतु के स्थान पर शुष्क शीतकालीन दशाएं प्रारंभ होती हैं। स्वच्छ आकाश तथा बढ़ता हुआ तापमान पीछे हटते मानसून के द्योतक हैं। दिन में तापमान बढ़ जाते हैं और रातें ठंडी तथा सुखद होती हैं। भूमि अभी आर्द्र रहती है। उच्च तापमान तथा आर्द्रता की दशाओं के

चित्र 9.5 *ऋतुवत् वर्षा (जून-सितंबर)*

कारण दिन का मौसम कष्टदायक हो जाता है। इसे सामान्य भाषा में 'क्वांर की उमस' कहते हैं। अक्टूबर के उत्तरार्ध में, विशेषकर उत्तरी भारत में, तापमान तेजी से गिरने लगता है।

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
समुद्र में भारत का जलप्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
आंतरिक विवरण को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 9.6 *वार्षिक वर्षा*

नवंबर के प्रारंभ में उत्तरी-पश्चिमी भारत में पहले से बना निम्न वायुदाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है। इस स्थानांतरण का संबंध उन चक्रवातीय अवदाबों से है जो अंडमान सागर में उत्पन्न होते हैं। इनमें से जो अवदाब

भारत के पूर्वी तट को पार कर जाते हैं वे व्यापक तथा भारी वर्षा करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः बहुत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन बसे डेल्टा प्रदेशों में ये चक्रवात अक्सर आते हैं ओर इनसे जन-धन की बहुत हानि होती है। कभी-कभी यह चक्रवात उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा बांग्लादेश में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है।

वर्षण का वितरण

भारत के पश्चिमी तट तथा उत्तरी-पूर्वी भागों में वार्षिक वर्षा 300 से.मी. से अधिक है। परंतु पश्चिमी राजस्थान तथा इसके निकटवर्ती गुजरात, हरियाणा तथा पंजाब के भागों में इसकी मात्रा 50 सें.मी. से भी कम होती है। इसी प्रकार सह्याद्रि के पूर्व में दक्कन पठार के आंतरिक भागों में भी वर्षा कम होती है। कम वर्षण वाला एक तीसरा क्षेत्र लेह के आसपास जम्मू तथा कश्मीर में है। देश के शेष भागों में साधारण वर्षा होती है। हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित है।

मानसून की स्वेच्छाचारिता के कारण वार्षिक वर्षा की मात्रा वर्ष-प्रतिवर्ष बहुत घटती-बढ़ती रहती है। वर्षा की यह विषमता (परिवर्तनशीलता) निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों, जैसे राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टिछाया प्रदेशों, में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रो में सूखे की आशंका बनी रहती है।

मानसून : एकता का परिचायक

हम यह पहले पढ़ चुके हैं कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की अत्यंत ठंडी पवनों से रक्षा करते हैं। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च आक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु-चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि-चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार-उत्सव, सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए :

    (i) 'मानसून' का क्या अर्थ है?

    (ii) मौसम तथा जलवायु के तत्त्वों के नाम लिखिए।

    (iii) भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है?

    (iv) भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों के नाम लिखिए।

    (v) 'जेट स्ट्रीम' क्या हैं?

    (vi) भारत में कितनी ऋतुएं मानी जाती हैं? उनके नाम लिखिए।

    (vii) भारत में दक्षिणी-पश्चिमी पवनों से वर्षा क्यो होती है?

    (viii) 'लू' शब्द से क्या अर्थ है?

    (ix) भारत में किस स्थान पर संसार की सर्वाधिक वर्षा आलेखित की गई है?

    (x) भारत के अधिक वर्षा वाले चार महीनों के नाम बताइए।

    (xi) 'पीछे हटती मानसून' का क्या अर्थ है?

    (xii) 'मानसून फटने' का क्या अर्थ है?

2. कारण बताइए :

(i) भारतीय उपमहाद्वीप में पवनों की दिशा ऋतुवत विपरीत होती है।
(ii) भारत की अधिकांश वर्षा केवल कुछ महीनों में ही होती है।
(iii) तमिलनाडु तट पर जाड़े में वर्षा होती है।
(iv) गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टाओं में चक्रवात प्रायः आते हैं।
(v) राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी घाट के वृष्टिछाया क्षेत्र सूखा से प्रभावित हैं।

3. भारत की जलवायु दशाओं की क्षेत्रीय विषमताओं को उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाए।
4. भारत की जलवायु दशाओं को नियंत्रित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
5. भारत की जलवायु के निर्धारण में स्थिति एवं उच्चावच का महत्त्व बताइए।
6. भारत में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कीजिए।
7. भारत में वर्षण का वितरण स्पष्ट कीजिए। इसके असमान वितरण के प्रभाव भी बताइए।
8. मानसून भारत में एकता कैसे स्थापित करता है, समझाइए।

मानचित्र कार्य

भारत के रेखामानचित्र में निम्नलिखित दिखाइए :

(i) 300 से.मी. से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र।
(ii) 20 से.मी. से कम वर्षा वाले क्षेत्र
(iii) भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की दिशा।
(iv) उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के सामान्य मार्ग।

परियोजना कार्य

- ज्ञात कीजिए कि आपके क्षेत्र में कौन-से गीत, नृत्य, त्योहार तथा विशेष भोजन ऋतुओं से संबंधित हैं। क्या उनकी भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों से भी कुछ समानता है ?
- भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विशेष ग्रामीण मकानों तथा लोगों की वेशभूषा के फोटोग्राफ इकट्ठे कीजिए। देखिए कि क्या उनमें और उन क्षेत्रों की जलवायु की दशाओं तथा उच्चावच में कोई संबंध है।

10 अपवाह

'अपवाह' या 'प्रवाह' शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र के नदी तंत्रों के अध्ययन के लिए किया जाता है। किसी भी प्राकृतिक मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि छोटी धाराएं विभिन्न दिशाओं से बहकर आती हैं और मिलकर मुख्य नदी का निर्माण करती हैं, जो अंततः बहकर जल के बहुत बड़े भाग जैसे एक झील, अथवा समुद्र अथवा महासागर में मिलती है। किसी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक 'प्रवाह द्रोणी' या 'नदी द्रोणी' कहते हैं। अधिक गौर से देखने पर आप पाएंगे कि एक ऊंची भूमि, जैसे पर्वत या उच्चभूमि, दो पड़ोसी प्रवाह द्रोणियों को पृथक करती है। ऐसी उच्च भूमि को जल-भाजक अथवा जल-विभाजक कहते हैं।

एक प्रवाह-द्रोणी में धाराओं की व्यवस्था काफी रोचक होती है। उच्चावच, भूगर्भीय संरचना तथा जलवायु की दशाओं के आधार पर नदियां अनेक प्रतिरूप बनाती हैं जैसे वृक्षाकार, जालीनुमा तथा अपकेंद्री। जैसा नाम से ही स्पष्ट होता है 'वृक्षाकार प्रतिरूप' में एक मुख्य नदी और उसकी सहायक धाराएं होती हैं जो वृक्ष की शाखाओं के समान दिखाई पड़ता है। 'अपकेंद्री प्रतिरूप' में धाराएं एक केंद्रीय शिखर या गुंबदाकार भाग से विभिन्न दिशाओं में चारों तरफ प्रवाहित होती हैं। जब एक बड़ी नदी में अनेक छोटी धाराएं, प्रायः समकोण बनाती हुई, मिलती हैं तो इससे एक आयताकार प्रणाली, जिसे 'जालीनुमा प्रतिरूप' कहते है, बनती है।

(अ) द्रुमाकृतिक

(ब) जालीनुमा

इस पृष्ठभूमि के साथ हम भारत के प्रवाह तंत्र को भली प्रकार समझ सकते हैं। प्रवाह तंत्र वास्तव में देश के प्रमुख भू-उच्चावच की विकास प्रक्रिया का परिणाम है। उद्गम के आधार पर भारत के नदी तंत्रों को दो भागों में विभाजित किया जाता हैः

(i) हिमालय की नदियां, तथा

(ii) प्रायद्वीपीय नदियां

इन दो वर्गों की नदियों में महत्त्वपूर्ण अंतर है। हिमालय की नदियों की द्रोणियां बड़ी हैं। अनेक नदियां हिमालय से होकर गुजरती हुई बहुत ही दर्शनीय महाखड्ड (गार्ज) बनाती हैं। ये गहरी घाटियां जिनके किनारे तेज ढाल वाले हैं, हिमालय के उत्थान के समय इन नदियों द्वारा होने वाले गहरे कटाव के फलस्वरूप बनी हैं। ये नदियां *सदावाहिनी* हैं क्योंकि इन्हें वर्षा तथा बर्फ के पिघलने से भी जल प्राप्त होता है। ये नदियां ऊपरी भागों में अत्यधिक अपरदन करती हैं और विशाल मात्रा में बालू तथा मिट्टी बहाकर ले जाती हैं। मैदानों में ये विशाल मोड़ या विसर्प बनाती

(स) अरीय

(द) यमुना द्रोण का एक हिस्सा

चित्र 10.1 *प्रवाह प्रतिरूप (अ) वृक्षाकार (ब) अपकेंद्री (स) जालीनुमा (द) गिरी द्रोणी, यमुना की एक सहायक नदी*

हैं तथा अवसाद के निक्षेपों से विभिन्न प्रकार की आकृतियां जैसे बाढ़ के मैदान, तटबंध तथा तेज़ ढाल वाले टीले आदि बनते हैं।

प्रायद्वीपीय नदियां कम गहरी घाटियों से होकर बहती हैं। इनमें से अधिकांश मौसमी हैं क्योंकि उनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर होता है। गर्मी के दिनों में बड़ी नदियों की धाराओं

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।

चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।

इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य में दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमाएं उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है परंतु अभी सत्यापित होनी है।

इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।

आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

इस मानचित्र में दर्शित आंतरिक विवरण विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 10.2 *भारत की प्रमुख नदियां तथा झीलें*

में भी बहुत कम पानी का बहाव होता है। उनके मंद ढाल के कारण उनमें अपरदन की क्रिया अपेक्षाकृत कम होती है। कठोर शैलों वाली तली तथा बालू और गाद की कमी के कारण इन नदियों मे कोई विशेष विसर्पण नहीं हो पाता। इसलिए अनेक नदियों के मार्ग सीधे तथा रैखिक हैं।

अपवाह तंत्र

हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां अनेक अपवाह द्रोणियों में विभाजित हो सकती हैं। *हिमालय से निकलने वाली नदियां तीन नदी तंत्रों में विभाजित की जा सकती हैं :*

(i) सिंधु नदी तंत्र;

(ii) गंगा नदी तंत्र; तथा

(iii) ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।

सिंधु नदी तंत्र : सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम की ओर बहती हुई यह भारत में जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय महाखड्ड (गार्ज) का निर्माण करती हैं। कश्मीर क्षेत्र में इसमें कई सहायक नदियां जैसे - जास्कर, श्योक, नूबरा, हुंजा आदि मिलती हैं। यह लद्दाख, बालतिस्तान तथा गिलगित होते हुए बहती है और अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। पंजाब की पांच प्रसिद्ध नदियां - सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम का सम्मिलित जल सिंधु नदी में मिठान-कोट के थोड़ा-सा ऊपर मिलता है। सिंधु नदी पाकिस्तान के मध्य से होकर दक्षिण की ओर बहती है और कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिलती है। सिंधु के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और यह संसार की लंबी नदियों में से एक है। सिंधु की द्रोणी का एक-तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब) में स्थित है। सिंधु के जल के बंटवारे के विषय में भारत तथा पाकिस्तान के बीच एक समझौता है। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों के अनुसार, भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20 प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है। इस नदी तंत्र के जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं।

गंगा नदी तंत्र : गंगा अपना यह नाम देवप्रयाग, जहां इसकी दो शीर्ष धाराएं - अलकनंदा तथा भागीरथी मिलती हैं, के पश्चात धारण करती है। गंगा हरिद्वार में हिमालय पर्वत से निकल कर मैदान में प्रवेश करती है। उत्तर की ओर से आकर इसमें बड़ी संख्या में सहायक नदियां मिलती हैं। इनमें से घाघरा, गंडक तथा कोसी भारत के उत्तरी मैदानों में नेपाल से प्रवेश करती हैं। इन नदियों में बहुत अधिक जलशक्ति उत्पन्न करने की तथा भारत और नेपाल दोनों में सिंचाई करने की संभावित क्षमता है। आपसी विश्वास तथा सहयोग द्वारा विकास कार्यों के लिए नदियों के जल का उपयोग करने से दोनों देशों के निवासियों की संपन्नता में वृद्धि हो सकती है।

यमुना तथा सोन, गंगा के दाहिने किनारे से मिलने वाली दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। उस स्थान का नाम ज्ञात कीजिए जहां यमुना गंगा से मिलती है।

फरक्का से आगे, गंगा दक्षिण-पूर्व से पूर्व की ओर बहकर पद्मा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। मुख्य नदी की एक शाखा, जिसे भागीरथी-हुगली कहते हैं दक्षिण की ओर डेल्टाई मैदानों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। मुख्य धारा पद्मा बांग्लादेश में दक्षिण की ओर बहती है जहां इसमें ब्रह्मपुत्र मिलती है जिसे यहां जमुना कहते हैं। और आगे इसमें मेघना मिलती हैं और जब तक यह बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती इस सम्मलित धारा का नाम मेघना ही है। गंगा के जल के बंटवारे के बारे में भारत तथा बांग्लादेश के बीच एक समझौता है।

गंगा की लंबाई 2,500 किलोमीटर से अधिक है। भारत में इसकी द्रोणी सबसे बड़ी है। उत्तर भारत का अधिकांश जल गंगा नदी तंत्र द्वारा बहाया जाता है। चित्र 8.4 तथा 10.2 देखिए। *गंगा नदी तंत्र कौन-सा अपवाह तंत्र है ? अंबाला* नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल-विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में, प्रति 6 किलोमीटर की दूरी में गिरावट पर ढाल केवल एक मीटर है। इसलिए यहां नदियों में अनेक बड़े-बड़े मोड़ या विसर्प बन जाते है।

ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र : ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सिंधु तथा सतलुज नदियों के उद्गम के निकट से ही निकलती है। यह सिंधु से थोड़ी अधिक लंबी है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर (7,757 मी.) के पास

चित्र 10.3 *गुंफित नदी*

पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू (U) अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। इरा शक्तिशाली नदी द्वारा यहां 5,500 मीटर गहरा महाखड्ड बनाया गया है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश तथा असम से होकर बहती है और इसमें अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। तिब्बत में इरा नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। यहां इसमें कम पानी मिलता है और इसमें गाद (बालू मिट्टी) भी कम है। परंतु भारत में यह एक ऐसे क्षेत्र से गुजरती है जहां बहुत भारी वर्षा होती है। इरालिए इस नदी में विशाल मात्रा में जलराशि तथा गाद भी बहकर आती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुंफित नदी के रूप में बहती है जिसकी धारा के बीच में कुछ बडे द्वीप भी हैं।

नदी की धाराओं का खिसकना या मार्ग परिवर्तन बहुत सामान्य घटना है। वर्षा के समय नदी का प्रकोप बहुत अधिक होता है। ब्रह्मपुत्र के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बाढ़ से भयंकर विनाश होता है। इराके विपरीत कुछ बड़े क्षेत्रों में सूखे का भी प्रकोप होता है। इसके लिए आवश्यक है कि भारत तथा बांग्लादेश मिलकर नदी के जल प्रबंधन के संयुक्त प्रयारा करें जिसरो दोनों देशों का हित हो सके।

प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट हैं जो पश्चिमी तट के काफी निकट है। प्रायद्वीप की अधिकांश प्रमुख नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहानों के निकट डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी घाट पर्वतों के पश्चिम की ओर असंख्य छोटी-छोटी नदियां बहती हैं। नर्मदा तथा तापी ही दो बड़ी नदियां है जो पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। इस भाग की मुख्य अपवाह द्रोणियां निम्नलिखित हैं।

नर्मदा द्रोणी : नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट है। पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में एक

चित्र 10.4 *नर्मदा द्रोणी*

गर्त में लगभग 1,300 किलोमीटर दूर तक बहने के पश्चात यह अरब सागर में एक ज्वारनदमुख (Estuary) बनाती हुई मिलती है। इसकी संपूर्ण द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों में सीमित है। मध्य प्रदेश की संगमरमर शैलों में (भेड़ाघाट, जबलपुर) इसका महाखड्ड बहुत ही सुंदर है। इस नदी में सहायक नदियों के तंत्र की कमी है। इसकी कोई भी सहायक नदी 200 किलोमीटर से अधिक लंबी नहीं है। क्या यह एक जालीनुमा नदी प्रतिरूप बनाती है ?

तापी द्रोणी : तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बेतूल जिले में है। यह नर्मदा के समानांतर एक गर्त में प्रवाहित होती है। यह लंबाई में नर्मदा से बहुत छोटी है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। यह आकार में भी नर्मदा की द्रोणी की अपेक्षा छोटी है।

गोदावरी द्रोणी : यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1,500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीप की नदियों में इसकी द्रोणी सबसे बड़ी है। इसकी द्रोणी का लगभग 50 प्रतिशत भाग केवल महाराष्ट्र में है और शेष भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्रप्रदेश में है।

गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रान्हिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से आखिरी तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार तथा विस्तार के कारण ही गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं।

महानदी द्रोणी : महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। यह उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी द्रोणी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र राज्यों में है।

कृष्णा द्रोणी : महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1,400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्रप्रदेश में फैली है।

कावेरी द्रोणी : यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिर श्रेणी से निकलती है। 800 किलोमीटर से अधिक बहकर यह कावेरीपटनम के निकट बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी द्रोणी केरल, कर्नाटक, तथा तमिलनाडु में विस्तृत है।

इसके अतिरिक्त, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कुछ अन्य छोटी नदियों की द्रोणियां भी हैं जैसे पेन्नार, सुवर्णरेखा तथा माही नदियों की द्रोणियां।

झीलें तथा अंतःस्थलीय अपवाह

इतना बड़ा देश होते हुए भी भारत में प्राकृतिक झीलें अपेक्षाकृत कम है। 'झील' एक जलाशय है जो भूतल के किसी विस्तृत गड्ढे या गर्त में जल भर जाने से बनती है और हर ओर से स्थल से घिरी होती है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में, ये तब बनी जब हिमानियों ने या तो कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी के मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रिया के कारण बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ापानी भारत की कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सांभर एक नमकीन या खारे पानी की झील है। इसका जल नमक तैयार करने के लिए प्रयोग होता है। उड़ीसा में चिल्का झील एक बहुत बड़ी लैगून (पश्चजल) झील है जो मुख्य समुद्र से, जिसका यह कभी भाग थी, धीरे-धीरे अलग होती जा रही है (चित्र 10.2)। भारत की अनेक झीलें मानव-निर्मित हैं जो नदियों में बांध बनाकर बनाई गई हैं।

भारत में अंतःस्थलीय अपवाह केवल शुष्क तथा अर्ध-शुष्क उत्तरी-पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजस्थान की मरुभूमि में पाया जाता है। अंतःस्थलीय अपवाह से हमारा आशय उस अपवाह से है जिससे नदियां किसी सागर या महासागर तक नहीं पहुंचती और अपना जल किसी झील या आंतरिक समुद्र में ही गिरा देती हैं। भारत के उत्तर - पश्चिमी भाग में अनेक खारे पानी की झीलें हैं। इनमें छोटी तथा मौसमी जलधाराएं जल बहाकर लाती हैं और कभी-कभी वर्षा ऋतु में इनमें अचानक बाढ़ें आ जाती हैं। वर्षा समाप्त होने के बाद ये शुष्क हो जाती हैं।

भारत में धरातल के कुल जल का दो-तिहाई भाग बहकर बंगाल की खाड़ी में जाता है। शेष का लगभग 20 प्रतिशत अरब सागर में बहकर जाता है। 10 प्रतिशत से कम भाग राजस्थान के अंतःस्थलीय अपवाह के रूप में और जम्मू और कश्मीर के अक्साई चिन में पाया जाता है।

इसका कुछ भाग सिंधु नदी की द्रोणी तथा शेष प्रायद्वीपीय नदियों के भाग हैं। लगभग एक प्रतिशत जल म्यांमार में इरावदी नदी की सहायक नदियों द्वारा अंडमान सागर में ले जाया जाता है।

नदियां : मानव सभ्यता की जीवन रेखाएं

नदियां देश की एक अभिन्न अंग हैं। एक नदी केवल जल मात्र ही नहीं है जो बहकर समुद्र में जाता है। यह अपने साथ केवल जल ही बहाकर नहीं ले जाती वरन विभिन्न प्रकार के अवसाद तथा घुले हुए खनिज भी ले जाती है। ज्वारनदमुख, जहां नदियों का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी में मिलता है, संसार के सबसे अधिक जैविक उत्पादनों वाले क्षेत्र होते हैं। नदियों पर सभी समाज और सभ्यताएं आश्रित रहीं हैं। चाहे वह आखेट करने वाले रहे हों या फल संग्रह करने वाले, पशुपालक रहे हों या कृषक, सभी विभिन्न रूपों में जल का प्रयोग करने के लिए नदियों पर निर्भर रहे हैं। नगर तथा शहरों में लोग नदियों के जल का उपयोग करते हैं और उनमें कूड़ा-करकट आदि फेंककर उनका दुरुपयोग भी करते हैं। नदियां, वाणिज्य और व्यापार के लिए यातायात का महत्त्वपूर्ण साधन हैं। सिंचाई एवं जलविद्युत प्राप्त करने के लिए उन पर बांध बनाए गए हैं।

कुछ समय पहले तक सिंचाई हेतु जल की बढ़ती हुई आवश्यकता के लिए तथा कम मूल्य पर प्रदूषण रहित जलविद्युत (ऊर्जा) प्राप्त करने का अंतिम समाधान बड़े बांध माने जाते थे। बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (International Commission on Large Dams) के अनुसार 'बड़े बांध' वे बांध हैं जिनकी ऊंचाई नींव से शीर्ष तक 15 मीटर या उससे अधिक हो, अर्थात जो चार-तले वाले भवनों से ऊंचे हों। आज, जल संसाधन विकास के किसी बड़े कार्यक्रम को लोग पर्यावरण के लिए खतरा मानते हैं। इससे उपजाऊ भूमि के जलाशय के जल में डूबने, लोगों

[illegible]

चिंता का विषय

- 1970 तथा 1980 के दशकों में, गंगा में बढ़ता हुआ प्रदूषण चिंता का विषय बन गया। गंगा नदी तंत्र पर मानवीय बस्तियों तथा विकास-कार्यों के प्रभावों की जांच हेतु अध्ययन किए गए।

प्रदूषण के कारण

- गंगा से नहरों द्वारा सिंचाई के लिए निरंतर अधिकाधिक जल निकालने के कारण जल के प्रवाह में कमी।
- गंगा नदी के किनारे से 100 नगरों तथा शहरों से सीधे बहने वाले गंदे नालों तथा औद्योगिक कूड़े-कचरे के कच्चे रूप में गंगा में मिलने के कारण जल का गंदा या प्रदूषित होना।

नियोजित कार्य

- गंदे पानी (सीवेज) को रोकना, उसे साफ करना तथा सीधे नदी में बहकर न जाने देना।
- औद्योगिक कूड़े-कचरे की ठीक से सफाई सुनिश्चित करना।
- सुरक्षित पेयजल, विद्युत शव-दाह गृहों का निर्माण, नहाने के घाटों का विकास, प्रकाश एवं जल व्यवस्था आदि कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा उन कार्यों में सहयोग देना।
- नदी जल की गुणवत्ता की नियमित देखरेख।

प्रगति

- 260 योजनाओं में से 45 पूरी की जा चुकी हैं और उनके परिणाम सकारात्मक हैं।
- बुरी तरह अपरदित क्षेत्रों में वृक्ष लगाए गए हैं और नदियों की ऊपरी धाराओं में अवरोध बांध बनाए गए हैं।
- वाराणसी, कानपुर तथा पटना आदि नगरों में गंदे जल तथा औद्योगिक गंदगी वाले अनेक नालों को रोककर, मार्ग बदलकर, गंगा के जल में प्रदूषण के स्तर को काफी कम किया गया।
- कुछ वर्षों से कछुआ और डालफिन मछलियां गंगा से समाप्त हो गई थीं। ये अब वाराणसी में फिर दिखाई देने लगे हैं जिससे गंगा के जल स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे रहा है।

के विस्थापित होने, वन एवं कृषि योग्य भूमि के ह्रास, बांधों के पारिस्थितिकी कुप्रभाव, बांधों की सुरक्षा, बाढ़, निक्षेपण तथा स्वास्थ्य से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका रहती हैं। ये सारे तथ्य निःसंदेह बहुत महत्त्वपूर्ण हैं परंतु सभी बड़ी योजनाओं को बुरा कहना भी बहुत सत्य एवं न्यायसंगत नहीं होगा। विकास के लिए उनकी आवश्यकता है। परंतु निश्चित रूप से पर्यावरण से संबंधित प्रभावों का मूल्यांकन तथा पर्यावरण की सुरक्षा अवश्य सुनिश्चित की जानी चाहिए। जब कुछ समस्याएं हल की जाती हैं तब प्रायः उनके स्थान पर नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं का भी साहसपूर्वक निदान करना चाहिए। इसी प्रकार मुनष्य ने संसार में अब तक प्रगति एवं विकास किया है।

नदियों का प्रदूषण

नदियां कृषि-कार्यों, पीने, घरेलू तथा औद्योगिक उपयोगों हेतु जल प्रदान करती हैं। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या, नगरीकरण तथा औद्योगीकरण के साथ, जल की मांग भी बढ़ रही है। फलस्वरूप अधिक से अधिक मात्रा में नदियों से जल प्राप्त किया जा रहा है। इसके विपरीत, बहुत भारी मात्रा में नालियों का गंदा पानी, कीचड़ और मल तथा औद्योगिकी कूड़ा-करकट इन नदियों में बहाया जाता है। बहते हुए जल में स्वयं साफ करने की क्षमता होती है। उदाहरणस्वरूप दूर तक प्रवाहित होने पर, गंगा का जल बड़े शहरों से 20 किलोमीटर के भीतर ही, प्रदूषक भारों को घोलकर आत्मसात कर लेता है। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ऐसा भी नहीं हो पा रहा और अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। 1980 के दशक में गंगा में बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में चिंता के कारण ही गंगा कार्य योजना (Ganga Action Plan) प्रारंभ की गई।

पूरी नदी की धारा को साफ करने की एक वृहत् योजना अपनाई गई है। इसके परिणाम आशाजनक रहे हैं। अन्य नदियों में भी इसी प्रकार की योजनाओं के लिए मांग की जा रही है।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए :

   (i) नदी द्रोणी क्या है?
   (ii) 'जल विभाजक' का क्या कार्य है?
   (iii) हिमालय के तीन मुख्य नदी-तंत्रों के नाम बताइए।
   (iv) प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक कौन हैं?
   (v) भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन-सी है?
   (vi) सिंधु नदी कहां से निकलती है?
   (vii) गंगा की दो शीर्ष धाराओं के नाम लिखिए। उनका किस स्थान पर मिलकर सम्मिलित धारा का नाम गंगा पड़ा?
   (viii) लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है?
   (ix) प्रायद्वीपीय भारत की कौन-सी दो नदियां घाटी गर्तों से होकर बहती हैं?
   (x) भारत के पूर्वी तट की दो खारे पानी की झीलों के नाम बताइए।

2. नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं। इन्हें प्राकृतिक तथा मानव-निर्मित वर्गों में बांटिए :-

(क) वूलर	(ख) डल	(ग) नैनीताल	(घ) भीमताल
(ङ) गोविंद सागर	(च) लोकताक	(छ) बड़ापानी	(ज) चिल्का
(झ) सांभर	(ञ) राना प्रताप सागर	(ट) वेंबनाद	(ठ) निजाम सागर
(ड) पुलीकट	(ढ) नागार्जुन सागर	(ड) गांधी सागर	(ण) हीराकुड।

3. हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए।

4. प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए।

5. नदियों को मानव सभ्यता की जीवन-रेखाएं क्यों कहते हैं ?

6. बड़े बांधों के खिलाफ मुख्य तर्क दीजिए। यह व्याख्या कीजिए कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि बड़े बांधों से पर्यावरण को खतरा न हो।

मानचित्र कार्य

भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित दिखाइए तथा उनके नाम लिखिए :

(i) झीलें - लोकताक, डल, चिल्का, सांभर व पुलीकट

(ii) नदियां - गंगा, सिंधु, सतलुज, दामोदर, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी, कृष्णा व कावेरी

प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य-प्राणी

पृथ्वी के धरातल पर एक विशाल विविधता वाला वनस्पति आवरण पाया जाता है। ये पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले पहले जैविक रूप के प्रतिनिधि हैं, इनके बाद पशु तथा मनुष्य उत्पन्न हुए। हमारे लिए ये बहुत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि हर प्रकार के जीवन जीवित रहने के लिए उन पर आश्रित रहते हैं। क्या आपको ज्ञात है कि ऐसा क्यों है ? ऐसा इसलिए है कि वनस्पति ही ऐसे प्रकार का जीवन है जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। अतः उनसे वे प्रारंभिक उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनपर पशु और मनुष्य अपने जीवन के लिए निर्भर होते हैं।

पारिस्थितिक तंत्र

पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। इसे प्रभावित करने वाले अन्य तत्त्व मृदा, उच्चावच तथा अपवाह हैं, यद्यपि इनमें से अधिकांश अंतर्संबंधित होते हैं। 'वनस्पति' शब्द किसी विशेष क्षेत्र या समय के पादपों, जिनकी विभिन्न जातियां तथा वर्ग होते हैं, का बोध कराता है। इसी प्रकार जीवों की जातियां तथा वर्ग होते हैं,जो प्राणियों का बोध कराते हैं। किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति काफी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी-जीवन भी बदल जाता है। एक दिए हुए क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर्संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छन्न भाग है। मनुष्य भी प्राणी जगत के अंग होते हैं। परंतु अपनी विशेष योग्यताओं के कारण वे पर्यावरण के अन्य जीवों के ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं। इस गुण को उन्होंने अपने हित के लिए प्रयोग किया है, परंतु कभी-कभी इस प्रक्रिया में भू-दृश्य ही परिवर्तित हो गए हैं और कुछ प्रजातियां तो बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं।

जीवोम

धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को 'जीवोम' (Biome) कहते हैं। एक दी हुई पर्यावरण रूपरेखा में एक दूसरे से मिलकर रहने वाले पादप-जातियों के समुदाय को 'वनस्पति' कहते हैं। यद्यपि जीवोम में जीव भी सम्मिलित होते हैं, तथापि पादपों के वर्ग उनके वर्गीकरण के आधार होते हैं। इस प्रकार, मृदा, जल तथा उष्मा (गर्मी) की उपलब्धि के आधार पर पांच प्रमुख जीवोम पाए जाते हैं : वन, सवाना, घास के मैदान, मरुभूमि तथा टुंड्रा। एक जीवोम के भीतर पादपों तथा प्राणियों के मेल में बहुत अंतर पाया जाता है। इस प्रकार संसार के वनस्पति आवरण के प्रतिरूप का अध्ययन करने में जीवोम उपयोगी हैं। छोटे पैमाने पर प्राकृतिक वनस्पति को समझने में वनस्पति के वितरण प्रतिरूप बहुत उपयुक्त हैं।

प्राकृतिक वनस्पति

भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं जो विविधता की दृष्टि से संसार में दसवें स्थान तथा एशिया में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 जातियों के फूलों वाले पौधे पाए जाते हैं, जो सारे संसार के छः प्रतिशत हैं। हमारा देश बिना फूलों वाले पौधों जैसे फर्न, शैवाल (एलगी) तथा कवक (फंजाई) में भी संपन्न है। इस

औषधीय पादप

भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी-बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। इन पादपों का में से 90 प्रतिशत तो घने जंगलों से प्राप्त होते हैं। इनमें से बहुत-से तो विलुप्त होने के खतरे में हैं। विश्व संरक्षण संघ (World Conservation Union) की लाल सूची में 352 औषधीय पादप हैं जिनमें से 52 अतिसंकट तथा 49 संकट में हैं। (रवोल्फिया सर्पेटाइना), जो रक्त चाप के निदान के लिए प्रयोग होता है, केवल भारत में पाया जाता है। इसकी संसार भर में मांग है। इस प्रजाति को बनाए रखना भविष्य की दृष्टि से चिंता की बात है। इसके अतिरिक्त संपत्ति के बौद्धिक अधिकारों की भी समस्या है।

अपने स्थान/क्षेत्र के कुछ महत्त्वपूर्ण औषधीय पादपों/जड़ी-बूटियों के नाम ज्ञात कीजिए।

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य में दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है,
परन्तु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार
के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 11.1 *भारत की प्राकृतिक वनस्पति*

देश में उष्णकटिबंधीय प्रदेश से ध्रुवीय प्रदेश तक मिलने वाली सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यह विविधता मुख्यतः देश के उच्चावच, तापमान तथा वर्षा की दशाओं की विविधता के कारण पाई जाती है। हिमालय तथा प्रायद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में देशज वनस्पति पाई जाती है। इनमें से कुछ केवल भारत में पाई जाती हैं और संसार में अन्यत्र

कहीं नहीं मिलतीं। 40 प्रतिशत पादप प्रजातियां भारत में बाहर से आई हैं। ऐसी प्रजातियां मुख्यतः उत्तर भारत के मैदानों तथा थार मरुभूमि में पाई जाती हैं। कृषि तथा औद्योगिक विस्तार के कारण वन नष्ट होने से बहुत-सी पादप जातियां नष्ट हो रही हैं।

भारत के विभिन्न भागों में वनस्पतीय आवरण अब सही अर्थों में 'प्राकृतिक' नहीं रह गया है। केवल हिमालय तथा थार मरुभूमि के आंतरिक भागों जैसे अभेद्य क्षेत्रों को छोड़कर, कुछ स्थानों में तो मानवीय हस्तक्षेप के कारण वनस्पति या तो नष्ट कर दी गई है या बदल दी गई है या अपविकसित हो गई है। अतः जब हम ' प्राकृतिक वनस्पति' शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ उस पादप समूह से ही है जो लंबे अरसे से अबाधित रूप से विद्यमान है और जिसकी विभिन्न प्रजातियां वहां की जलवायु एवं मृदा की स्थितियों के साथ अपना सह-संबंध बनाए हुए है।

वनस्पति के प्रकार

तापमान या गर्मी और वर्षण जैसे जलवायु के कारक यह निर्धारित करते हैं कि किन विशेष जलवायु दशाओं में कौन-से पादप विकसित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त मृदा, उच्चावच तथा प्रवाह (जल की मात्रा) भी स्थानीय परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार भारत में वनस्पति के निम्नलिखित मुख्य प्रकार पाए जाते हैं :

(i) उष्णकटिबंधीय वर्षा वन
(ii) उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन
(iii) उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां
(iv) शीतोष्ण कटिबंधीय वन एवं घास के मैदान
(v) अल्पाइन तथा टुंड्रा वनस्पति।

भारत की प्राकृतिक वनस्पति (चित्र 11.1) को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र की उच्चावच (चित्र 8.3) और वार्षिक वर्षा (चित्र 9.6) के मानचित्रों से तुलना कीजिए। आप देखेंगे कि यह उच्चावच तथा वर्षा दोनों के साथ कितना अच्छा मेल खाती हैं। निम्नलिखित पृष्ठों में वनस्पति के प्रकारों का वर्णन वन, घास के मैदानों तथा झाड़ियों के रूप में किया गया है जिनसे पादपों के प्रकार तथा आकार समझने में सरलता होगी। वातावरण की दशाएं भी बताई गई हैं।

उष्णकटिबंधीय वर्षावन

ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा लक्षद्वीप एवं अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों तक सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली-भांति विकसित हैं जहां 200 से.मी. से अधिक वर्षा से साथ एक छोटी सूखी ऋतु पाई जाती हैं। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक, की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूंकि यह क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा तर रहते हैं अतः यहां हर प्रकार की वनस्पति – वृक्ष, झाड़ियां व लताएं, खूब भली-भांति उगते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। अतः ये वन सारे वर्ष हरे-भरे लगते हैं।

इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्त्व के कुछ वृक्ष आबनूस (एबोनी), महोगनी तथा रोज़उड हैं। इस प्रकार के वनों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहां एक बड़ी संख्या की प्रजातियों के वृक्ष एक साथ मिलते हैं। इससे उनकी किसी विशेष प्रजाति के व्यापारिक उपयोग में कठिनाई आती है।

उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन

ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 से.मी. से 200 से.मी. तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों वाले वृक्ष गर्मियों में छः से आठ सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। हर प्रजाति के वृक्षों के पतझड़ का अपना समय होता है। अतः वन वर्ष के किसी एक समय में बिल्कुल पत्तीविहीन नहीं लगते।

जल की सुलभता के आधार पर इन वनों को आगे आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सें.मी. तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों - उत्तरी-पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन और खैर अन्य व्यापारिक महत्त्व वाली प्रजातियां हैं।

शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से.मी. से 100 से.मी. के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीप पठार के ऐसी वर्षा वाले क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन तथा अन्य वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। अधिक सूखें क्षेत्रों में ये वन झाड़ियों तथा कंटीले वनों को स्थान दे देते हैं।

कंटीले वन तथा झाड़ियां

जिन क्षेत्रों में 70 से.मी. से कम वर्षा होती है, वहां प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी-पश्चिमी भागों में पाई जाती है जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खूजर (पाम), यूफोरबिया तथा नागफनी (कैक्टाई) यहां की मुख्य पादप-प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष छीतरे (बिखरे) हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके।

शीतोष्ण कटिबंधीय वन एवं घास के मैदान

पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा बढ़ती हुई ऊंचाई के अनुसार प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर हो जाता है। इसलिए जैसा अंतर हम उष्णकटिबंध से टुंड्रा क्षेत्रों की ओर देखते हैं। वैसा ही अंतर पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पति की पेटियों में पाया जाता है। आपने पहले पढ़ा है कि हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों में उष्टकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनके ऊपर के भागों में 1,000 से 2,000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1,500 से 3,000 मीटर की ऊंचाई के बीच कोणधारी वृक्ष जैसे चीड़ (पाइन), देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन अधिकतर हिमालय के दक्षिणी ढालों में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? अधिक ऊंचाई में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं।

अल्पाइन तथा टुंड्रा वनस्पति

अधिक ऊंचाइयों में, प्रायः समुद्र तल से 3,600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती हैं। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे-जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बक्करवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है।

वन्य प्राणी

वनस्पति की भांति ही, भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहां जीवों की 89,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में 1,200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल संसार की 13 प्रतिशत हैं। यहां मछलियों की 2,500 प्रजातियां हैं जो संसार की लगभग 12 प्रतिशत हैं। भारत में संसार के 5 से 8 प्रतिशत तक उभयचारी, सरीसृप तथा स्तनपाई भी पाए जाते हैं।

स्तनपाई पशुओं में हाथी सबसे अधिक महिमा-मंडित होता है। ये असम, कर्नाटक तथा केरल के उष्ण तथा आर्द्रवनों में पाए जाते हैं। क्या अफ्रीकी तथा भारतीय हाथियों की आकृति में कोई अंतर है? एक सींग वाले गैंडे अन्य पशु हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग (gazel) तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य पशु हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहां बंदरों की भी अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं।

भारत संसार का अकेला देश है जहां सिंह (Lion) तथा शेर (Tiger) दोनों पाए जाते हैं। भारतीय सिंहों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल हैं। शेर मध्य प्रदेश के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुए भी हैं। वे शिकारी पशुओं में मुख्य हैं। घड़ियाल तथा कछुए नदियों तथा तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

हिमालय क्षेत्रों में अधिक श्रमशील प्रकार के पशु पाए जाते हैं जो अत्यंत ठंढ में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की जमने वाली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो लगभग एक टन भार का सींगों वाला बैल जैसा जीव है। तिब्बतीय

प्रवासी पक्षी

भारत के कुछ आर्द्र क्षेत्र प्रवासी पक्षियों द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं। जाड़ों में, साइबेरियन सारस जैसी चिड़िया बड़ी संख्या में यहां आती हैं। पक्षियों का एक ऐसा प्रिय स्थान कच्छ का रन है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र में मिलती है वहां लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लैमिंगो, हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी एक कीमती धरोहर नहीं है?

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य में दर्शाई गई अन्तर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है परन्तु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अन्तर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 11.2 *वन्य-जीव संरक्षण क्षेत्र*

बारहसिंघा, भारल (नीली भेड़), जंगली भेड़ तथा कियांग (तिब्बती जंगली गधा) भी यहां पाए जाते हैं। कहीं-कहीं आइबेक्स, भालू, हिम-तेंदुआ और बहुत कम पाए जाने वाले लाल पैंडा भी कुछ भागों में पाए जाते हैं।

नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगर और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल, मगर की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो संसार में केवल भारत में पाया जाता है।

भारत में अनेक रंग-बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, फीजेंट, बतख, तोता-मैना (Parakeets), सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं।

जैव-विविधिता का संरक्षण

देश में वनस्पति तथा पशु संसाधनों की बेरोकटोक दोहन के कारण यहां का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत नष्ट हो गया है। बड़ी संख्या में पादप तथा जीवों की प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं, कुछ के विनष्ट होने का खतरा है। इन प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। लगभग 1300 पादप-प्रजातियां संकट में है और 20 प्रजातियां तो संभवतः विनष्ट हो चुकी हैं क्यों कि पिछले छः से दस दशकों में उन्हें देखा ही नहीं गया। केवल वनस्पति तथा जीवों के संरक्षण के ही लिए प्रयास नहीं किए जा रहे बल्कि देश में वनों के पुनर्जीवन और जीवों तथा उनके प्राकृतिक वासों को पुनर्स्थापित करने के प्रयास भी हो रहे हैं। अतः समय-समय पर पादपों तथा जीवों की सर्वेक्षण द्वारा उनकी गणना की जाती है जिससे इस दिशा में उनकी स्थिति तथा स्वरूप का ज्ञान हो सके। शेर तथा गैंडों को बचाने की योजनाएं प्रारंभ की गई थीं जिससे उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। शेर (बाघ) संरक्षण योजना सफल रही है। भारत में 16 शेर आरक्षित क्षेत्र हैं। राजस्थान की सोहन चिड़िया (Indian bustard) भी एक संकटग्रस्त प्रजाति है। देश के विभिन्न भागों में वन्य-जीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं जिनसे हमारे वनों तथा जीवों की रक्षा हो सके। इस समय देश में 480 वन्य जीव अभयारण्य तथा 86 राष्ट्रीय उद्यान हैं।

अपने देश की जैव-विविधिता सुरक्षित रखने तथा उसका संरक्षण करने की दृष्टि से जीव आरक्षण क्षेत्र (biosphere reserves) बनाए जा रहे हैं। ये बहुद्देशीय संरक्षित क्षेत्र हैं जहां प्रत्येक पादप तथा जीव प्रजाति को उसके प्राकृतिक भूदृश्य में संरक्षित किया जाता है। इनके मुख्य उद्देश्य हैं :

(i) प्राकृतिक विरासत की विविधता तथा पूर्णता को इसके पूरे स्वरूप में अर्थात प्राकृतिक वातावरण, वनस्पति एवं जीवों के रूप में बनाए रखना एवं संरक्षित रखना ;

(ii) पारिस्थितिकी संरक्षण तथा पर्यावरण सरंक्षण के अन्य पहलुओं पर शोध कार्य को बढ़ावा देना; तथा

(iii) शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऐसे संरक्षण क्षेत्रों को स्थापित करने का मुख्य लक्ष्य संकटग्रस्त प्राकृतिक पारिस्थितिक-तंत्रों में जैव विभिन्नता को संरक्षित रखना है।

इस योजना के अंतर्गत देश में निम्नलिखित जीव आरक्षण क्षेत्र स्थापित किए गए हैं :

(i) नीलगिरि, (कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के मिलन क्षेत्र में), (ii) नंदा देवी (उत्तरांचल), (iii) नोकरेक (मेघालय), (iv) ग्रेट निकोबार, (v) मनार की खाड़ी (तमिलनाडु), (vi) मानस (असम), (vii) सुंदरवन (पश्चिम बंगाल), (viii) सिमिली पाल (उड़ीसा), (ix) डिब्रू-साइखोवा, (x) देहांग-देबांग (अरुणाचल प्रदेश), (xi) पंचमढ़ी (मध्य प्रदेश) (xii) कंचनजुंगा (सिक्किम) तथा (xiii) अगस्तयमलाई (तमिलनाडु)। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों का महत्त्व हम सभी के जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण अनुभव किया जाना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए :

   (i) पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं?
   (ii) पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्त्वों द्वारा निर्धारित होता है?
   (iii) भारत में मुख्य वनस्पति प्रकार कौन-से हैं?
   (iv) भारत में कौन-सी प्राकृतिक वनस्पति सबसे अधिक मिलती है?

(v) भारतीय शेर का प्राकृतिक वास स्थल बताइए।
(vi) जीव आरक्षण क्षेत्र क्या है?

2. निम्नलिखित में अंतर कीजिए :

(i) वनस्पति तथा जीव
(ii) सदाबहार तथा पर्णपाती वन
(iii) आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वन
(iv) विलुप्त एवं संकटग्रस्त प्रजातियां

3. वनस्पति के क्या अर्थ हैं? भारत की प्राकृतिक वनस्पति आज कितनी प्राकृतिक है?

4. जीवोम किसे कहते हैं? जीवोमों की संख्या बताइए जिनमें देश का पारिस्थितिक तंत्र विभाजित है? उनके विभाजन का आधार भी बताइए।

5. भारत में उच्चावच तथा वर्षा प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं, बताइए।

6. हिमालय क्षेत्र की प्रमुख वनस्पति-पेटियों का वर्णन कीजिए।

7. भारत में वन्य-जीवों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए :

(i) भारतीय वनस्पति
(ii) उष्णकटिबंधीय वर्षा वन
(iii) जैव-विविधिता का संरक्षण

मानचित्र कार्य

भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित दिखाइए :

(i) कांटेदार वनों तथा झाड़ियों वाले क्षेत्र
(ii) एक वन्य-जीव अभयारण्य
(iii) कारबेट नेशनल पार्क
(iv) नीलगिरि जीव आरक्षित क्षेत्र।

परियोजना कार्य

- उस क्षेत्र की वनस्पति तथा जीवों पर, जहां आपका विद्यालय स्थित है, सूचनाएं इकत्र कीजिए। इसमें उस क्षेत्र की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची भी होनी चाहिए और यह सूचना भी होनी चाहिए कि उन्हें बचाने के लिए क्या किया जा रहा है।

12 जनसंख्या

इस इकाई के पिछले अध्यायों में आपने भारत के स्थल संसाधनों के बारे में अध्ययन किया है। इस अध्याय में जनसंख्या के बारे में सूचनाएं दी जाएंगी जो हमारा मानव-संसाधन है। इसमें आप जनसंख्या के आकार, वृद्धि-दर को प्रभावित करने वाले कारकों, प्रवसन तथा नगरीकरण, आयु संरचना, आश्रित-दर तथा व्यावसायिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे।

एक निश्चित समय में किसी देश में रहने वाले मनुष्यों की कुल संख्या वहां की जनसंख्या कहलाती है। मनुष्य, जिन्हें मिलाकर जनसंख्या बनती है, विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादक होने के साथ-साथ उनके उपभोक्ता भी होते हैं। वस्तुतः जनसंख्या के अध्ययन का महत्त्व मुख्यतया इस बात में है कि इससे उत्पादन के लिए सुलभ कुल मानव शक्ति तथा उनके उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है।

जनगणना

किसी देश में एक निश्चित समय में रहने वाले लोगों के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं के संग्रह, संकलन और प्रकाशन की प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। इसकी आवश्यकता मुख्यतः सरकार के प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए होती है। जनगणना में लोगों के सामाजिक और आर्थिक पक्षों से संबंधित विविध विवरण भी होते हैं। सामान्यतः प्रति दस वर्षों में जनगणना की जाती है। स्वतंत्रता के बाद तक भारतीय सरकार द्वारा 6 जनगणनाएं की जा चुकी हैं। पिछली जनगणना 2001 में हुई थी।

सारणी 12.1 भारत में जनसंख्या वृद्धि: 1901–2001

वर्ष	कुल जनसंख्या (करोड में)	वार्षिक वृद्धि दर (% में)
1901	23.84	-
1911	25.21	0.56
1921	25.13	-0.03
1931	29.90	1.04
1941	31.87	1.33
1951	36.11	1.25
1961	43.92	1.96
1971	54.82	2.20
1981	68.33	2.22
1991	84.34	2.14
2001	102.70	1.93

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में हमारे देश की जनसंख्या केवल 23.84 करोड़ (1901) थी, जो एक शताब्दी के कालखंड में लगभग चार गुना बढ़कर 102.7 करोड़ (2001) हो गई (सारणी 12.1)।

पिछली शताब्दी में भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की जनसंख्या केवल डेढ़ गुना बढ़ी, परंतु उत्तरार्ध में यह और तेजी से बढ़ी तथा इसमें तीन गुनी वृद्धि हुई।

भारत में जनसंख्या की वृद्धि ने विश्व-प्रारूप का अनुसरण किया है। 1830 ई. तक संसार की जनसंख्या 100 करोड़ थी। अगली 100 करोड़ अगले 100 वर्षों में बढ़ी, तीसरी 100 करोड़ 30 वर्षों में ही बढ़ी और चौथी 100 करोड़ केवल 15 वर्षों में ही बढ़ी। संसार की वर्तमान जनसंख्या लगभग 600 करोड़ है।

चित्र 12.1 *जनसंख्या की वृद्धि दर (% में)*

जनसंख्या के आकार में भारत संसार में, चीन के बाद, दूसरे स्थान पर है। भारत में संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत भाग है जिसमें संसार की कुल जनसंख्या का 16.7 प्रतिशत भाग रहता है। ऐसा अनुमान है कि 2045 ई. तक भारत चीन से आगे बढ़कर संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा।

1921 ई. तक भारत में जनसंख्या की वृद्धि अनियमित थी। इसलिए वर्ष 1921 को 'विशाल जनसांख्यिकीय विभाजक' कहते हैं। 1921 से 1951 तक भारत में जनसंख्या की वृद्धि की दर मंद रही। 1951 से तीन दशकों तक जनसंख्या की वृद्धि तेज रही। 1951 से 1981 के बीच भारत की जनसंख्या लगभग दुगुनी हो गई। 1980 के दशक में भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत थी जो, 1990 के दशक में घटकर 1.93 प्रतिशत हो गई। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 102.7 करोड़ है, इसमें 53.1 करोड़ (51.7 प्रतिशत) पुरूष हैं और 49.6 करोड़ (48.3 प्रतिशत) स्त्रियां हैं।

जनसंख्या का वितरण

भारत में जनसंख्या घनत्व 2001 में लगभग 324 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था। जनसंख्या का घनत्व देश की जनसंख्या को देश के क्षेत्रफल से भाग देकर निकाला जाता है। आइये, जनसंख्या के घनत्व को दर्शाने वाले मानचित्र का अध्ययन करें (चित्र 12.3) । जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में जनसंख्या का घनत्व अति निम्न से निम्न है। नतोन्नत धरातल तथा अनुपयुक्त जलवायु दशाएं मूल रूप में इन क्षेत्रों में विरल जनसंख्या के लिए उत्तारदायी हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा असम में जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। यहां पर जनसंख्या का घनत्व कम होने के कारण हैं – क्षेत्र की शैलीय प्रकृति, कम से लेकर सामान्य वर्षा और कम गहरी तथा कम उपजाऊ मिट्टी का होना। उत्तर भारत का मैदान, तमिलनाडु और केरल में जनसंख्या का घनत्व उच्च तथा अति उच्च है क्योंकि ये क्षेत्र मैदानी, समृद्ध तथा उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा और सामान्य जलवायु के हैं।

जनसंख्या का आकार

जनसंख्या का आकार बड़ा होने का अर्थ यह नहीं है कि देश में जनाधिक्य है। जनाधिक्य ऐसी स्थिति है जब जनसंख्या के आकार के लिए संसाधन बहुत कम हों। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश की जनसंख्या एक उपयुक्त जीवन स्तर नहीं रख पाती। उदाहरणस्वरूप, यूनाइटेड किंगडम में जनाधिक्य की स्थिति नहीं कही जा सकती क्योंकि वहां उनकी 5.8 करोड़ जनसंख्या के उपभोग के लिए पर्याप्त वस्तुएं तथा सुविधाएं हैं। हमारे देश में वर्तमान जनसंख्या बहुत अधिक प्रतीत होती है क्योंकि हमारी जनसंख्या का आकार उसके भरण-पोषण के लिए उपलब्ध संसाधनों से अधिक बड़ा है।

आदर्श अथवा अनुकूलतम (Optimum) जनसंख्या उस जनसंख्या-आकार को निर्दिष्ट करती है, जो वहां के संसाधनों के सहयोग से अधिकतम मात्रा में वस्तुएं तथा सुविधाएं उत्पन्न करती हैं। किसी देश की जनसंख्या जब बढ़ती है तो प्रारंभ में उत्पादन में भी वृद्धि होती जाती है। परंतु एक सीमा के बाद संभव है कि उस बढ़ती हुई जनसंख्या को उसकी आवश्यकता की आधारभूत वस्तुएं व सेवाएं न प्राप्त हो सकें। संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण, प्रतिव्यक्ति वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धि कम हो जाएगी।

चित्र 12.2 *अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति*

चित्र 12.2 देखिए। OX अक्ष पर जनसंख्या P बिंदु तक धीरे-धीरे बढ़ती रहती है। P बिंदु तक हम कह सकते हैं कि देश में जनसंख्या कम है। हम यह देख सकते हैं कि M बिंदु तक प्रतिव्यक्ति उपलब्ध उत्पादन (वस्तुएं तथा सेवाएं) बढ़ता रहा है। M बिंदु के बाद यह संभव नहीं है कि उसी मात्रा में वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं क्योंकि संसाधन कम हो जाते हैं और सीमा से अधिक प्रयुक्त भी होने लगते हैं। M के बाद वक्र नीचे जाने लगता है। अतः

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य में दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है परन्तु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
इस मानचित्र में दर्शित नामों का अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 12.3 *भारत में जनसंख्या का घनत्व*

देश के लिए अनुकूलतम अभीष्ठ या आदर्श जनसंख्या का आकार OP होगा। यदि जनसंख्या बढ़ती जाती है और P बिंदु से अधिक हो जाती है तो हम कह सकते जनाधिक्य हो रहा है।

जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित करने वाले कारक

जनसंख्या को निर्धारित करने के तीन कारक हैं, ये हैं - जन्म दर, मत्यु दर (प्राकृतिक कारक) तथा प्रवसन।

प्रति हजार व्यक्तियों में प्रतिवर्ष जितने जीवित बच्चों के जन्म होते हैं उसे 'जन्म दर' कहते हैं। इसी प्रकार 'मत्यु दर' प्रति हजार व्यक्तियों में एक वर्ष में मृत होने वाले लोगों की संख्या होती है। भारतीय जनसंख्या के अधिक तेज दर से बढ़ने का मुख्य कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर के बीच बढ़ता हुआ असतुंलन है। स्वतंत्रता के बाद जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही घटे हैं, परंतु मृत्यु दर बहुत तेजी से घटी है। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में जन्म दर 49.2 (प्रति हजार) थी। शताब्दी की समाप्ति पर यह घटकर 26.1 (प्रति हजार) हो गयी है। परंतु उसी अवधि में मृत्यु दर 42.6 (प्रति हजार) से घटकर 8.7 (प्रति हजार) हो गयी। मृत्यु दर प्लेग, चेचक आदि अनेक संक्रामक रोगों पर नियंत्रण पाने के फलस्वरूप घटी है। ऐसा इसलिए संभव हुआ है कि चिकित्सा सेवाओं का पिछले तीन दशकों में अधिक विकास हुआ है और जनस्वास्थ्य प्रयासों में भी सुधार हुआ है। दूसरी ओर छोटी आयु में विवाह, शिक्षा की कमी तथा जन्म दर कम करने के अप्रभावी प्रयास के कारण जन्म दर बढ़ी है।

'प्रवसन' का अर्थ है विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों में जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान या क्षेत्र में जाना। प्रवसन आंतरिक (देश के भीतर) या अंतर्देशीय (देशों के बीच) होता है। आंतरिक प्रवसन से देश की जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं होता परंतु जनसंख्या के घनत्व में परिवर्तन होता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का प्रवसन मुख्यतया इसलिए हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ी है और कृषि कार्यों में श्रमिकों की मांग घटी है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के बढ़े हुए अवसर, बेहतर शिक्षा तथा रहन-सहन का अच्छा स्तर अन्य कारण हैं। नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक सेवाओं के विकास के कारण भी ऐसा होता है। प्रवसन की स्थिति के कारण नगरों तथा शहरों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। नगरीय जनसंख्या 17.29 प्रतिशत (1951) से बढ़कर 25.72 प्रतिशत (1991) हो गई है, जैसा चित्र 12.4 में दिखाया गया है।

परंतु नगरीय जनसंख्या समानरूप से नहीं बढ़ी। ऐसा इसलिए है कि नौकरी, रोजगार तथा अन्य आर्थिक अवसर, जो काम करने वाली जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, सभी नगरीय क्षेत्रों में एक समान नहीं पाए जाते हैं। हमारे देश में 35 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक है। प्रत्येक नगर या शहर के केंद्र के आस-पास नगरीय अधिवासों के समूह विकसित हो गए हैं जो उस शहर की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इन्हें 'नगर समूह' कहते हैं। नगर समूह नगरों के विस्तार मात्र हैं परंतु वे एक निश्चित नगरपालिका की सीमा में नहीं होते हैं। दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता आदि शहरों में अपेक्षाकृत अधिक प्रवसन हुआ है। इससे यह परिलक्षित होता है कि ये विशाल नगर समूह बहुत बड़ी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। यहां अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन नगरों की जनसंख्या उनकी आर्थिक क्षमता से अधिक बढ़ रही है। वर्तमान नगरीय व्यवस्थाएं तथा सेवाएं जैसे बिजली, जल-आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, यातायात आदि बढ़ती हुई मांग को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उच्च घनत्व तथा पर्यावरण-प्रदूषण की समस्याएं भी बढ़ रही हैं।

चित्र 12.4 *ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या*

लिंग अनुपात

प्रति हजार पुरुषों की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। हमारे देश में लिंग अनुपात पुरुषों के पक्ष में रहा है। बीसवीं शताब्दी के शुरु में भारत में लिंग अनुपात 972 (1901) था। अगले दशकों में यह और कम हो गया। पिछले दशक में इसमें थोड़ा सुधार हुआ है जब यह 1991 में 929 से 2001 में बढ़कर 933 हो गया, जो उत्साहवर्धक है। केरल (1058) और पांडीचेरी (1001) दो राज्य हैं, जहां लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में है।

आयु संरचना

जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार भी बांटी जाती है। जनसंख्या की आयु-संरचना मोटे तौर पर प्रायः तीन आयु वर्गों में बांटी जाती है : काम करने की आयु से कम आयु वाले बच्चे (15 वर्ष से कम), काम करने वाली आयु के लोग (15 से 59 वर्ष तक) तथा काम करने की आयु से अधिक आयु वाले वृद्ध लोग (59 वर्ष से अधिक)।

चित्र 12.5 *भारत में जनसंख्या की आयु-संरचना*

जो कोई व्यक्ति किसी उत्पादक कार्य में लगा है और उत्पादन की क्षमता रखता है वह अर्जक जनसंख्या का भाग है। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं। गृहिणियां, पूर्णकालिक विद्यार्थी तथा जो 60 वर्ष की आयु के बाद भी कार्य करते रहते हैं वे अर्जक जनसंख्या में सम्मिलित हैं। 15 वर्ष से कम आयु और 59 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। चित्र 12.5 भारत में उपरोक्त तीन आयु वर्गों में जनसंख्या का वितरण दिखाता है।

व्यावसायिक संरचना

देश की जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना का अर्थ विभिन्न व्यवसायों के अनुसार लोगों के वितरण से है। मोटे तौर पर व्यवसायों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है – प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाएं। कृषि, पशु-पालन, वानिकी तथा मत्स्य पालन आदि व्यवसाय संयुक्त रूप से प्राथामिक क्रियाएं या प्राथामिक व्यवसाय माने जाते हैं। ये प्राथमिक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि यहां प्रकृति के सहयोग से उत्पादन किया जाता है। वस्तु निर्माण उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है।

अधिकांश विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन आदि में प्राथमिक कार्यों में लगी जनसंख्या का अनुपात केवल 2 से 7 प्रतिशत के बीच है, जबकि भारत में यह 67 प्रतिशत है। व्यावसायिक संरचना विकास के स्तर का एक महत्त्वपूर्ण द्योतक है।

यातायात, संचार के साधन, बैंकिंग सेवाएं आदि तृतीयक व्यवसाय कहे जाते हैं।

अर्थव्यवस्था के विकास तथा व्यावसायिक संरचना में बहुत घनिष्ट संबंध है। यदि द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों में जनसंख्या का अधिक अनुपात लगा रहता है तब लोगों की आय का स्तर अधिक होता है। दूसरी ओर कृषि अथवा अन्य प्राथमिक व्यवसायों में अधिक निर्भर होने से आय का स्तर कम होता है। हमारे देश में कृषि पर आश्रित जनसंख्या का अनुपात 67 प्रतिशत (1991) है। द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों में लगे लोगों का प्रतिशत क्रमशः लगभग 13 तथा 20 है। हमारे देश में पिछले पांच दशकों में बढ़ते हुए औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के कारण द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में लगे लोगों का प्रतिशत बढ़ा है। यह प्रवृत्ति विकसित राज्यों जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरल में स्पष्ट है। परंतु कम विकसित राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि में अधिक जनसंख्या अभी भी मुख्यतया कृषि पर निर्भर है।

साक्षरता

साक्षर उसे कहते हैं जो कुछ समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है तथा सात वर्ष या उससे अधिक आयु का है। साक्षरता का संबंध सामान्यतः स्कूल जाने से होता है - चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। भारत में साक्षरता का स्तर 5 प्रतिशत (1901) से बढ़कर 65.35 प्रतिशत (2001) हो गया है। हमारे देश के लगभग 75 प्रतिशत पुरुष तथा 54 प्रतिशत महिलाएं आज साक्षर हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे देश के तीन-चौथाई पुरुष और आधी से अधिक महिलाएं साक्षर हैं। केरल में साक्षरता 90 प्रतिशत है जो सब राज्यों से अधिक है और उसके बाद 88.49 प्रतिशत साक्षरता के साथ मिजोरम दूसरे स्थान पर तथा 87.52 प्रतिशत के साथ

लक्षद्वीप तीसरे स्थान पर है। हमारे देश में बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है (जनगणना 2001)। जनसंख्या की वृद्धि और निरक्षरता के बीच एक धनात्मक संबंध है। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है और इन राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है। इस संबंध में महिला साक्षरता का विशेष महत्त्व है।

स्वास्थ्य

विकास प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण घटक स्वास्थ्य है। स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर प्रयासों से जनता की स्वास्थ्य स्थिति में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्लेग तथा चेचक जैसी बीमारियां लगभग समाप्त कर दी गई हैं। मलेरिया पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। मृत्यु दर भी पहले की तुलना में आधे से भी कम हो गई है। जीवन प्रत्याशा जो वर्ष 1951-61 में केवल 41 वर्ष थी, 2001 में बढ़कर 61 वर्ष हो गई है। यद्यपि काफी उपलब्धियां हुई हैं, परंतु भारत में स्वास्थ्य की स्थिति अभी भी चिंता का विषय है। प्रतिव्यक्ति कैलोरी उपभोग अब भी वांछित स्तर से बहुत नीचे है। (आयु, लिंग तथा व्यवसाय के आधार पर विभिन्न जनसंख्या समूहों के लिए आहार विशेषज्ञों द्वारा कैलोरी की मात्रा स्वीकृत की गई है। कैलोरी उपभोग की औसत मात्रा नगरीय क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी है।) इससे बहुत भयंकर कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। पीने योग्य सुरक्षित पानी तथा सामान्य सफाई की सुविधाएं, जो जल द्वारा फैलने वाले रोगों को रोकने के लिए आवश्यक हैं, ग्रामीण जनसंख्या के केवल एक-तिहाई भाग को उपलब्ध हैं। अतः इन समस्याओं का निदान देश में एक उपयुक्त जनसंख्या योजना द्वारा ही किया जा सकता है।

किशोर जनसंख्या

भारत की जनसंख्या का सबसे महत्त्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का पांचवा भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन हैं। किशोरों के लिए पोषक तत्त्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा व्यस्कों से अधिक होती हैं। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों को उपलब्ध भोजन, पोषक तत्त्वों की दृष्टि से अपर्याप्त रहता है। बहुत-सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर अब तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ायी जा सकती है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

जनसंख्या की स्थिरता के लिए भारत 1952 से जनसंख्या नीति कार्यान्वित करता रहा है। इसका उद्देश्य देश का विकास करना तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता को विकसित करना रहा है। हमें मृत्यु दर घटाने में सफलता मिली है। पिछले वर्षों में इस नीति का प्रमुख ध्येय परिवार नियोजन तथा जन्म दर पर नियंत्रण रहा है। इसके अतिरिक्त 2000 ई. की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (National Population Policy, NPP) का लक्ष्य सन 2045 ई. तक जनसंख्या को स्थिर करना है। इस नीति के अनुसार यह लक्ष्य विवाह की आयु बढ़ाकर, 14 वर्ष की आयु तक के लिए स्कूल शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाकर तथा प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या को घटाकर पूरा किया जाएगा।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर/किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की, जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन–संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर/किशोरियों की संरक्षा जैसी अन्य महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर/किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भनिरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना है।

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. जनगणना क्या होती है?
2. लिंग अनुपात की परिभाषा दीजिए।
3. जन्म दर तथा मत्यु दर की व्याख्या कीजिए।
4. जनसंख्या के अध्ययन का महत्त्व क्या है?
5. आदर्श अथवा अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
6. किसी एक कारक का विवरण दीजिए जिससे भारत में जनसंख्या बढ़ी हो।
7. व्यवसायिक संरचना किसी देश के विकास के स्तरों को कैसे दर्शाती है?
8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए :

   (i) भारत में नगरीकरण
   (ii) जनसंख्या की आयु-संरचना तथा आश्रित दर
   (iii) भारत में किशोर जनसंख्या
   (iv) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति
   (v) महिलाओं की साक्षरता तथा जनसंख्या-वृद्धि

परियोजना कार्य

- एक प्रश्नावली बनाकर कक्षा की जनगणना कीजिए। प्रश्नावली में कम से कम पांच प्रश्न होने चाहिए। ये प्रश्न विद्यार्थियों के परिवारजनों, कक्षा में उनकी उपलब्धि, उनके स्वास्थ्य आदि से संबंधित हों। प्रत्येक विद्यार्थी को वह प्रश्नावली भरनी चाहिए। बाद में सूचना को संख्याओं में (प्रतिशत में) संग्रहीत कीजिए। इस सूचना को वृत्त रेखा, दंड आरेख या अन्य किसी प्रकार से प्रदर्शित कीजिए।

पारिभाषिक शब्दावली

अध्यादेश (Ordinance)	जब संसद अथवा विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य से किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो तब राष्ट्रपति या राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसकी वही शक्ति होती है जो संसद अथवा विधानमंडल द्वारा बने कानून की होती है।
अधिकार पृच्छा (*Quo Warranto*)	यह आदेश किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध दिया जाता है जो किसी सार्वजनिक पद को पाना चाहता है या अपनाए रहता है। इस आदेश के द्वारा न्यायपालिका यह जांच करती है कि उस व्यक्ति का उस पद पर क्या अधिकार है ?
अपील का क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)	यह एक ऊंचे न्यायालय द्वारा अपेक्षाकृत निचले न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने व उस पर निर्णय देने का क्षेत्र अधिकार है।
अवदाब (Depression)	ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों से होता है।
अवसादी शैलें (Sedimentary Rocks)	अवसादों से बनी हुई शैलें जिनमें प्रायः परतदार संरचना होती है।
आंतरिक अपवाह (Inland Drainage)	एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता वरन् आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है।
आग्नेय शैलें (Igneous Rocks)	वे शैलें जो मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती हैं।
उच्चावच (Relief)	धरातल अथवा समुद्र की तलेटी पर प्राकृतिक रूपरेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं।
उत्प्रेषण (*Certiorari*)	यह उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्गत एक आदेश है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित किए जाते हैं। यह विशेष प्रकार का आदेश प्रायः किसी ऊपर की न्यायपालिका द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायपालिका को निर्गत किया जाता है, जिसमें किसी वाद से संबंधित अभिलेख विचारार्थ ऊपर की न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश होते हैं।

उपमहाद्वीप (Subcontinent)	एक बहुत बड़ा भूखंड, जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टतया अलग होता है।
एकल या इकहरी न्यायपालिका (Single Judiciary)	यह किसी देश में न्यायपालिका की संरचना का एक रूप है। एकल या इकहरी न्यायपालिका में न्यायालयों के पद-सोपान होते हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर होता है।
कगार (Escarpment)	किसी पर्वत श्रेणी का तीव्र ढाल।
कार्य स्थगन प्रस्ताव/काम रोको प्रस्ताव (Adjournment Motion)	यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके द्वारा सदन के कार्यक्रम को स्थगित करके सार्वजनिक महत्त्व के किसी अत्यावश्यक विषय पर तुरंत विचार किया जा सके।
किशोरावस्था (Adoloscence)	किशोरावस्था वह आयु है जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः 10 से 19 वर्ष के आयु-वर्ग में होता है।
चुनाव घोषणापत्र (Election Manifesto)	चुनाव या निर्वाचन के समय प्रत्येक राजनैतिक दल (पार्टी) अपनी नीति एवं कार्यक्रम बनाता है , जिसमें वह अपने उद्देश्य घोषित करता है। राजनैतिक दल कुछ वायदे भी करते हैं। अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर वे लोगों से मत (वोट) मांगते हैं। जिस अभिलेख में ये नीतियां एवं कार्यक्रम लिखे होते हैं उसे चुनाव घोषणापत्र कहते हैं।
जन्म दर (BirthRate)	प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या।
जनगणना (Census)	यह अधिकारिक रूप से किसी निर्धारित तिथि पर एक दिए हुए क्षेत्र में कुछ आर्थिक व सामाजिक सूचनाओं के साथ की जाने वाली जनसंख्या की गणना है। यह एक निश्चित समय के अतंर (यह सामान्यतया भारत में हर 10 वर्षों की अवधि के बाद) पर की जाती है।
जनसंख्या का घनत्व (Density of Population)	प्रति इकाई क्षेत्रफल में, जैसे एक वर्ग किलोमीटर में, रहने वाले लोगों की संख्या।

जनमत (Public Opinion)	सार्वजनिक महत्त्व के कुछ या किसी विषय पर जनता के विचार जनमत कहलाते हैं। जनमत की अभिव्यक्ति समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी या दूरदर्शन आदि के माध्यम से होती है।
जनसंख्या की वृद्धि दर (Growth Rate of Population)	जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या की आधार वर्ष की जनसंख्या से तुलना की जाती है। इसे वार्षिक या दशकीय गति में ज्ञात किया जा सकता है।
जलवायु (Climate)	पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र की लंबी अवधि (साधारणतया कम से कम 30 वर्ष) की ऋतुओं की दशाओं का औसत।
जलोढ़ मैदान (Alluvial Plain)	नदियों द्वारा बहाकर लायी गई महीन गाद या शिला कणों वाली कांप अथवा जलोढ़ मिटटी के निक्षेपण से बना समतल भू-भाग।
जीवोम (Biome)	एक-सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप-समूह।
झील (Lake)	एक जलराशि जो पृथ्वी के सतह के एक गर्त/गड्ढे में हो और चारो ओर से पूर्णतया स्थल से घिरी हो।
दुर्वलता मंडल (Asthenosphere)	ऊपरी मैंटिल की एक शैलीय पर्त जो भूपृष्ठ के ठीक नीचे अर्ध-द्रवित (प्लास्टिक) अवस्था के रूप में होती है।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling Attention Notice)	विधायिका के सदस्य सार्वजनिक महत्त्व के किसी अत्यावश्यक विषय की ओर संबद्ध मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह सूचना देते हैं। यह सूचना विधायिका के किसी भी सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में दी जा सकती है ताकि सरकार उस विषय की ओर तुरंत ध्यान दे सके।
निमज्जन (Subsidence)	जलवायु विज्ञान में यह हवा की नीचे जाने वाली गति है। भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धसने की क्रिया से है।

नौकरशाही (Bureaucracy)	इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'कार्यालय का शासन' या 'कर्मचारियों/ अधिकारियों का शासन'। नौकरशाही का अभिप्राय उन सभी संगठनों, अधिकारियों तथा निश्चित प्रक्रियाओं से है जो देश के प्रशासनिक तंत्र से संबंधित हैं। व्यापक अर्थ में इसका संबंध नियमित प्रतिरूपों, अधिक कार्यभार तथा सरकारी कार्यालयों की निष्पक्षता से भी है।
पठार (Plateau)	विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भू-भाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे तेज ढाल वाले हों।
पर्वत (Mountain)	पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफी ऊंचा होता है और साधारणतया तीव्र ढालों वाला होता है।
पर्यावरण (Environment)	वह परिवेश अथवा परिस्थितियां जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण-स्वभाव विकसित करती है। इसके अंतर्गत भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्त्व आते हैं।
पशु-पक्षी (Fauna)	किसी दिए हुए क्षेत्र की जैव संपदा।
पूंजीवाद (Capitalism)	वह व्यवस्था जिसमें उत्पादन तथा वितरण के साधन कुछ व्यक्तिगत हाथों में रहते हैं जो उनका उपभोग अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए करते हैं।
प्रभुतासंपन्न (Sovereign)	कोई देश या लोग तब प्रभुतासंपन्न होते हैं जब वह किसी राज्य या दूसरे देश के अधीन नहीं होते हैं। इन्हें दूसरे राज्यों से अपने संबंध निर्धारित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।
प्रवसन (Migration)	लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवसन कहलाता है। आंतरिक प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक ही देश में आना-जाना तथा बाह्य प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना-जाना। जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो इसे आप्रवास (Immigration) कहते हैं और जब वे उस देश को छोड़ते हैं तब इसे उत्प्रवास (Emigration) कहते हैं।

पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem)	एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना है।
बजट (Budget)	यह आगामी वर्ष के लिए होने वाले अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण है। इसमें सरकार के आय के स्रोत तथा जिन मदों पर उनका व्यय होना है, सम्मिलित किए जाते हैं।
भारतीय मानक समय (Indian Standard Time)	भारत की मानक मध्याह्न रेखा (82° 30´ पूर्व देशांतर) का स्थानीय समय सारे भारत का प्रमाणिक समय माना जाता है।
भूगर्भीय (Tectonic)	पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियां जो धरातल की भू-आकृतियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं।
भ्रंश (Fault)	आंतरिक हलचलों के कारण भू-पृष्ठ पर पड़ी दरारें जिन के सहारे चट्टानें खिसक जाती हैं।
मृत्यु दर (Death Rate)	प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं।
मानसून (Monsoon)	एक बड़े क्षेत्र मे पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना जिससे ऋतु या मौसम में अंतर उत्पन्न हो जाता है।
मैंडमस (Mandamus)	यह किसी न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय, शासकीय अधिकारी, प्राधिकरण या संस्था द्वारा निश्चित आदेश के अनुपालन का निर्देश है।
मैदान (Plain)	समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र।
युवा/नवीन पर्वत (Young Mountains)	पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौर में बने मोड़दार या वलित पर्वत जैसे हिमालय, आल्प्स, एण्डीज़ तथा रॉकी पर्वत।
राष्ट्र निर्माण (Nation Building)	इस शब्द से एक प्रक्रिया का बोध होता है जिसके द्वारा लोग अपने को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करते हैं और स्थायित्व देते हैं। इससे उन प्रक्रियाओं एवं संस्थाओं के निर्माण का बोध होता है जिससे एक राष्ट्र प्रभुतासंपन्न स्वायत्त राज्य का निश्चित रूप प्राप्त करता है।

राष्ट्रीय उद्यान (National Park)	एक आरक्षित क्षेत्र जहां उसकी प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव-जंतुओं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है।
रूपांतरित या कायांतरित शैलें (Metamorphic Rocks)	पूर्व-निर्मित आग्नेय अथवा अवसादी शैलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिर्वतन द्वारा बनी नई शैलें।
लिंगानुपात (Sex Ratio)	भारत में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं।
वनस्पति (Flora)	किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़-पौधों का आवरण।
वलय (Fold)	पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की शैल-पर्तों में पड़ने वाले मोड़ या वलय।
शक्ति-संतुलन (Balance of Power)	राष्ट्रों के समूह के सदस्यों के बीच शक्ति का ऐसा संतुलन जिसमें सभी सदस्य इतने शक्तिमान हों कि उनमें से कोई एक अपना प्रभुत्व दूसरे पर न जमा सके।
संशोधन (Amendment)	संशोधन का अर्थ है परिवर्तन अथवा सुधार। सामान्यतया इस शब्द का प्रयोग किसी देश के संविधान में एक या एक से अधिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है।
स्थलमंडलीय प्लेटें (Lithospheric Plates)	दुर्बलतामंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भू -पृष्ठ या महासागरीय अधस्तल के बड़े -बड़े भाग।
स्वायत्ता (Autonomy)	स्वायत्ता (स्व-शासन) स्वयं शासन करने का अधिकार है। विदेशी सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्ति के लिए राजनीतिक मांग।
संघवाद (Federalism)	संघवाद एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जो विभिन्न राज्यों या अन्य राजनैतिक इकाइयों को एक सर्व-प्रभुता संपन्न व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार जोड़े रहता है कि इनमें से प्रत्येक अपनी आधारभूत राजनैतिक स्वायत्ता बनाए रखे।
संसद को बुलाना (Summoning of Parliament)	जब किसी निश्चित दिन या समय पर राष्ट्रपति संसद का सदन बुलाते हैं तब इसे 'संसद को बुलाना' या 'संसद आहूत करना' या 'संसद का आह्वान' कहते हैं।

समाजवाद (Socialism): ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन तथा वितरण के साधन पूरे समाज द्वारा या राज्य द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

सत्रावसान (Prorogation): राष्ट्रपति के आदेश से संसद के सत्र का समापन।

सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility): यह संसदीय शासन प्रणाली की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। मंत्रि-परिषद के किसी निर्णय या कार्य के लिए सभी मंत्री संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। यदि उनके कार्य संसद द्वारा पुष्ट नहीं किए जाते तो पूरे मंत्रि-परिषद को त्यागपत्र देना होता है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage): इसका अभिप्राय जाति, धर्म, वर्ण, लिंग अथवा शिक्षा के आधार पर बिना भेदभाव के किसी देश के सभी वयस्क नागरिकों के मत देने के अधिकार से है।

हिमानी (Glacier): बर्फ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे -धीरे गतिशील होता है।

हीवस कारपस (Hebeas Corpus): किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह याचिका बहुत महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उलंघन करने या अवैधानिक रूप से जेल में रखने के विरूद्ध उच्चतम या उच्च न्यायालय में दायर की जाती है।